Wednesday, 11 December, 1968

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[छठा सत्र
Sixth Session]

Preservation Unit
Fumigated On
Parliament Library

[खंड 23 में अंक 21 से 3: तक हैं
Vol. XXIII contains Nos. 21 to 31]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 23, बुधवार 11 दिसम्बर, 1968/20 अग्रहायण, 1890 (शक)

No. 23, Wednesday, December, 11, 1968/Agrahayna 20, 1890 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ता० प्र० संख्या	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS S. Q. Nos.	
विषय	**Subject**	**पृष्ठ/Pages**
663 चैकोस्लोवाकिया में रूसी हस्तक्षेप के सम्बन्ध में भारतीय समाचारपत्रों की टिप्पणियां	Indian Press comments on Soviet Intervention in Czechoslovakia	1-4
665 नई दिल्ली के सिनेमाओं में चलचित्र अधिनियम का उल्लंघन	Violation of Cinematograph Act by Cinemas in New Delhi	4-6
666 पश्चिमी जर्मनी समाचार अभिकरण	West German News Agency	6-8
667 तमिलनाड कांग्रेस समिति के प्रधान की विश्व बैंक के अध्यक्ष से भेंट	Meeting of Tamilnad Congress Committee Chief with Chairman of World Bank	8-9
668 कुछ असैनिक तथा प्रतिरक्षा उत्पादन योजनाओं में तालमेल बिठाना	Dovetailing of certain Civil and Defence Production Schemes	9-13
670 परमाणु शक्ति केन्द्र	Atomic Power Stations	13-15
671 राजदूतों के प्रशिक्षण के लिये संस्था	Institute for Training Ambassadors	15-17
प्रश्नों के लिखित उत्तर **ता० प्र० संख्या**	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS **Starred Questions Nos.**	
661 यूनिवर्सल प्रेस सर्विस तथा तरुण भारत को प्राप्त विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange received by Universal Press Service and Tarun Bharat News Agencies	17
662 पाकिस्तान से हिन्दुओं का प्रवर्जन	Migration of Hindus from Pakistan	18
664 वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में भ्रष्टाचार के मामले	Corruption Cases in External Affairs Ministry	18
669 आकाशवाणी से संस्कृत में प्रसारण	Broadcasts in Sanskrit from A.I.R.	19

किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न क सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता०प्र० सं० S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
672	छावनी क्षेत्रों में भूमि का अर्जन तथा छावनी बोर्डों का लोक तंत्रीय शासन	Land Acquisition in Cantonment Areas and Democratisation of Cantonment Boards	19
673	भारतीय चलचित्र वित्त निगम लिमिटेड	Film Finance Corporation of India Ltd.	19-20
674	कांग्रेस अध्यक्ष की जापान यात्रा	Congress President's visit to Japan	20-21
675	उच्च शक्ति के ट्रान्समीटर	High Power Transmitters	21
676	आकाशवाणी द्वारा गांधी शताब्दी कार्यक्रम	Gandhi Centenary Programme of A.I.R.	21-22
677	गणतंत्र दिवस परेड के लिये प्रदेशपत्र	Republic Day Parade Passes	22
678	मध्य प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास	Rehabilitation of Ex-servicemen in M. P.	22
679	उत्तम उपकरणों का निर्माण	Manufacture of Sophisticated Equipments	22-23
680	मनोरंजन कर की समान दर	Uniform Rate of Entertainment Tax	23
681	नेपाल में भारतीय सहायता से बड़ी रेलवे लाइन का निर्माण	Construction of Broad Gauge Railway line in Nepal with Indian Aid	23-24
682	प्रतिरक्षा संस्थानों में विद्युत चालित संगणक	Electronic Computers in Defence Establishments	24
683	विजयन्त टैंक का डिजाइन तथा रूप-रेखा (ब्लूप्रिंट)	Design and Blue Print of Vijayanta Tank	24
684	पूर्वी पाकिस्तान हो कर आसाम पश्चिम बंगाल जल परिवहन सेवा	Assam West Bengal Water transport through East Pakistan	25
685	विदेशों के साथ राजनयिक सम्बन्ध	Diplomatic Relations with countries	25
686	भारत बर्मा सीमा का सीमांकन	Indo-Burmese Border Demarcation	25-26
687	"पड़ोसिन" चलचित्र	Film "Padosan"	26
688	लेह हवाई अड्डा	Leh Airport	26
689	दक्षिण अफ्रीका में भारतीय	Indians in South Africa	26
690	मुसलमान नरेशों द्वारा अरब में हाजियों के लिये बनाये गये भवन	Buildings built by Muslim Princes in Arab for Hajees	27

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ, Pages
	अतारांकित प्रश्न संख्या	**Unstarred Question Nos.**	
4090	विज्ञान तथा टैक्नोलोजी सम्बन्धी समिति की बैठक	Meeting of Committee on science and Technology	27-28
4091	आकाशवाणी	All India Radio	28-29
4092	आकाशवाणी में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के नक्शानवीस	Scheduled Castes and Scheduled Tribes Draughtsmen in A. I. R.	29
4093	आकाशवाणी में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के नक्शानवीस	Scheduled Castes and Scheduled Tribes draughtsmen in A. I. R.	29
4094	मध्य प्रदेश में आकाशवाणी के केन्द्रों का विस्तार	Expansion of A. I. R. Stations in Madhya Pradesh	30
4095	मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों का विकास	Development of Backward Areas of Madhya Pradesh	30
4096	मध्य प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों को कृषि भूमि का आवंटन	Allotment of Agricultural land to Ex-servicemen in M. P.	30
4097	मध्य प्रदेश में आकाशवाणी केन्द्रों के स्थानीय कलाकार	Local Artistes of A. I. R. Stations in Madhya Pradesh	30-31
4098	मद्रास में निर्मित फिल्में	Films produced in Madras	31
4099	बम्बई में तैयार की गई फिल्में	Films produced in Bombay	31
4100	महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में प्रति व्यक्ति आय	Per capita income in District Yeotmal, Maharashtra	31-32
4101	पश्चिमी बंगाल में बाढ़ों के लिये नियुक्त सेवा के कर्मचारियों की गलतियां	Lapses by Army personnel deployed for Floods in West Bengal	32
4102	पाकिस्तान में सिख गुरुद्वारे	Sikh Gurdwaras in Pakistan	32
4103	महाराष्ट्र में परमाणु बिजली घर	Atomic Power House in Maharashtra	32-33
4104	प्रतिरक्षा संगठनों के कर्मचारियों द्वारा सांकेतिक हड़ताल	Token strike by Employees of Defence Organisations	33
4105	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा सांकेतिक हड़ताल में हिस्सा लिया जाना	Participation by Central Government Employees in Token Strike	33
4106	कीनिया के एशियाई लोग	Kenyans of Asian Origin	34
4107	अश्लील अंग्रेजी चलचित्र	Obscene English Films	34
4108	योजना आयोग की हिन्दी में रिपोर्ट	Reports of Planning Commission in Hindi	34-35

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4109	राजनयिक पारपत्र जारी करना	Issue of Diplomatic Passports	35
4110	परमाणु शक्ति केन्द्र	Atomic Energy Stations	35-36
4111	तिलय्या के सैनिक स्कूल के कर्मचारियों को सेवा से हटाना	Dismissal of Employees of Sainik School, Tilayya	36
4112	विदेश स्थित भारतीय दूतावासों के वाणिज्यिक अनुभाग में भर्ती	Recruitment to commercial Section of Indian Missions Abroad	36-37
4113	लंदन में भारतीय उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या में कमी	Reduction in Staff in Indian High Commission, London	37
4114	अणु शक्ति केन्द्र	Atomic Power Stations	37-38
4115	परमाणु ईंधन	Atomic Fuels	38
4116	मोनाजाइट रेत	Monazite sand	38
4117	परमाणु इंजीनीयरों और वैज्ञानिकों का प्रशिक्षण	Training of nuclear Engineers and Scientists	38-39
4118	हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड	Hindustan Aeronautics Ltd.	39-40
4119	हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड	Hindustan Aeronautics Ltd.	40-41
4120	हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड	Hindustan Aeronautics Ltd.	41
4121	हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड	Hindustan Aeronautics Ltd.	41-42
4122	प्रतिरक्षा सम्बन्धी गुप्त जानकारी बेचने के मामले में सशस्त्र सेनाओं के अधिकारियों पर अभियोग चलाना	Prosecution of Armed Forces Officers for selling defence secrets	42
4123	परमाणु विस्फोट टेक्नोलोजी	Nuclear Blast Technology	43
4124	भारतीय वायु सेना के लिये लड़ाकू विमान	Fighter Planes for Indian Air Force	43
4125	चुम्बन सम्बन्धी वृत्तचित्र	Documentary on Kissing	43-44
4126	ले० जनरल पी० एस० भगत द्वारा लिखित 'दी शील्ड एण्ड दी स्वोर्ड' नामक पुस्तक	The Shield and the Sword by Lt. General P. S. Bhagat, V.C.	44
4127	पाकिस्तानी विमानों द्वारा भारतीय राज्य क्षेत्र पर उड़ानें	Overflying of Pak. Planes	44-45
4128	रोडेशिया के सम्बन्ध में ब्रिटेन का नया सूत्र	New British formula on Rhodesia	45-46
4129	विमान द्वारा अनाज के गिराये जाने से मृत्यु	Death by food droppings	46

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4130	संगीत तथा ड्रामा डिवीजन के कलाकारों को वेतन	Artistes of song and drama division	46-47
4131	संसद् सदस्यों तथा मंत्रियों के लिये टेलिविजिन	T. V. Sets for M. Ps. and Ministers	47
4132	लेह में आकाशवाणी केन्द्र	A. I. R. Station in Leh	47
4133	हिन्दू धर्म शास्त्रों के बारे में दक्षिण अमेरिका में उठाये गये प्रश्न	Questions raised in South America about Hindu Scriptures	47-48
4134	श्री डी. पी. धर की रूस में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्ति	Appointment of Shri D. P. Dhar as India's Ambassador to USSR	48
4135	पश्चिमी जर्मनी में भारतीय प्रशिक्षार्थी	Indian trainees in West Germany	48
4136	प्रतिरक्षा के लिये आवश्यक वस्तुओं का देश में उत्पादन	Indigenous production of Defence requirements	48-49
4137	उत्तर प्रदेश में रेडियोधर्मिता खनिज	Radio active Minerals in U. P.	49
413	प्रूफ और एस्टैब्लिशमेंट, चांदीपुर (उड़ीसा) के कार्मिक कर्मचारियों के लिये बसें	Buses for the Proof and Establishment employees of Chandipore (Orissa)	49
4139	बालासोर में सैनिक अधिकारियों का बाढ़ में बह जाना	Army personnel swept in floods in Balasore	49-50
4140	चीनी दूतावास द्वारा प्रचार सामग्री का बांटा जाना	Propaganda material circulated by the Chinese Embassy	50
4141	पाकिस्तान को नावों का वापस लौटाना	Release of boats to Pakistan	50
4142	संघ राज्य क्षेत्रों और राष्ट्रपति शासन के अधीन अन्य राज्यों में सिनेमाघर	Cinema Houses in Union Territories and States under President's Rule	50
4143	सेना में अफसरों की भर्ती तथा उनकी सेवा शर्तें	Recruitment and conditions of service of officers in Army	51
4144	नाविकों, सैनिकों और वैमानिकों के वेतनमान	Pay scales of sailors, soldiers and airmen	51-52
4145	प्रतिरक्षा उत्पादन	Defence Production	52
4146	साम्प्रदायिकता के प्रचार के लिये समाचार पत्रों को अखबारी कागज का कोटा तथा विज्ञापन	Advertisements and newsprint quota for newspapers propagating communalism	52-53
4147	बिहार में फिल्म उद्योग	Film Industry in Bihar	53
4148	समाचारों का प्रसारण	News Broadcasts	53

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4149	मिर्जा अफजलबेग और पाक-उच्चायुक्त के बीच बातचीत	Meeting between Mirza Afzal Beg and Pak. High Commissioner	53-54
4150	पंचमहल जिले को पिछड़ा जिला घोषित करना	Declaration of Panchmahal district as Backward district	54
4151	दक्षिण अफ्रीका के स्वाधीनता आन्दोलन का समर्थन	Support for South Africa liberation Movement	54-55
4152	आकाशवाणी का विश्वविद्यालय वार्ता	University of Talk A. I. R.	55
4153	किसी क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने के मानदण्ड	Criteria for determining backwardness of any Region	56
4154	उत्तर प्रदेश के फैजाबाद खण्ड का विकास	Development of Faizabad Division of U. P.	56
4155	इण्डियन रेयर अर्थस लिमिटेड द्वारा विरल मृद् (रेयर अर्थ) का निर्यात	Export of Rare Earths by India Rare Earths Ltd.	57
4156	भारतीय वायु सेना की विभिन्न शाखाओं में पदोन्नति	Promotions in different Branches of Indian Air Force	57
4157	सवाई माधोपुर (राजस्थान) का तेजी से विकास	Rapid Development of Sawai Madho Pur (Rajasthan)	57-58
4158	उत्तर वियतनाम के प्रतिनिधि मण्डल द्वारा काश्मीर के बारे में लाहौर में वक्तव्य	Statement on Kashmir by North Vietnamese Delegation in Lahore	58
4159	आकाशवाणी में स्टाफ कलाकार	Staff Artistes of A. I. R.	58
4160	आयुध कारखाने	Ordnance Factories	58.59
4161	सद्भावना शिष्टमण्डल	Goodwill Missions	59
4162	आकाशवाणी के कलाकारों के वेतनमान	Pay Scales of A. I. R. Artistes	59
4163	आकाशवाणी में समय का बढ़ाया जाना	Extension of time schedule in A. I. R.	60
4164	अन्तर्राष्ट्रीय अणु शक्ति अभिकरण	International Atomic Energy Agency	60
4165	चैकोस्लोवाकिया में भारतीय लोग	Indians in Czechoslovakia	61
4166	ब्रिटेन में भारतीय प्रवासी	Indian Immigrants in U. K.	61
4167	भारत के साथ युद्ध न करने के करार का पाकिस्तान द्वारा प्रस्ताव	Pak. Offer for No War Pact with India	61
4168	चौथी योजना के लिये प्रतिरक्षा साधन जुटाना	Mobilization of additional Resources for Fourth Plan	62

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4169	चौथी योजना के लिये राज्यों को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to States for Fourth Plan	62
4170	उत्तर प्रदेश के लिये विदेशी फिल्मों का आयात	Import of Foreign Film	62-63
4171	भारत श्रीलंका वार्ता	Indo Ceylon Talks	63
4172	चीन पाक संयुक्त प्रतिरक्षा नीति	Sino Pak. Joint Defence Strategy	64
4173	सैनिक कर्मचारियों को पेंशन	Pension to Military Personnel	64
4174	फिल्मी गीतों पर प्रतिबन्ध	Ban on Film songs	65
4175	राज्य चलचित्र पुरस्कार	State Film Awards	65
4176	चलचित्र निर्माताओं को विदेशी मुद्रा दी जाना	Grant of Foreign Exchange to Film producers	65
4177	न्यूयार्क टाइम्स में भारतीय मुसलमानों सम्बन्धी लेख	Article on Indian muslims in New York Times	66
4178	पूर्वी पाकिस्तान में भारतीयों की अवैध सम्पत्तियों का पकड़ा जाना	Illegal seizure of Indian properties in East Pakistan	66
4179	गणतंत्र दिवस की परेड	Republic Day Parade	66-67
4180	वायुसेना से जवानों का नौकरी से हटाया जाना	Release of Jawans in the Air Force	67
4181	चित्रपुरी बस्तियां	Chitraphuri Colonies	67
4183	बिहार में परमाणु संयंत्र	Atomic Plant in Bihar	67
4184	सिंध पश्चिम पाकिस्तान में अल्प संख्यकों की दुर्दशा	Minorities in Sind West Pakistan	68
4185	नेपाल की तराई में बसे भारतीय लोग	Indian Settlers in Nepal Terai	68
4186	प्रतिरक्षा व्यय के लिये संगणकों का प्रयोग	Use of Computers for Defence Expenditure	68-69
4187	विज्ञापन	Advertisements	69
4188	विमान की पथनिर्देशन प्रणाली	Guidance system of Aircraft	69-70
4189	'खाना-ए-खुदा' फिल्म	Film "Khana-E-Khuda"	70
4190	दक्षिण में हिन्दी फिल्मों का प्रदर्शन	Exhibition of Hindi Films in South	70
4191	विदेशी चल चित्रों पर प्रतिबन्ध	Ban on Foreign Films	70-71
4192	पुलिस की गोली से मारे गये सैनिक के परिवार को मुआवजा	Compensation to a Defence Personnel Killed in Police Firing	71

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4193	इलैक्ट्रोनिक उपकरण	Electronic Equipments	71
4194	जिला इटावा (उत्तर प्रदेश) में प्रति व्यक्ति आय	Per capita Income in the Etawah District (U. P.)	72
4195	पाकिस्तान द्वारा भारत पर नरसंहार का आरोप	Charges of Genocide against India by Pakistan	72
4196	केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा कुछ फिल्मों को प्रमाण पत्र देना	Release of certain Films by Central Board of Film Censors	72-73
4197	केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा कुछ फिल्मों को प्रमाण पत्र देना	Release of certain films by the Central Board of Film Censors	73-74
4198	सोमालिया के लिये डाक्टर तथा अध्यापक	Doctors and Teachers for Somalia	74
4199	केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा चांदीपुर (उड़ीसा) के प्रूफ एण्ड ई–इस्टेब्लिशमेंट, बालासोर के अधिकारियों के विरुद्ध जांच	C. B. I. enquiry against officers of Proof and Establishment of Chandipore, Balasore Orissa)	74
4200	नागाओं के साथ बातचीत	Talks with Nagas	75
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling attention to matter of urgent public importance	75-79
	भारत-नेपाल सीमा के निकट सुस्ता में चार नेपालियों की गिरफ्तारी पर नेपाल में भारत-विरोधी प्रदर्शन	Anti-Indian protests in Nepal over the arrest of four Nepalese at Susta near the Indo-Nepal border.	
	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय तथा हरियाणा की स्थिति के सम्बन्ध में	Re : Banaras Hindu University and situation in Haryana.	79-82
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	82-83
	अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 1968–69	Demands for Supplementary Grants (General), 1968-69	83
	राज्य सभा से सन्देश	Messages from Rajya Sabha	83
	आवश्यक सेवायें बनाये रखने के विधेयक के बारे में याचिका	Petition re: Essential services Maintenance Bill.	83
	याचिका के बारे मे व्यवस्था का प्रश्न	Point of order re : Petition.	
	आवश्यक सेवायें बनाये रखने के अध्यादेश के बारे में सांविधिक संकल्प श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी	Statutory Resolution re : Essential Services Maintenance ordinance. Shri S. S. Kothari.	84-89

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
आवश्यक सेवायें बनाये रखने का विधेयक विचार करने का प्रस्ताव श्री विद्याचरण शुक्ल	Essential Services Maintenance Bill Motion to consider Shri Vidya Charan Shukla.	89-96
सिविल रक्षा नियमों में रूपभेद के बारे में प्रस्ताव श्री श्रीनिवास मिश्र श्री गोविन्द मेनन	Motion re : Modification of Civil Defence Rules. Shri Srinibas Misra Shri Govinda Menon	96-98
आधे घंटे की चर्चा	Half-an-Hour Discussion.	98
श्री लंका के महासर्वेक्षक द्वारा प्रकाशित कच्चातीवू द्वीप के नक्शे श्री कामेश्वर सिंह श्री स० कन्डप्पन श्री श्रद्धाकर सूपकार श्री जार्ज फरनेन्डीज श्री वेणी शंकर शर्मा श्री सुरेन्द्रपाल सिंह	Maps of Kachchativu Island published by the Surveyor General of Ceylon. Shri Kameshwar Singh. Shri S. Kandappan. Shri Sradhakar Supakar. Shri George Fernandes Shri Beni Shankar Sharma Shri Surendra Pal Singh	98
कुछ सदस्यों के बारे में अध्यक्ष के आदेशों का विखंडन	Rescission of Chair's orders with respect to certain members.	98-103

लोक-सभा

LOK SABHA

बुधवार, 11 दिसम्बर, 1968 / 20 अग्रहायण, 1890 (शक)

Wednesday, December 11, 1968 / Agrahayana 20, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

चैकोस्लोवाकिया में रूसी हस्तक्षेप के सम्बन्ध में भारतीय समाचार-पत्रों की टिप्पणियां

*663. **श्री ए० श्रीधरन :** क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस की सरकार ने सरकार का ध्यान चैकोस्लोवाकिया के सम्बन्ध में रूसी नीतियों के बारे में भारतीय समाचार-पत्रों में प्रकाशित प्रतिकूल टिप्पणियों की ओर दिलाया था और उसने चैकोस्लोवाकिया में रूसी सैनिक हस्तक्षेप के प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में भारत का समर्थन प्राप्त करने की चेष्टा की थी ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रश्न के बारे में भारतीय समाचार-पत्रों में प्रकाशित टिप्पणियों पर रूसी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस प्रश्न पर भारत का समर्थन प्राप्त करने के बारे में क्या विशिष्ट प्रार्थना की गई है, और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

श्री श्रीधरन : जब ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं और जब सरकार की स्थिति गड़बड़ होती है, तब सरकार सदा इस प्रकार का उत्तर देती है, "नहीं, प्रश्न नहीं उठता है" । चेकोस्लो-

वाकिया में सोवियत रूस का सैनिक हस्तक्षेप एक राजनैतिक घटना ही नहीं है, वरन् मानव जाति की आत्मा को चुनौती देना भी है.....

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति, आयोजना तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : क्या हम विदेशी मामलों पर चर्चा कर रहे हैं ?

श्री श्रीधरन : और इस प्रश्न पर भारत सरकार ने जो दृष्टिकोण अपनाया है, वह विश्वासघाती है और इस महान देश द्वारा जिसमें महात्मा गांधी और बुद्ध पैदा हुए, अपनायी गई नीतियों को पूरी तरह से त्यागने का है.....(व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न पूछिये। यह वाद-विवाद नहीं है.....

श्री कन्डपन : यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है.....(व्यवधान)।

एक माननीय सदस्य : ठीक एक प्रस्तावना।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्तावना प्रश्न से सम्बन्धित होनी चाहिये।

श्री श्रीधरन : सरकार का कहना है कि सोवियत संघ ने सरकार पर कोई दबाव नहीं डाला है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ में चेकोस्लोवाकिया के प्रश्न पर इस सरकार द्वारा अपनाये गये दृष्टिकोण से यह स्पष्ट है कि भारत पर दबाव डाला गया, क्योंकि हम सोवियत संघ पर काफी लम्बे समय तक आर्थिक रूप से निर्भर रहे। अब मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या भारत सरकार पर दबाव उस तुच्छ तटस्थता की नीति को स्वीकार करने के लिये डाला गया था जो कि हमने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनायी थी, और यदि नहीं, तो भारत द्वारा ऐसा दृष्टिकोण, जिसमें इस देश के हितों और प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ, अपनाये जाने के क्या कारण थे ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति, आयोजना तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : महोदय, स्पष्ट रूप से माननीय सदस्य ऐसे मामलों पर अपने विचार व्यक्त करने का मौका ले रहे हैं, जिसका पूछे गये प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है। पूछा गया प्रश्न इस प्रकार था—क्या सोवियत संघ ने सरकार का ध्यान प्रतिकूल टिप्पणियों की ओर दिलाया था। इसका उत्तर बहुत स्पष्ट दिया गया है कि नहीं। और मुझे उससे अधिक कुछ नहीं कहना है।

श्री श्रीधरन : मेरे पहले प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। मेरा पहला प्रश्न केवल समाचारों की रिपोर्टों तक ही सीमित नहीं है। मेरे प्रश्न में विशेष रूप से चेकोस्लोवाकिया के सम्बन्ध में सोवियत रूस की नीतियों के बारे में भारतीय समाचार-पत्रों में प्रकाशित टिप्पणियों के बारे में जिक्र किया गया है और यह पूछा गया है कि क्या सोवियत संघ ने चेकोस्लोवाकिया में रूसी सैनिक हस्तक्षेप के प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में भारत का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया था। महोदय, प्रश्न के उस भाग का उत्तर नहीं दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यही उत्तर है जिसे उप-मन्त्री महोदय ने पढ़ा था।

श्री श्रीधरन : यदि सोवियत संघ ने संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में भारत का समर्थन प्राप्त करने की चेष्टा नहीं की थी, तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि चेकोस्लोवाकिया में सोवियत रूस के सैनिक दलों के रहने का क्या कारण है और उस देश के अधिराजत्व और उस प्रभुसत्ता का उल्लंघन क्यों किया गया है ? (व्यवधान)। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या भारत

सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर अपनी राय नहीं दी और एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाया, जो इस देश की प्रतिष्ठा और सम्मान के विरुद्ध है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यदि सदस्य महोदय ने बैठ कर वाद-विवाद ध्यान से सुना है और संयुक्त राष्ट्र संघ में दिये गये मेरे वक्तव्य को पढ़ा है और फिर भी उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला है, तो मैं केवल खेद व्यक्त कर सकती हुं। जो कुछ आप कह रहे हैं उसमें सच्चाई नहीं है। हमने चेकोस्लोवाकिया के विदेश मन्त्री से बात की थी और मैं माननीय सदस्य के कथन से सहमत नहीं हूं। (व्यवधान)

श्री स्वेल : चेकोस्लोवाकिया में रूसी सैनिक हस्तक्षेप के समय हमने प्रधान मन्त्री कोसिजिन और दल के अध्यक्ष श्री ब्रेजनेव के बीच गम्भीर मतभेद की रिपोर्टें सुनी और आज सुबह 'टाइम्स आफ इण्डिया' ने यह खबर प्रकाशित की कि श्री कोसिजिन ने इस्तीफा दे दिया है या अपना इस्तीफा देने की पेशकश की है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है और क्या अन्य साम्यवादी देशों, विशेष रूप से रूमानिया और यूगोस्लाविया के प्रति सोवियत सोवियत संघ के रवैये में फूट पैदा हो गई है ?

उपाध्यक्ष महोदय : पहला भाग इस प्रश्न से नहीं उठता है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मुझे इस विषय में कोई जानकारी नहीं है।

श्री कन्डप्पन : महोदय, जब कुछ महीने पहले इस सभा में चेकोस्लोवाकिया की स्थिति पर वक्तव्य दिया गया था और जिस पर चर्चा की गई थी, तब प्रधान मन्त्री ने स्पष्ट रूप से बताया था कि चेकोस्लोवाकिया में जिस सेना ने हस्तक्षेप किया और जो चेकोस्लोवाकिया के क्षेत्र के अन्दर जमी हुई है, उसे वापिस बुलाया जाना चाहिये। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या एक मित्र राष्ट्र की भाँति प्रधान मन्त्री ने रूस के साथ अपने वक्तव्य के बारे में बातचीत की है और यदि हां, तो अब स्थिति क्या है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : माननीय सदस्यों को स्थिति का पता है। कुछ सैनिक दस्ते हटाये गये है और कुछ वहाँ अब भी हैं। हमने सोवियत सरकार एवं अन्य सरकारों को अपने विचार स्पष्ट रूप से बता दिये हैं और मैंने इस विषय पर संयुक्त राष्ट्र संघ में भी वक्तव्य दिया है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : भाग (क) का उत्तर निश्चित रूप से 'नहीं' है। क्या मैं माननीय प्रधान मन्त्री से पूछ सकता हूँ कि क्या सरकार सोवियत सरकार से कहेगी कि उसने भारत सरकार का ध्यान क्यों नहीं दिलाया···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने प्रश्न को फिर कहें।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : भाग (क) का उत्तर निश्चित रूप से 'नहीं' है। मैं माननीय प्रधान मन्त्री से पूछता हूं—क्या सरकार सोवियत सरकार से पूछेंगी कि उसने किस कारण से भारत सरकार का ध्यान नहीं दिलाया है। (व्यवधान)

श्री जार्ज फरनेंडीज : आप मास्को जा कर यह क्यों नहीं पूछ लेते (व्यवधान)

Shri Rabi Ray : You go to Moscow and sit there with Russia.

श्री हेम बरुआ : यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। महोदय क्या मैं निवेदन कर सकता हूँ...

श्री लोबो प्रभु : श्रीमान जी, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब सोवियत रूस किसी

दूसरे लोकतंत्रीय राष्ट्र की प्रभुसत्ता का विरोध कर रहा है, तब देश इस लोकतंत्र के रुख को जानने के लिए आतुर है।

उपाध्यक्ष महोदय : सभी प्रश्नों का महत्व एक समान है। जो लोग अपने प्रश्न रखते हैं, वे उन्हें उतना ही महत्वपूर्ण समझते हैं और वे प्रश्न उत्तर के लिये आदेश पत्र में रखे गये हैं। अब हम यह प्रक्रिया अपना रहे हैं कि हमें दस प्रश्न पूरे करने चाहिये। अन्यथा जो व्यक्ति प्रश्न पूछने का कष्ट करते हैं हम उनके प्रति अन्याय कर रहे हैं।

श्री लोबो प्रभु : क्या आप हमें यह बताने के लिये अनुमति देंगे···

उपाध्यक्ष महोदय : यहाँ इस प्रश्न पर चर्चा करने का मौका दिया गया था और चर्चा की गई। इसलिये मैं इस विषय पर आगे और कुछ सुनने को तैयार नहीं हूं।

श्री च० चु० देसाई : व्यवस्था के प्रश्न पर···

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल के दौरान व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री चं० चु० देसाई : क्या आप प्रत्येक प्रश्न के लिये 6 मिनट का समय निर्धारित करने जा रहें हैं, तकि एक दिन में 10 प्रश्न पूरे किये जा सकें।

श्री हेम बरुआ : इस विषय से सम्बन्धित मैंने एक प्रश्न पेश किया था, लेकिन वह अस्वीकार कर दिया गया। मुझे आशा थी कि यहां अन्य नामों के साथ मेरा नाम भी शामिल कर लिया जायेगा। लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। यदि आप हमें रोक देंगे, तो इसका कोई अन्त नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने चार सदस्यों को प्रश्न पूछने का समुचित अवसर प्रदान किया है। यदि हम इसे जारी रखेंगे, तो 15 मिनट और लगेंगे। इसलिये अब हमें अगले प्रश्न पर चर्चा करने दें।

Violation of Cinematograph Act by Cinemas in New Delhi

*665. **Shri Atal Bihari Vajpayee** : **Shri Jugal Mondal** :
Shri Bal Raj Madhok :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6189 on the 28th August, 1968 and state :

(a) the results of the investigation made against the Cinema Houses under the New Delhi Municipal Committee for violation of the Cinematograph Act ; and

(b) the legal action taken or proposed to be taken thereon ?

The Minister of Information and Broadcasting (**Shri K. K. Shah**) : (a) The Delhi Administration have reported that there was no infringement of the provisions of the Cinematograph Act by the cinemas in the jurisdiction of the New Delhi Municipal Committee. Nor was any case referred to the Central Bureau of Investigation for investigation.

(b) Does not arise.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Is it a fact that a Cinema House of New Delhi violated the rules of New Delhi Municipal Committee, framed in connection with the use of electricity and an investigation was made in this matter ? Is it also a fact that the matter is sub-judice in the court ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : जी नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है ।

श्री हेम बरुआ : इस तरह का एक मामला है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : May I know whether the case is not going on or you have no information ? I do know something about the Delhi Administration and I know that a Cinema House was expanded. At the time of its expansion the Cinema-House consumed more electricity than that which was provided to it. Investigation is also being made in this regard. I would like to know from the Honourable Minister whether she is herself in dark or she wants to keep this House in dark ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : माननीय मित्र को मेरी बात से सहमत होना चाहिये । क्योंकि हमें दिल्ली प्रशासन पर निर्भर रहना पड़ता है । हमने यह मामला दिल्ली प्रशासन को सौंप दिया है और उसके साथ पत्र व्यवहार भी किया है तथा हमने यह विशेष प्रश्न दिल्ली प्रशासन को भेज दिया था । उसमें केवल प्लाजा सिनेमा के मामले में उल्लेख किया था । मालूम हुआ कि उसमें बैठने का प्रबन्ध चलचित्र नियमों के अनुकूल नहीं था। लेकिन उप-राज्यपाल श्री झा से अपील की गई थी और उन्होंने प्लाजा सिनेमा का पक्ष लिया । मेरे पास केवल इतनी ही सूचना है । यदि माननीय सदस्य के पास कोई मामला हो तो हम उस पर फिर जांच करेंगे और सभा को बतायेंगे ।

Shri Bal Raj Madhok : Shri K.K. Shah has himself accepted that there was a complaint about Plaza Cinema against violating the Cinematograph Act. He has also stated that according to the Lt. Governor's statement further action is not necessary. Did the Delhi Administration demand to refer this case to the C.B.I. because there is a serious bungling behind it ? But due to the pressure put by the Home Minister and the oversiding authority of the Lt. Governor, no action was taken against this Cinema, though they had violated the law. But on account of some backing, the case was not referred to the C.B.I. and it is being hushed over.

श्री के० के० शाह : प्राय: मेरे माननीय मित्र श्री बलराज मधोक मेरी बात को पूरी तरह से नहीं समझते हैं उप-राज्यपाल कानून के अधीन एक अपीलीय अधिकारी हैं । यदि अपीलीय अधिकारी के इरादों के बारे में संदेह किया जाता है तो अपील कहाँ की जा सकती है ? यदि उप-राज्यपाल ने प्लाजा सिनेमा के पक्ष में निर्णय दिया है, तो मुझे आशा है कि माननीय सदस्य को इस पर आपत्ति नहीं करनी चाहिये ।

श्री बलराज मधोक : दिल्ली प्रशासन एक निष्पक्ष जांच कराना चाहता था । केन्द्रीय गुप्तचर विभाग के माध्यम से जांच कराने में क्या बाधा उत्पन्न हुई है ?

श्री के० के० शाह : यदि उप-राज्यपाल के एक आदेश के विरुद्ध पुन: गृह मन्त्री से अपील की जाती है, तो कोई भी व्यक्ति समझ सकता है । लेकिन कोई अपील नहीं की गई है । तो अब क्या किया जा सकता है ?

Shri O. P. Tyagi : May I know whether Government have received complaints to the effect that a number of persons, who are disloyal to the country, leave the Cinema-hall at the time of the National-anthem with a view to disgrace the National flag, when the National flag is displayed in the last in the Cinema Houses of Delhi. I would like to know from the Government as to what action is being taken in order to get that rule enforced and if you are unable to get that rule enforced, whether you propose to stop the practice of singing National anthem and displaying the national flag in the Cinema Houses ?

Shri K. K. Shah : It is a fact that a number of people go out of the Cinema-halls, when our flag is displayed. ....

Shri S. K. Tapuriah : Get the door closed and do not allow them to go outside.

Shri K. K. Shah : But it is in the hands of the Local Administration. However we have provided that the doors should be closed and they should be opened, only when the flag-displaying is completed.

श्री बलराज मधोक : इस प्रकार के उदाहरण हैं और मैं महसूस करता हूं कि जो लोग खड़े नहीं होते हैं उन्हें पीटा जाय ।

If anybody deliberately does not do that and one does not stand even on request, may I know whether you have any law for taking an action ?

Shri K. K. Shah : You would then complain that police is kept in Cinema Houses also. Therefore we have adopted such a way, as would not make you angry and the aim may got be fulfilled.

प्रधान-मन्त्री, अणु शक्ति, आयोजना तथा वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : सभी नागरिकों को इस मामले मे सहायता करनी चाहिये ।

पश्चिमी जर्मनी समाचार अभिकरण

*666. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : **श्री यशपाल सिंह** :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी जर्मनी समाचार अभिकरण "डिएन्स्टास ड्योट्स्लैंड" दो भारतीय समाचार अभिकरणों यूनिवर्सल प्रेस सर्विस तथा तरुण प्रेस के सहयोग से देश की अखण्डता तथा प्रभुसता के विरुद्ध प्रचार कर रहा है,

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में सरकार द्वारा कोई जांच कराई गई है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा कराई गई जांच का क्या परिणाम निकला तथा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क), (ख) और (ग) : जांच से पता लगा है कि यूनिवर्सल प्रेस सर्विस, मद्रास हैम्बर्ग की "डिएन्स्टास ड्योट्स्लैंड" से प्राप्त सामग्री को वितरित करती है तथा तरुण प्रेस, कलकत्ता टेरेन्टल इन्टरनेशनल प्रेस आफ बर्लिन से प्राप्त सामग्री को भारतीय समाचार-पत्रों को वितरित करता है। "डिएन्स्टास ड्योट्स्लैंड" की ओर से कोई भारत विरोधी कार्रवाई सरकार के ध्यान में नहीं आई है ।

Shri Onkar Lal Berwa : This News Agency sends the news direct to our Indian Newspapers. During the past days when Pakistan attacked India and before that when China attacked India, they did not send those news to our newspapers, but they had been sending other news and because of this our Indian Newspapers gave a bad impression to the people of India. I would like to know as to what you are thinking about them ?

Shri K. K. Shah: I had received complaints about them in the upper House also. Therefore the Home Ministry made investigations and they replied also. We had also written to both the agencies, but they have denied. If you now have any such material, as may prove the facts, you kindly send that to me, Kindly help me in this matter.

Shri Onkar Lal Berwa : Mr. Deputy Speaker, he received complaints and he made investigations also but in vain. I would like to know that action taken by you when you received the complaints ? They tried their level best to defame our country in those days. Such news were neither given to our newspapers nor to the military men and they had been defaming us. Only writing a letter does not serve the purpose but you should have taken a stern action. I would like to know as to what action was taken, how many cases were detected and what investigations were made ?

Shri K. K. Shah : It appears that the hon. Member did not pay heed to the reply of the question. I replied that we searched but we did not get any help in our search. You are, therefore, requested to give the material, if you have any.

Shri Yashpal Singh : According to the rule of the Government, no press can receive papers directly from Germany or China without the consent of the Government. I would like to know as to how the papers reached direct and the Government came to know about it from the newspapers ? The Supreme Government are asking for help from the Members. I would like to know as to what is being done by the Intelligence Bureau, the C.I.D. and the Government, whether one may send the news from China or Germany or from the enemy. After all what are the reasons ?

Shri K. K. Shah : I can only say that your information is not correct and you should accept our information, till you receive any proof against it. No agency functions here direct forthwith. वे भारत की एजेन्सी के माध्यम से काम करते हैं। and the agency does not get any facility direct forthwith. उन्हें भारत की किसी एजेन्सी के माध्यम से काम करना पड़ता है।

श्री वेदव्रत बरुआ : मन्त्री महोदय का उत्तर आश्चर्यजनक है। क्योंकि वह कहते हैं कि जांच की जा रही है और उन्होंने यह भी कहा कि गृह मन्त्रालय से परामर्श किया जा रहा है। जहां तक तरुण प्रेस का सम्बन्ध है, यह बिलकुल स्पष्ट है कि केवल दो वर्ष पहले उसने आसाम और अन्य क्षेत्रों सहित 'संयुक्त सर्वप्रभुत्व संपन्न बंगाल राज्य' का एक मानचित्र परिचालित किया था। इसका शीर्षक टी० पी० प्रकाशन था। यदि यह भारत की प्रभुसत्ता के विरुद्ध भारत-विरोधी गतिविधि नहीं है, तो और क्या है ? सरकार के पास कुछ जानकारी अवश्य होनी चाहिये। सरकार को हमें बताना चाहिये कि जो एजेन्सियां देश का विघटन करने की कोशिश कर रही है, उन पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री के०के० शाह : फिर वही प्रश्न उठाया गया है। मैं मानता हूँ कि यह प्रश्न दूसरी सभा में उठाया गया था। हमने यह तलाश करने की कोशिश की कि क्या ऐसा कोई मानचित्र उपलब्ध है। माननीय मित्र ने वही प्रश्न पूछा है। वह उस मानचित्र की एक प्रति क्यों नहीं देते हैं ?

श्री वेदव्रत बरुआ : यह सभी लोगों को परिचालित किया गया था। यह सौंपा गया था।

श्री समर गुह : विदेशी समाचार-पत्रों और हमारे देश में स्थित राजदूतावासों द्वारा सप्लाई की गई सामग्री के बारे में इस सभा में पूछे गये हमारे एक प्रश्न का उत्तर सरकार ने एक वर्ष के बाद मुझे दिया है। जिसमें कुछ आश्चर्यजनक तथ्य प्रकाश में आये हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हमारे देश में 11 पत्रिकायें प्रकाशित करता है। इस प्रकार वह 50 लाख पत्रिकायें प्रति महीने परिचालित करता है। सोवियत संघ हमारे देश में 42 से अधिक पत्रिकायें निकालता है और इस प्रकार

2.25 करोड़ से अधिक पत्रिकाओं का परिचालन करता है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार इन विदेशी पत्रिकाओं और अन्य पत्रिकाओं के मामले में एक परीक्षण प्रणाली कायम करेगी जिससे विदेशी समाचार-पत्रों और हमारे देश में स्थित विदेशी राजदूतावासों द्वारा सप्लाई की गई सामग्री की यह जाँच की जा सके कि क्या वह सामग्री हमारे देश के हितों महत्व और कुछ मामलों में प्रभु सत्ता के विरुद्ध है। कुछ सामग्री में कतिपय प्रकार की राजनैतिक विचारधारा और गतिविधियों के पक्ष में प्रचार भी किया गया है जिसका नतीजा हम नक्सल पंथी और अन्य गतिविधियों के रूप में केरल नागालैंड आदि प्रदेशों में देख रहे हैं।

श्री के० के० शाह : यह सच है कि सभी विदेशी राजदूतावास नियत कालिक पत्रिकायें तथा अन्य चीजें प्रकाशित करते हैं तथा उनका परिचालन करते हैं। यह भी सत्य है कि जहाँ तक सम्भव होता है हम उन्हें पढ़ रहे हैं—आपको मालूम है कि कितनी पत्रिकायें प्रकाशित हुई हैं। किस सामान्य ढङ्ग से इस पर विचार किया जाये, यह कार्यवाही के लिये एक सुझाव होगा और मैं इसे सम्बन्धित अधिकारियों तक पहुंचाऊँगा।

तमिलनाड कांग्रेस समिति के प्रधान की विश्व के बैंक अध्यक्ष से भेंट

*667. **श्री कामेश्वर सिंह** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, 1968 में तमिलनाड कांग्रेस समिति के प्रधान की वाशिंगटन में विश्व बैंक के अध्यक्ष के साथ एक भेंट हुई थी;

(ख) यदि हां, तो बातचीत का ब्यौरा क्या है; और

(ग) तमिलनाड कांग्रेस समिति के प्रधान ने विश्व बैंक के अध्यक्ष से किस हैसियत से बातचीत की ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) : जी हां।

(ख) ऐसा समझा जाता है कि यह बातचीत सामान्य प्रकृति की थी, जिसमें परिवार नियोजन, विकास तथा कृषि पर और खासतौर से उन्नत किस्म के बीजों पर, विचार-विमर्श हुआ।

(ग) श्री सुब्रह्मणियन ने यह बातचीत निजी हैसियत से की थी।

Shri Kameshwar Singh : Mr. Deputy Speaker, there is a saying in Malyalam-Puchchhak Inatnu Punue Bilkandattu अर्थात् 'बिल्ली को क्या करना है जहाँ सोना बिकना है।' What has a cat to dowhere gold is sold ? If the chief Minister of Keralatalks to some body he is said to be doing something anti-Indian, But the President of Tamilnad Congress has been regarded as an official person. If any person under the Congress goes abroad, he is regarded as a Government-officer. I would like to know from the Prime Minister as to why he met the President of the World Bank when he had nothing to do with him ? May I know whether she has ascertained from the President of the Tamilnad Congress in this regard ?

Prime Minister, Minister of Atomic Eenergy, Minister of Planning and External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : Is it suggested by the hon. Member that the persons, who go abroad should be prohibiter to meet other persons ? In my opinion it is not so. We have not prevented any body to meet anyone. Had it been the question of 'P' form, I would have replied it. At present that is not the question. The question is in regard to the talk of Shri Subramanyam with Shri Macnmara. I have stated that he went there in his personal capacity.

Shri Kameshwar Singh : My first request is that the Prime Minister should repliy to my first question.

उपाध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न श्री सुब्रह्मनियम की विश्व बैंक अध्यक्ष के साथ मुलाकात के बारे में है ।

Shri Kameshwar Singh : Would the Prime Minister state the quantity of foreign exchange spent on Tamiland Congress President's visit and meeting with the President of World Bank ? Would she find out and tell the House as to what talks were held, because such incidents are taking place in this country as cause a suspicion that wrong things are being done ?

Shrimati Indira Gandhi : I am not aware as to how much foreign exchange was spent. I think it would be as much as is given to all persons going abroad and it cannot be much more than that. (Interruption). As regards the talks, I have already stated that when people, go abroad in their personal capacity and hold talks, Government are not concerned with them.

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : प्रश्न यह है कि क्या बातें हुई । लेकिन उसका उत्तर यह है कि बातचीत व्यक्तिगत हैसियत से हुई । उन्होंने अपनी व्यक्तिगत हैसियत से क्या बातें की ? क्या ये बातें भारत, भारतीय वित्त, खाद्य निगम, इस्पात, लोहा के बारे में या किस बारे में हुईं ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैंने प्रश्न को भलीभाँति समझ लिया है और मेरा उत्तर यह था कि निजी बातचीत से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री हेम बरुआ : तमिलनाड के कांग्रेस अध्यक्ष को वाशिंगटन जाकर विश्व बैंक के अध्यक्ष से मिलने के लिये कोई कारण ही नहीं था । निस्संदेह वह वहां अपने पुत्र या पुत्री के, जिसका मुझे पता नहीं है, विवाह का आयोजन करने के लिये नहीं गये थे ।

श्री कन्डप्पन : उसका आयोजन यहां हुआ था ।

श्री श्रीचन्द गोयल : आप किसी तरह कोई उम्मीदवार नहीं हैं ।

श्री हेम बरुआ : उसके लिये मैं बहुत बूढ़ा हूँ ।

श्री सु० कु० तापड़िया : आप कैसे जानते हैं ? क्या आप ओनासिस से छोटे नहीं हैं ?

श्री हेम बरुआ : क्या तमिलनाड के कांग्रेस-अध्यक्ष ने तमिलनाड में सरकार को उलटने के लिये विश्व बैंक के अध्यक्ष से धन के लिये बातचीत की थी ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : नहीं, श्रीमान, अवश्य ही नहीं ।

कुछ असैनिक तथा प्रतिरक्षा उत्पादन योजनाओं में तालमेल बिठाना

*668. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग कुछ असैनिक तथा प्रतिरक्षा उत्पादन योजनाओं में तालमेल बिठा रहा है ताकि विदेशी सहायता को कम किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी कौन सी बड़ी योजनायें हैं ?

उपमन्त्री (डा० सरोजनी महिषी) : (क) और (ख) : सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में पहले ही से जो क्षमतायें उत्पन्न की जा चुकी हैं उनको बढावा देने तथा उनका पूरा उपयोग करने और बाहरी व घरेलू साधनों पर पड़ने वाले दबाव को कम करने के लिये, योजना आयोग

असैनिक और प्रतिरक्षा साधनों में अधिक तालमेल बिठाने की सम्भावनाओं की जांच-पड़ताल कर रहा है ।

श्री श्रीचन्द गोयल : इस बात को देखते हुये कि हमारे योजना शिष्टमण्डल को, जो रूस में सहायता प्राप्त करने के लिये गया है, हमारी इच्छा के अनुकूल सफलता नहीं मिलती और हमें आशा के अनुकूल अपना योजना के लिए विदेशी सहायता प्राप्त नहीं होती और कृषि मूल्यों तथा औद्योगिक मन्दी को देखते हुए संसाधन जुटाने की स्थिति अनुकूल नहीं है तो क्या हम चौथी पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में अपनी नीति में परिवर्तन करने जा रहे हैं ? क्या इस परिवर्तन में गरीब मजदूरों, भूमिहीन श्रमिकों, निर्धन किसानों और बेरोजगार लोगों के हितों का ध्यान रखा जायेगा ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री और वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : यह योजनाओं के बारे में एक प्रश्न है और सामान्य चर्चा नहीं है। माननीय सदस्य जानते हैं कि संसाधन जुटाने के सम्बन्ध में देश के सामने कुछ कठिनाईयां है और प्रत्याशित सहायता भी बहुत कम है। इस कम सहायता के सम्बन्ध में कुछ अच्छी बातें भी हैं क्योंकि इससे हमें प्रेरणा मिलेगी कि हम अपने पांवों पर खड़े होने के लिये अपने प्रयास बढ़ायें। स्पष्ट है कि ऐसे परिवर्तन से, जब कि धनराशि कम होती जा रही हो, अन्य कठिनाईयां पैदा होती हैं। लेकिन योजना आयोग तथा भारत सरकार अधिक निर्धन लोगों तथा वंचित व्यक्तियों की आवश्यकताओं का निरन्तर ध्यान रखती है।

श्री श्रीचन्द गोयल : दूसरा प्रश्न मैं यह पूछना चाहूँगा कि इस मूल्य वृद्धि को रोकने के लिये हम क्या कदम उठाने जा रहे हैं और विभिन्न राज्यों के बीच असंतुलन को दूर करने के लिये हम क्या करने जा रहे हैं ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : वास्तव में इस प्रश्न से यह बात उत्पन्न नहीं होती ।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : हम समझते हैं कि पांच वर्षों के लिये प्रतिरक्षा योजना 6000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 6500 करोड़ रुपये की कर दी गई है। मन्त्री महोदय ने प्रश्न के उत्तर में बताया है कि प्रतिरक्षा उत्पादन के सम्बन्ध में सरकारी क्षेत्र से तालमेल बिठाया जा रहा है। जहां तक हम जानते हैं योजना आयोग में कोई सक्रिय प्रतिरक्ष वभाग (सेल) नहीं है और प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं के बारे में योजना आयोग से पहले कभी परामर्श नहीं किया गया है। अब क्या यह परिवर्तन किया जा रहा है और क्या हम प्रधान मन्त्री महोदय से जान सकते हैं कि क्या योजना आयोग में एक नया सक्रिय प्रतिरक्षा विभाग बनाया गया है और वह सरकारी क्षेत्र के उत्पादन के साथ प्रतिरक्षा उत्पादन का तालमेल किस प्रकार बिठाने वाला है ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : योजना आयोग की ऐसी कोई योजना नहीं है कि वह प्रतिरक्षा उत्पादन के बारे में सलाह दे । हम केवल यह अनुमान लगाना चाहते हैं कि प्रतिरक्षा सम्बन्धी कौन-कौन सी आवश्यकताये विभिन्न क्षेत्रों से पूरी की जा सकती हैं। हम इस समस्या के प्रति जागरूक हैं। विभिन्न अध्ययन आरम्भ किये गये हैं और इनमें से कुछ समस्याओं को समझ लिया गया है। हमने कुछ ऐसे क्षेत्रों का भी पता लगाया है जहाँ प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकतायें गैर-प्रतिरक्षा उत्पादकों द्वारा पूरी की जा सकती हैं। अब इन मदों की छानबीन की जा रही है। योजना आयोग में ऐसा कोई प्रतिरक्षा विभाग नहीं है ।

श्री लोबो प्रभु : मैं प्रतिरक्षा मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह उत्तर में सहयोग दें। प्रतिरक्षा उत्पादन में सक्रिय फौजी कार्रवाई के दौरान तोड़-फोड़ की आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिये हमेशा आरक्षित क्षमता रखी जाती है। पूर्ववर्ती मन्त्री श्री कृष्णा मेनन ने इस क्षमता का उपयोग काफी परकोलेटर्स बनाने के लिये किया। (**व्यवधान**) दूसरे देशों में यह आरक्षित क्षमता गैर-सरकारी क्षेत्र में उत्पन्न की जाती है और करदाता पर कोई बोझ नहीं डाला जाता। मैं प्रतिरक्षा मन्त्री से दो प्रश्न पूछना चाहूँगा : पहले, क्या प्रतिरक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आरक्षित क्षमता, अनुपयुक्त क्षमता का कोई अनुमान लगाया गया है और क्या उसका उपयोग करने की कोई योजना है ? दूसरा, क्या गैर-सरकारी क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने की कोई योजना है क्योंकि इस समय यह केवल एक प्रतिशत है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : प्रतिरक्षा उत्पादन में अतिरिक्त क्षमता का उपयोग पुलिस या सीमा सुरक्षा बल या कभी-कभी रेलवे जैसी अन्य संस्थाओं के लिये उत्पादन करने के लिये किया जाता है। मुख्य रूप से हम प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने पर ध्यान देते हैं। कपड़ा बनाने आदि के कारखानों में कुछ फालतू क्षमता है और इसलिए इसका उपयोग वर्दी बनाने के लिए किया जाता है और शेष क्षमता गैर-प्रतिरक्षा उपयोक्ताओं को दे दी जाती है। जहां तक गैर-सरकारी क्षेत्र का सम्बन्ध है, जैसा कि प्रधान मन्त्री ने उल्लेख किया है, हम गैर-सरकारी क्षेत्र की क्षमता का उपयोग करना चाहते हैं और प्रतिरक्षा क्षेत्र में उन क्षमताओं को स्थापित करने का हमारा इरादा नहीं है। योजना आयोग के सदस्य (उद्योग) की अध्यक्षता में एक समिति ने, जिसमें प्रतिरक्षा सचिव, प्रतिरक्षा उत्पादन सचिव, और उद्योग सचिव, ने भाग लिया था, इस बारे में काफी अध्ययन किया है। गैर-सरकारी क्षेत्र में जो भी क्षमता उपलब्ध होगी उसका उपयोग उत्पादन प्रतिरक्षा की कमी को पूरा करने के लिये किया जायेगा। उदाहरण के तौर पर गैर-सरकारी क्षेत्र में पेच ढलाई क्षमता तथा बेलन क्षमता जैसी अलौह धातुओं का प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिये उपयोग किया जायेगा।

श्री स० मो० बनर्जी : सबसे पहले, मैं श्री लोबो प्रभु द्वारा भूतपूर्व प्रतिरक्षा मन्त्री, श्री कृष्णा मेनन के विरुद्ध की गई टिप्पणी का विरोध करता हूँ। एक संसद सदस्य के रूप में नहीं बल्कि प्रतिरक्षा विभाग के एक भूतपूर्व कर्मचारी के रूप में मैं कह सकता हूं कि उन्होंने प्रतिरक्षा उत्पादन के लिये पक्की नींव रखी। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कॉफी परकोलेटर !

श्री स० मो० बनर्जी : यह केवल एक मद है; बहुत-सी मदों को भुला दिया गया है। अब मैं जानना चाहूंगा कि क्या प्रतिरक्षा मन्त्री और योजना मन्त्री की यह नीति है कि उन मदों को गैर-सरकारी क्षेत्र को न दिया जाये जिनका निर्माण सैनिक कारखानों में किया जा सकता है और क्या प्रतिरक्षा मन्त्री सभा को आश्वासन दे सकते हैं कि गैर-सरकारी क्षेत्र के नाम पर सैनिक कारखानों से काम छीनने के कारण आयुध कारखानों को नुकसान नहीं होगा ?

श्री स्वर्ण सिंह : मुझे आशा है कि मैंने उत्तर में ऐसा कुछ नहीं कहा। आयुध कारखानों की क्षमता का अधिकतम उपयोग करना होगा लेकिन अनेक कमियां हैं जिन्हें गैर-सरकारी क्षेत्र की क्षमता का उपयोग करके पूरा किया जा सकता है। मेरा विचार है कि मैंने स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है।

श्री स० मो० बनर्जी : महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। इस समय कपड़े के सभी कारखानों को नुकसान हो रहा है क्योंकि कई मदें गैर-सरकारी क्षेत्र को दे दी गई हैं क्योंकि उसे सस्ता समझा जाता है। इस बात को देखते हुए कि आयुध कारखानों में अनेक मदों को अधिशेष घोषित किया जाता है– इस समय 40 प्रतिशत है क्या मन्त्री महोदय हमें आश्वासन देंगे कि उस फालतू क्षमता का उपयोग किया जायेगा और जब आयुध कारखाने कोई काम लेने से इन्कार कर देंगे तभी उसे गैर-सरकारी क्षेत्र को दिया जायेगा ?

श्री स्वर्ण सिंह : मोटे तौर पर मैंने यह कहा है लेकिन मैं सभा को सूचित करना चाहूंगा कि लोक-लेखा समिति ने इस मामले पर विचार किया है और उसने कुछ सिफारिशें की हैं कि कुछ काम जो इस समय इन कारखानों में किया जाता है, गैर-सरकारी क्षेत्र को दे दिया जाये। इसलिये, इसके सम्बन्ध में मतभेद हो सकता है।

श्री स० मो० बनर्जी : केवल शत्रु को धोखे में डालने के सैनिक जाल हैं।

श्री स्वर्ण सिंह : जैसा कि मैंने पहले कहा है, हमारी यह कोशिश रहेगी कि आयुध कारखानों की मौजूदा क्षमता का अधिक से अधिक उपयोग किया जाये। सामान्य रूप से जो कुछ हम आयुध कारखानों में बनाते हैं वह काम बाहर के लोगों को नहीं दिया जा सकता क्योंकि इससे आयुध कारखानों में बेरोजगारी की समस्या पैदा होगी। इस सम्बन्ध में आम तौर पर हम यह रवैया अपनाते हैं।

श्री रणजीत सिंह : इस देश में खेद की बात यह है कि यहां जो स्थितियां उत्पन्न होती हैं उनकी प्रतिक्रियाओं पर हमारे सभी प्रतिरक्षा कार्यक्रम आधारित होते हैं। 1962 में जब हम पर आक्रमण किया गया तब हमने गैर-सरकारी क्षेत्र का सहयोग प्राप्त करने के लिये एक विस्तृत योजना बनाई। मुझे याद है कि बम्बई के जेनिथ कारखाने और इण्डियन टयूब कम्पनी ने आपस में सहयोग किया और हमारी सेना के लिये राकेट टयूब बनाने पर लाखों रुपये खर्च किये। चीन का खतरा खत्म हो जाने के बाद हमने उस उत्पादन कार्यक्रम को बिल्कुल छोड़ दिया। वह सब धन, शक्ति, प्रयास और जानकारी बेकार हो गई। इसके लिये स्थापित की गई संस्था भी बेकार हो गई और हमारे पास इन राकेट टयूबों की अब भी कमी है। हम हमेशा यह सोचते रहते हैं कि जब एक शत्रु आक्रमण करता है तो हमें पर्याप्त चेतावनी दी जायेगी। हमने दो अवसरों पर देख लिया है कि ऐसी चेतावनी सम्भव नहीं है। क्या सरकार कभी जागेगी और दीर्घावधि योजना शुरू करेगी ? क्या सहायता प्राप्त करने, उत्पादन क्षमता का प्रयोग करने, गैर-सरकारी क्षेत्र की उत्पादन-क्षमता का प्रतिरक्षा उत्पादन के लिये उपयोग करने के लिये एक समिति स्थापित की जायेगी ? यह समिति योजना आयोग का एक भाग हो सकती है जैसा कि श्रीमती मुकर्जी ने सुझाव दिया है, ताकि उत्पादन के क्षेत्र में अधिक अच्छे ढंग से प्रतिरक्षा तैयारी की जा सके।

श्री स्वर्ण सिंह : प्रारम्भिक भाग के बारे में कुछ न कहकर मैं उस विशेष प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा जो अन्त में आया है। यह एक लम्बा प्रश्न है जिसमें वह मुझसे कोई प्रश्न पूछने के बजाय जानकारी देना चाहते थे।

श्री रणजीत सिंह : मुझे जानकारी देनी पड़ी क्योंकि आपके पास जानकारी नहीं है।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं सामान्य रूप से आभारी हूँ लेकिन प्राथमिक बातों के लिये नहीं।

हमारी सदा यह नीति रही है कि प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये दीर्घावधि योजना बनाई जाये। इसके बारे में कोई नया सुझाव नहीं दिया जा रहा है। जैसा कि मैंने कहा हैं हम यह प्रयास करते हैं कि प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र की क्षमताओं का प्रयोग किया जाये। इसके सम्बन्ध में यदि किसी पुनरनुस्थापन की आवश्यकता हुई तो ऐसा अवश्य किया जायेगा।

Atomic Power Stations

*670. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the present system of making separate Departments responsible for power and for atomic energy and putting the ultimate responsibility on the State Electricity Board in retarding the development of Atomic Power Stations ; and

(b) if so, whether Government propose to set up an agency which may establish and run Atomic Power Stations and also supply electricity to the State Electricity Boards ?

उप-मन्त्री (डा० सरोजनी महिषी) : (क) तथा (ख) परमाणु ऊर्जा विभाग के सुपुर्द न केवल परमाणु बिजली घर लगाने का काम किया गया है बल्कि यह विभाग अपने द्वारा स्थापित संगठनों के मार्फत उन बिजली घरों को चलाने और उनमें पैदा परमाणु बिजली की सप्लाई राज्य बिजली बोर्डों को करने के लिये भी जिम्मेदार है। वर्तमान व्यवस्था से परमाणु बिजली घरों के विकास में कोई बाधा नहीं पड़ी है।

Shri Maharaj Singh Bharati : Mr. Deputy Speaker, those old days when Power Stations were set up for producing electricity, are no more now. The Government of India have been thinking of setting up Power Complexes in future. Not only Atomic Power Stations but a number of factories will have to be set up and they are not going to produce less than 10 lakh kilowatts of electricity. It is somewhat contradictory that Atomic Power Houses would be set up by the Central Government and the work of producing and distributing electricity would be entrusted to State Electricity Boards. How can Government assess the real electricity requirements of the States ? Do Government propose to set up a machinery in this regard with a view to ensure coordination between the central and the State Governments ?

डा० सरोजनी महिषी : अणु शक्ति अधिनियम, 1962 के अनुसार अणु शक्ति विभाग को व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं। इसे सम्पूर्ण देश के लिये एकसी राष्ट्रीय नीति निर्धारित करने और इस सम्बन्ध में कार्य करने वाली सभी संस्थाओं के बीच ताल मेल बिठाने का अधिकार है। अणु शक्ति विभाग को समन्वय कायम करने का अधिकार है और वह इस दिशा में प्रयत्न करता रहेगा। जैसा कि माननीय सदस्य कहते हैं, राज्य विद्युत बोर्ड और अणु शक्ति विभाग कार्यों की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे।

Shri Maharaj Singh Bharati : Mr. Deputy Speaker, my question does not pertain to constitutional rights. My question is that atomic energy is going to be the basic thing and the work of assisting the electricity requirements should be undertaken by states and not by the centre. There is no question of overlapping. Atomic complex is going to be the lease of power generation and there is no contention about constitutional rights. The constitutional rights can also be amended. I would like to know whether Government propose to ensure coordination between the functions of State Electricity Boards and those of Atomic Energy Department in view of the electricity requirements on a large Scale.

The Prime Minister (Shrimati Indira Gandhi) : The hon. Member should not get angry like this. He has rightly enquired about the coordination between State Electricity Boards and Atomic Energy Department. Obviously such programmes are always chalked out after consultation with State Governments and the authorities concerned. But every thing cannot be entrusted to State Electricity Boards. Every thing is being done through coordination. Nothing can be done without coordination.

उपाध्यक्ष महोदय : सदस्य महोदय के आस पास बैठे सदस्य महोदय इतना शोर कर रहे हैं कि संभवत: आपकी बात अच्छी तरह समझ में नहीं आ रही है। यदि आप उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप फिर पूछ सकते हैं, लेकिन शोरगुल नहीं होना चाहिए।

Shri Maharaj Singh Bharati : Yes Sir. I an repeating. I would like to know whether states have to submit their demands of electricity requirements to the Atomic Energy Commission in regard to the development of Atomic Power and the Commission has to consider their demands. If so, kindly state and if not, let me know about the system proposed to be established with a view to bring about coordination between the electricity requirements of the states and the development of atomic power.

Shrimati Indira Gandhi : The existing system is that the Ministry of Irrigation and Power, Planning Commission and State Governments take decisions regarding electricity requirements after thorough consultation and the plan is chalked out on an All India level.

Shri Prem Chand Verma : I would like to know the names of the States where Atomic Power Stations are working at present and also the capacity of those Power Stations and the names of the States where Power Stations are proposed to be set up and the proposed capacity of such Power Stations.

Dr. Sarojini Mahishi : Atomic Power Stations have been set up in Bombay, Rajasthan and Madras. Generation of electricity has not been started so far. It would be started at Tarapur in Bombay in June next.

Shri A. B. Vajpayee : When will Atomic Power Station be set up in Uttar Pradesh ?

Shri Prakash Vir Shastri : Sometime back Government of Uttar Pradesh had submitted a suggestion for the supply of electricity produced from atomic energy to four states namely, Uttar Pradesh. Delhi, Haryana and Rajasthan and had suggested that such a Power Station be set up at Naurora and the question has been pending for a long time in the Atomic Energy Department. I would like to know whether any decision has been taken in this regard and if not the time by which final decision is likely to be taken in this regard.

Dr. Sarojini Mahishi : The question is still under consideration and final decision has not so far been taken in this regard.

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : देश के विभिन्न भागों में परमाणु बिजली घर स्थापित करने या इस सम्बन्ध में प्राथमिकता देने का निर्णय किस आधार पर किया जाता है ?

डा० सरोजनी महिषी : परमाणु बिजली घर स्थापित करने का निर्णय कई बातों पर विचार करने के बाद किया जाता है।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : परमाणु बिजली घर स्थापित करने के लिये स्थान का चयन करने या इस सम्बन्ध में प्राथमिकता देने के बारे में मुख्यतया किन बातों पर विचार किया जाता है। इस सम्बन्ध में बहुत सी बातें हो सकती हैं, लेकिन मुख्य बातें क्या हैं ?

डा० सरोजनी महिषी : इस संबंध में बहुत सी बातों पर विचार करना होता है। जिस क्षेत्र में बिजली घर कायम करना हो वहां कच्चा सामान उपलब्ध होना चाहिये और बिजली का उत्पादन सस्ता होना चाहिये।

श्री गिरिराज शरण सिंह : मैं प्रधान मन्त्री से यह पूछना चाहता हूँ कि परमाणु बिजली घरों से उत्पन्न होने वाली फालतू रेडियो एक्टिव सामग्री के निपटारे के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

डा० सरोजनी महिषी : इस सम्बन्ध में समुचित कदम उठाये गये हैं। मैं नहीं समझती कि सदस्य महोदय यह चाहेंगे कि हम ये सभी बातें बता दें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शिव नारायण, अन्तिम अनुपूरक प्रश्न।

Shri Sheo Narain : Our Government believes in socialism and is in favour of nationalisation. There is no coordination in respect of atomic energy and electricity. Why should Government not take charge of electricity and do away with Boards etc.?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री विभूति मिश्र।

Shri Sheo Narain : Mr. Deputy Speaker, my question should be answered.

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार ने आपके सुझाव क ध्यान में रख लिया है।

Institute for Training Ambassadors

*671. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that such persons are appointed as Ambassadors to various countries as have no knowledge of foreign affairs ; and

(b) if so, whether Government propose to set up a suitable training institutes for the purpose of imparting the oretical and practical training in this field?

The Deputy Minister of External Affairs (Shri Surindra Pal Singh) :

(a) The vast majority of the Heads of our Missions and Posts are Foreign Service Officers of requisite experience and seniority. However, a certain number of non-Service persons drawn from other walks of life are also appointed. Before taking up their assignments they are briefed in great detail about India's policial, economic, commercial and cultural policies.

(b) Presumably, the Hon'ble Member's suggestion for a suitable training institute is meant for the non-career Heads of Missions and Posts. Government do not consider this to be necessary.

Shri Bibhuti Mishra : India has been a land of experts. Persons like chanakya were born in India. But I do not think that the Ambassadors appointed in foreign countries by our Government have rendered so much service to our country as chanakya rendered while he lived in this country. The Ministers defeated in elections were appointed Ambassadors. Will this briefing help our ambassadors in carrying out their duty? What sort of training Government propose to import to our ambassadors posted abroad? Hannuman was the first ambassador in the world who was sent to Ceylon. I would like to know about the steps taken by our Government in this regard.

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : सार्वजनिक जीवन से जिन लोगों को राजदूत बनाकर विदेशों में भेज दिया जाता है उनके लिये प्रशिक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन उन्हें समुचित जानकारी देने और उनके साथ विचार विमर्श करने के सम्बन्ध में बहुत से कदम उठाये जाते हैं। उन्हें

देश की राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में समुचित जानकारी दी जाती है। ये लोग मान्य व्यक्ति होते हैं और उन्हें प्रशिक्षण के लिये किसी संस्थान में जाने की आवश्यकता नहीं हैं। वे इस देश की गति-विधियों से भली-भांति परिचित होते हैं और उन्हें इस सम्बन्ध में पर्याप्त जानकारी दी जाती है।

Shri Bibhuti Mishra : I would like to know whether Government propose to appoint Ambassadors through Union Public Service Commission. Will Government appoint experts of Political Science as ambassadors in foreign countries ? I would like to know the main factors which are taken into consideration while appointing ambassadors an foreign countries.

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : जहां तक वृत्तिक राजनयिकों का सम्बन्ध है, हम सभी जानते हैं कि उन्हें लोक सेवा आयोग के जरिये सेवा में लिया जाता है। सार्वजनिक जीवन से केवल उन्हीं लोगों को राजदूत नियुक्त किया जाता है जिन्हें सरकार इस योग्य समझती है कि वे सरकारी नीतियों को कार्यान्वित करेंगे।

श्री क० लकप्पा : हारे हुए कांग्रेसी नेताओं को राजदूत के रूप में नियुक्त किया जाता है और इन लोगों को भारतीय जीवन तथा संस्कृति का कोई ज्ञान नहीं होता। विदेशी दूतावासों का दौरा करने वाले सदस्यों से, जिनमें कांग्रेस के प्रधान श्री निजलिंगप्पा भी, जिन्हें जापान में तंग किया गया था, शामिल हैं, यह मालूम हुआ है कि भारत का सम्मान कम हो गया है। क्या सरकार यह निश्चय करेगी कि वह भविष्य में हारे हुए कांग्रेसी नेताओं और राजनीतिज्ञों को राजदूत नहीं नियुक्त करेगी ? मैं इस सम्बन्ध में प्रधान मन्त्री से निश्चित आश्वासन चाहता हूँ।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : यह सच है कि कुछ हारे हुए कांग्रेसी नेताओं को राजदूत नियुक्त किया गया है। 75 राजदूतों में से केवल 4 ही ऐसे राजदूत हैं। प्रश्न यह उठता है कि कोई व्यक्ति राजदूत के पद पर नियुक्त किये जाने योग्य है या नहीं। उन लोगों ने किसी विशेष उद्देश्य के लिये चुनाव लड़ा था और यह सच है कि वे हार गये। लेकिन चुनाव में हारने का यह अर्थ नहीं है कि वे इन पदों पर नियुक्त किये जाने के लिये अयोग्य ठहरा दिये जायें। वे प्रसिद्ध और योग्य व्यक्ति हैं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : माननीय सदस्य ने विशेष रूप से जापान के बारे में कहा है। माननीय सदस्यों को मालूम होना चाहिये कि वहाँ पर हमारा वृत्तिक राजनयिक है।

श्री कंवर लाल गुप्त : तो क्या ? (**व्यवधान**) क्या यह उचित उत्तर है ? महोदय, क्या आप प्रधान मन्त्री के उत्तर से संतुष्ट हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने एक प्रश्न पूछा। इस ओर से उत्तर आ गया है। श्रीमती सुशीला रोहतगी।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : वर्तमान इतिहास और भारत की स्थिति की राजदूतों को जानकारी कराने के अतिरिक्त क्या मन्त्रालय हमारे धर्म, संस्कृति, पिछली विरासत और उन सभी चीजों की जानकारी भी राजदूतों को देता है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। क्या राजदूतों के लिए यह भी अनिवार्य होता है कि वे वहां पर हमारे देश के सच्चे प्रतिनिधि बन जायें।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : परिचय व्यापक होना है। इन सभी बातों का ध्यान रखा जा रहा है।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथन् : पराजित उम्मीदवारों को राजदूत नियुक्त करने का प्रश्न उठा है। हमारा तर्क यह है कि ऐसी बात नहीं है कि एक व्यक्ति एक बार पराजित हो जाने के बाद बिल्कुल अयोग्य हो जाता है। वह बहुत ही सक्षम हो सकता है और हो सकता है कि उसकी पराजय अवांछनीय ढंग से हुई हो। लेकिन जब वह दूसरे देश में इस देश के राजदूत के रूप में जाता है तो उसका क्या महत्व रह जाता है जब वहां के लोगों को मालूम यह हो जाता है कि इस व्यक्ति की चुनाव में हार हुई थी। वह क्या आदर्श कायम कर सकेगा जब दूसरे देशों को यह मालूम होगा कि उस व्यक्ति की चुनाव में हार हुई है और इसलिए उसे बाहर भेज दिया गया है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकती हूं कि ऐसी कोई गलत धारणा नहीं है। वास्तव में कई अन्य देश भी ऐसा करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हो गया है।

श्री हेम बरुआ : मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं। भारतीय राजनयिकों का अज्ञान सर्वविदित है। एक घटना है जिसमें एक भारतीय राजनयिक ने हमारे प्रसिद्ध कवि श्री वात्सायन का परिचय अपने श्रोताओं के सामने काम-सूत्र के लेखक के रूप में दिया था। श्री तारिक को ईरान का राजदूत भी नियुक्त किया जा रहा है।

Shri Kanwar Lal Gupta : There is no other work except Cocktail Parties.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIO

Foreign Exchange Received by Universal Press Service and Tarun Bharat News Agencies

*661. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that large amount of foreign exchange has been received by the Universal Press Service and Tarun Bharat as compared to other news agencies ; and

(b) if so, the amount in foreign exchange and Indian currency received by them from abroad since 1961 so far in the form of grant or in some other way on the basis of data compiled by Government ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) and (b) : According to information furnished by the Universal Press Service in their import application, they earned the following amount from West Germany :--

1961	Rs. 25,235.00
1962	Rs. 1,48,737.27
1963	Rs. 1,76,142.60
1964	Rs. 1,98,283.00
1965	Rs. 1,85,776.00
1966	Rs. 2,22,741.00
1967 (upto 2-6-67)	Rs. 1,37,713.25

Information is not available regarding the foreign exchange received by the Tarun Press of Calcutta or the amount received by both the agencies in Indian currency.

पाकिस्तान से हिन्दुओं का प्रवर्जन

*662. श्री कंवर लाल गुप्त : श्री जि० व० सिंह :
श्री शारदानन्द :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1950 में हुए नेहरू-लियाकत करार के पश्चात् पाकिस्तान से कुल कितने हिन्दू भारत आए ;

(ख) 1950 के पश्चात् भारत से कितने मुसलमान पाकिस्तान गए ;

(ग) क्या यह सच है कि 1950 के पश्चात् पाकिस्तान में गैर मुसलमानों की जनसंख्या बहुत ही कम हो गयी है और भारत में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ गई है ; और

(घ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में नवीनतम आँकड़े क्या हैं ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): (क) और (ख) : अक्तूबर, 1952 में भारत-पाकिस्तान पासपोर्ट एवं वीजा योजना शुरू होने के बाद से ही हमने भारत-पाकिस्तान आने-जाने वालों के वार्षिक आंकड़े रखे हैं। इस तरह; जनवरी, 1953 और अगस्त, 1968 के बीच 17,07,076 गैर-मुसलमान पाकिस्तान से भारत आए और 2,15,470 मुसलमान भारत से पाकिस्तान गए।

(ग) 1951 और 1961 के बीच पाकिस्तान में गैर- मुसलमान आबादी 14.1 प्रतिशत से घटकर 11.9 प्रतिशत रह गई। इसी अवधि में मुसलमान धर्म को मानने वाली भारतीय नागरिकों की आबादी 9.93 प्रतिशत से बढ़ कर 10.07 प्रतिशत हो गई।

(घ) 1961 की जनगणना के अनुसार, पाकिस्तान में गैर-मुसलमान आबादी एक करोड़ ग्यारह लाख साठ हजार थी और भारत में मुसलमानों की आबादी चार करोड़ उनहत्तर लाख। ऐसा अनुमान है कि अब भारत में मुसलमानों की आबादी छह करोड़ है।

Corruption Cases in External Affairs Ministry

*664. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** **Shri Bharat Singh Chauhan :**
Shri Hardayal Devgun : **Shri Ram Singh Ayarwal :**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of cases of corruption, bribery, theft and other criminal offences detected in his Ministry during the period from the 1st July to 30th September, 1968 ;

(b) the number of such cases against which prosecutions have been launched and the number of such cases as are being investigated by the Central Investigation Bureau ; and

(c) the measures being taken to check such cases ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surindra Pal Singh) : (a) and (b) During this period three complaints came to the notice of the Ministry of External Affairs. Two cases are being investigated by the Central Bureau of Investigation and the third by the Delhi Police. These investigations are still in progress.

(c) The vigilance arrangements in the Ministry and its attached offices as well as in all the Missions and Posts abroad are being constantly kept under review and strengthened.

Broadcast in Sanskrit from A.I.R.

*669. **Shri Jagannath Rao Joshi** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the total time allotted for broadcasts in Sanskrit by all the stations of the All India Radio ; and

(b) the duration for which Sanskrit and regional languages are tought ?

The Minister of Information and Broadcating (Shri K. K. Shah) : (a) and (b) A statement containing information relating to total time allotted for broadcasts in Sanskrit by all Stations of All India Radio and duration for which Sanskrit is taught from these Stations, is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-2647/68]**. Information about the duration for which regional languages are taught from A.I.R. stations is being collected and will be laid on the Table of the House.

छावनी क्षेत्रों में भूमि का अर्जन तथा छावनी बोर्डों का लोक तंत्रीय शासन

*672. **श्री मधु लिमये** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जबलपुर समेत सभी छावनी क्षेत्रों में भूमि अर्जन भूमि के प्रयोग भूमि पर नव निर्माण आदि के बारे में कोई ज्ञापन-पत्र प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या सरकार का विचार नियमों में परिवर्तन करने तथा स्थानीय छावनी शासन को लोकतंत्रीय बनाने के लिए नया विधेयक पुरःस्थापित करने का है ;

(ग) यदि हां, तो ये परिवर्तन अनुमानतः किस तारीख तक कर दिये जायेंगे विधेयक पारित कर दिया जायेगा ; और

(घ) अन्याय तथा विषमता को दूर करने की दृष्टि से उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित विषयों के बारे में आदेशों में परिवर्तन करने हेतु क्या उपचारी उपाय किये गये हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जबलपुर छावनी में कृषि संबंधि पटटों के पुनः नविकरण के संबंध में और "पुराना अनुदान" शर्तों पर रखी गई भूमि पर नव निर्माण आदि के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ख) अन्य बातों के साथ छावनी प्रशासन को और लोकतंत्रीय रूप देने के बिचार से छावनी अधिनियम 1924 में व्यापक संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

(ग) यद्यपि कार्यवाही शुरू कर दी है लेकिन कोई निश्चित तारीख बताना असंभव है ।

(घ) जबलपुर छावनी में कृषि-पट्टों का समय एक वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है । जहाँ तक पुराने अनुदान वाले स्थानों पर नव निर्माण-कार्य का प्रश्न है उसमें कोई विषमता या अन्याय की बात नहीं है ।

भारतीय चलचित्र वित्त निगम लिमिटेड

*673. **श्री प्रेम चन्द्र वर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के चलचित्र वित्त निगम लिमिटेड को कब और किन उद्देश्यों हेतु स्थापित किया गया था ;

(ख) इस निगम की स्थापना के लिए क्या कोई विदेशी सहयोग प्राप्त किया गया था और यदि हाँ, तो सहयोग देने वाले देशों के नाम क्या हैं और सहयोग की शर्तें क्या थीं और सहायता के रूप में कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ; और

(ग) क्या इस समय निगम के सामने कोई कठिनाइयों हैं और सरकार का विचार उनको किस प्रकार दूर करने का है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) :

(क) फिल्मों के स्तर को उठाने के दृष्टिकोण से अच्छे स्तर और उच्च कोटि की फिल्मों के निर्माण के लिये वित्तीय या अन्य सुविधायें प्रदान कर फिल्म उद्योग की सहायता तथा प्रोत्साहन करने के उद्देश से फिल्म वित्त निगम की मार्च, 1960 में स्थापना की गई थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) निगम के सम्मुख मुख्य कठिनाई धन की है। फिल्मों को देरी से पूरी होने तथा वितरण सुविधायें के अपर्याप्त होने के साथ-साथ नियमित रूप से पर्याप्त धन प्राप्त न करने के कारण ऋण की राशि की वसूली में कुछ प्रारम्भिक देरी हुई। सरकार तथा निगम दोनों ही इन कठिनाइयों से परिचित हैं। वसूली की रफ्तार को तेज कर दिया गया है और नियमित वित्तीय सहायता के तरीके खोजे जा रहे हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष की जापान यात्रा

*674. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कांग्रेस अध्यक्ष, श्री निजलिंगप्पा से उनकी अगस्त, 1968 की जापान यात्रा के बारे में प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

(ख) क्या टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास से भी इस दौरे के बारे में कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) क्या यह सच है कि श्री निजलिंगप्पा ने टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास के कर्मचारियों के रवैये के बारे में शिकायत की है; और

(घ) क्या सरकार ने श्री निजलिंगप्पा को अधिकार दिया था कि वह दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग के बारे में जापान की सरकार से बातचीत करें ?

प्रधान मन्त्री अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

(क) और (घ) श्री निजलिंगप्पा ने इण्डो जापानीज एसोसिएशन के निमत्रंण पर जापान यात्रा की थी। यह यात्रा और उसके दौरान हुई बातचीत सरकार के प्रतिनिधि की हैसियत से नहीं की गई थी। यात्रा से लौटने पर उन्होंने प्रधान मन्त्री को गोपनीय तौर पर अपने अनुभवों से अवगत किया।

(ख) विदेश-स्थित हमारे दूतावास आमतौर पर अन्य मामलों के साथ भारत से आने वाले विशिष्ट व्यक्तियों अथवा प्रतिनिधि-मण्डलों की विदेश यात्रा के बारे में सरकार को लिखते हैं।

(ग) जी, नहीं।

High Power Trans mitters

*675. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether any progress has been made in the implementation of the proposal under consideration for the last many years for installing high-power transmitters ;

(b) if not, the main hurdles therein ;

(c) the time by which Government would be able to instal such high power transmitters ; and

(d) whether it is a fact that Indian broadcasts are not as audible as the programmes broadcast by China and Pakistan in the border areas and in other parts of the country in the absence of such powerful transmitters ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) Yes, Sir, Under the current development programme three high power transmitters have already been commissioned and another is expected to be commissioned shortly. The work on the remaining 12 high power transmitters is in progress.

(b) Does not arise.

(c) These transmitters are expected to be completed progessive over a period of next 3-4 years.

(d) Yes Sir, in certain areas bordering China and Pakistan. The position will improve progressively with the commissioning of these transmitters.

आकाशवाणी द्वारा गांधी शताब्दी कार्यक्रम

*676. **श्री सं० चं० सामान्त** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारण है कि विश्व के विभिन्न देश 2 अक्तूबर, 1968 से आरम्भ होने वाले वर्ष में गांधी शताब्दी कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं परन्तु आकाशवाणी तथा टेलीविजन अक्तूबर, 1969 से ही इस कार्यक्रम का विस्तार से प्रसारण करेंगे; और

(ख) आकाशवाणी तथा टेलीविजन में गांधी शताब्दी के लिए तैयार की गई योजना की रूपरेखा क्या है और इस कार्यक्रम का प्रसारण कितने घंटे किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) यूनेस्को की एजेन्सी के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय गांधी शताब्दी वर्ष के एक भाग के रूप में आकावाणी 2 अक्तूबर, 1968 से इस वर्ष को मना रहा है। राष्ट्रीय गाँधी शताब्दी 2 अक्तूबर, 1969 से 22 फरवरी, 1970 तक मनाई जायेगी। इन तारीखों में अन्तर इस कारण है कि यू० एन० ओ० वर्ष के आरम्भ को मनाता है जब कि हम अन्त में मनाते हैं।

(ख) ध्वनि प्रसारण योजना में गांधी जी के जीवन और शिक्षाओं पर भारत तथा विदेश के प्रसिद्ध व्यक्तियों के द्वारा साक्षात तथा रिकार्ड की गई वार्तायें, गांधी जी को सत्य और अहिंसा का देवदूत बताते हुए फीचर, गांधी जो की स्मृति में आरकेस्ट्रा रचना तथा विभिन्न प्रकार के

कार्यक्रम जो आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से अंग्रेजी और अन्य प्रादेशिक भाषाओं में प्रसारित किये जाने हैं, शामिल हैं। टेलीविजन योजना में गांधी जी पर क्रमानुसार एक लम्बी फिल्म प्रस्तुत करना, स्थानीय रूप से तैयार किये गये छोटे कार्यक्रम, डाकुमेन्ट्री सामग्री जो संसार की टेलीविजन के विभिन्न संगठनों से प्राप्त की जानी है, विभिन्न समुदायों से लिये गये व्यक्तियों से इन्टरव्यू तथा चर्चायें और भारत तथा विदेशों में होने वाले समारोहों को टेलीविजन में दिखाया जाना शामिल है। कार्यक्रम की योजना किसी निश्चित अवधि के आधार पर नहीं की गई है।

Republic Day Parade Passes

*677. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government had received complaints from a number of Members of Parliament that they had not received their Invitation Cards in time to see the Republic Day Parade on the 26th January, 1968 ;

(b) whether Government are aware that a number of Invitation Cards for Republic Day Parade are received by unauthorised persons and that they are even sold there ; and

(c) the action being taken by Government to regulate the process of issuing Invitation Cards for the Republic Day Parade ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) Complaints from some of the MP's were received near about 21st January, 1968 to the effect that they had not received their Invitation Cards for the Republic Day Parade. In such cases, Invitation Cards were promptly delivered. There was no complaint from any MP that he could not witness the Parade due to non-receipt of the Invitation Card.

(b) A few cases of wrong delivery of Cards had come to notice, However, no case of sale of Invitation Cards has come to the notice of Government.

(c) Every year, after the Republic Day Celebrations are over, arrangements are reviewed and remedial measures taken where necessary.

Rehabilitation of Ex-Servicemen in M. P.

*678. **Shri Narain Swarup Sharma** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Madhya Pradesh Government had agreed to give land for the rehabilitation of ex-servicemen ; and

(b) if so, the progess made so far in this connection ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri M. R. Krishna) : (a) and (b) : The Madhya Pradesh Government has offered about 2,000 acres of land in a compact block for resettlement of ex-servicemen from Punjab and Haryana States. The financial aspect of this scheme is under consideration in consultation with the Governments of Madhya Pradesh, Punjab and Haryana.

उत्तम उपकरणों का निर्माण

*679. **श्री रवि राय** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नौसेना प्राधिकारियों ने इस समय ब्रिटेन से आयात किये जाने वाले समस्त उत्तम उपकररणों का देश में ही निर्माण करने का कार्यक्रम बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) तथा (ख) : एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) नौसैनिक सूक्ष्म उपकरणों को देश में ही बनाने की सम्भावनाओं पर लगातार विचार किया जाता है ।

(ख) भारत में बनाये जा रहे लीण्डर क्लास फ्रिगेट के लिये इन्जन और गियरिंग, सहायक मशीनें तथा विद्युत स्विच बोर्ड, दिक्चालन साधन और अन्य उपकरणों को देश में ही बनाने के लिये एक कार्यक्रम बनाया गया है । अन्य नौसैनिक यानो के कुछ विशेष उपकरणों को भी देश में ही बनाने की व्यवस्था की जा रही है ।

मनोरंजन कर की समान दर

*680. **श्री हिम्मतसिंहका : श्री रामावतार शास्त्री :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "मोशन पिक्चर्ज एसोसिएशन" के दिल्ली और उत्तर प्रदेश के प्रदर्शकों की तदर्थ समिति ने चलचित्र उद्योग में विद्यमान संकट को समाप्त करने के उपाय के रूप में समूचे देश में एक समान स्तर पर पावतियों के कम से कम 20 प्रतिशत स्तर तक मनोरंजन कर को घटाने के लिये सरकार से प्रार्थना की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने समूचे देश में मनोरंजन कर की एक समान दर लागू करने की दृष्टि से इस प्रस्ताव पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस विषय में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) : जी, हां ।

(ख) और (ग) : यह मामला राज्य सरकारों से सम्बन्धित है । सारे देश के लिये 20 प्रतिशत के एकसार मनोरंजन कर के बारे में फिल्म जांच समिति, 1951 ने भी सिफारिश की थी । केन्द्रीय सरकार इस बारे में राज्य सरकारों से पत्र व्यवहार कर रहा है, परन्तु, परिणामस्वरूप आय में घाटे को देखते हुए, राज्य सरकारें इस प्रस्ताव को मानने के लिये अनिच्छुक हैं । तथापि, प्रयत्न जारी हैं ।

नेपाल में भारतीय सहायता से बड़ी रेलवे लाइन का निर्माण

*681. **श्री धीरेश्वर कलिता : श्री रा० कृ० सिंह :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वयौल और हिथूआसा को मिलाने के लिये नेपाल में भारतीय सहायता से 44 मील लम्बी एक बड़ी रेलवे लाइन का निर्माण करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, ओ तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) नेपाल को इस काम के लिये किस प्रकार की और कितनी महायता देने का विचार है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) :

(क) भारत में रक्सौल को नेपाल में हितौदा से मिलाते हुए 40 मील लम्बी एक रेलवे लाइन बनाने की संभावना पर विचार करने के लिए एक प्रस्ताव पर भारत के रेल मंत्री के सामने नेपाल के प्रधान मंत्री ने उस समय रखा था जब वे इस वर्ष अक्तूबर में राष्ट्रपति के साथ नेपाल की यात्रा पर गए थे। नेपाल के, जो कि हमारा मित्र और नजदीकी पड़ौसी है, आर्थिक विकास में सहायता देने की अपनी घोषित नीति के अनुरूप ही भारत सरकार ने नेपाल सरकार को सूचित किया है कि नेपाल सरकार, नेपाल में भारतीय सहयोग कार्यक्रम के व्यापक संदर्भ में, जो भी ठोस प्रस्ताव रखेगी भारत सरकार उसके प्रकाश में इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। भारत सरकार के पास अभी तक कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं आया है।

(ख) और (ग) इस स्थिति में इसका प्रश्न नहीं उठता।

प्रतिरक्षा संस्थानों में विद्युत चालित संगणक

*682. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा संस्थानों में विद्युत चालित संगणक लगाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या इसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर छंटनी की जायेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) कुछ रक्षा संस्थानों में कुछ इलैक्ट्रानिक संगणक लगाए जा चुके हैं, और कुछ में अब लगाए जा रहे हैं। केन्द्रीय आर्डनेंस डिपु, दिल्ली छावनी में वस्तु-सूची नियंत्रण के लिए इलैक्ट्रानिक आंकड़े तैयार करने की प्रणाली के प्रयोगिक-रूप से अध्ययन करने की व्यवस्था को भी मंजूर किया गया है। रक्षा सेवाओं में इस अध्ययन से जो परिणाम निकलेंगे उसी के आधार पर इस प्रणाली को अन्यत्र भी लागू किया जाएगा।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विजयन्त टैंक का डिजाइन तथा रूपरेखा (ब्लूप्रिंट)

*683. **डा० सुशीला नैयर** :क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुए इस आशय के समाचार को पढ़ा है कि विजयन्त टैंक का डिजाइन और उसकी रूपरेखा पाकिस्तान भेज दी गई है ;

(ख) क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ है ; और

(ग) इस संबन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) इस संबन्ध में सरकार द्वारा की गई जांच पड़ताल से समाचार-पत्रों में प्रकाशित खबरों की पुष्टि नहीं होती है।

पूर्वी पाकिस्तान हो कर आसाम पश्चिम बंगाल जल परिवहन सेवा

*684. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान होकर आसाम पश्चिम बंगाल जल परिवहन सेवा पुनः चालू करने के प्रश्न पर पाकिस्तान सरकार से बातचीत की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) जी हां, जबसे ताशकंद घोषणा पर हस्ताक्षर हुआ, हमलोग पाकिस्तान सरकार से अन्य बातों के साथ-साथ वायु, सड़क और नदी संचार को फिर से शुरू करने के बारे में बातचीत के लिए पुनः बार-बार अनुरोध करते रहे हैं ताकि दोनों देशों का संबन्ध सामान्य बन सके । पाकिस्तान ने इसका स्वीकारात्मक उत्तर नहीं दिया है ।

विदेशों के साथ राजनयिक सम्बन्ध

*685. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967–68 में सरकार द्वारा किन-किन नये देशों के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित किये गये हैं ; और

(ख) क्या उनकी यात्रा के बाद कुछ लातीनी अमरीकी देशों में राजनयिक मिशन स्थापित करने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) 1967–68 में कांगों (ब्राजावील), गेबोन और दक्षिण यमन लोक गणराज्य के साथ राजनयिक संबन्ध स्थापित किये गए हैं ।

(ख) वेलेजुला और पेरू में निवासी मिशन स्थापित करने का फैसला किया गया है ।

Indo-Burmese Border Demarcation

*686. **Shri Ramavtar Sharma** : **Shri R. R. Singh Deo** :
Shri Ramachandra Veerappa :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Indo-Bermese border demarcation talks have concluded ;

(b) if so, whether the Indian delegation has submitted any report to Government in this regard ;

(c) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) to (c) : The second round of meetings of the India-Burma Joint Boundary Commission was held in Rangoon between the 20th and 26th October, '68. At these meetings, the two Delegations discussed various details concerning the actual demarcation of the boundary on the ground including logistic and seeurity arrangements. It was agreed to demarcate about 240 miles of the boundary from the southern end during the current

filed season, November '68 to April 69.' Survey parties of the two sides moved in to the field towards the end of November, to commence this work.

Film 'Padosan'

*687. **Shri Ram Gopal Shalwale** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that disrespect has been shown to the great Hindu personalities, to the word 'Hindu' and to Hindu customs, in the film "Padosan" which is being exhibited in the Capital and at several other places in the country ;

(b) if so, whether Government propose to ban the exhibition of the said film or re-censor it ; and

(c) if not, the reasons thereof ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) No, Sir. Not in the judgement of the Central Board of Film Censors.

(b) and (c) Do not arise.

Leh Airport

*688. **Shri Kushak Bakula** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether the Leh airport has been converted into an all-weather airport to meet military and civil needs ; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) and (b) The airport at Leh has been developed to the extent required at present.

दक्षिण अफ्रीका में भारतीय

*689. **श्री राo कोo अमीन** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर वाणिज्यिक प्रतिबन्ध लगाने की धमकी दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग) अखबारों की हाल ही की खबरों के अनुसार बताया जाता है कि दक्षिण अफ्रीका के सामुदायिक विकास मंत्री ने भारतीय मूल के व्यक्तियों को धमकी दी है कि अगर वे अपने व्यवसायों को अपने-आप नहीं छोड़ेंगे तो वे उन्हें उनके सामान्य और विधिसम्मत वाणिज्यिक गतिविधियों से निकाल देंगे । बताया जाता है कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी भारतीयों को चेतावनी दी है कि अगर वे क्लर्क, रोड-वर्कर, फिटर, टर्नर आदि जैसे दूसरे धन्धों को नहीं अपनाएंगे तो वे उन्हें व्यापार लाइसेंस जारी करने के समूचे मामले पर फिर से विचार करेंगे । इन मन्त्री महोदय का यह वक्तव्य अगर सच है तो यह जातीय पृथग्वासन की क्रूर और अनुचित नीति पर निरन्तर चलते रहने का एक और नमूना है जिसके खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के बहुसंख्यक सदस्यों के साथ भारत लड़ता रहा है ।

मुसलमान नरेशों द्वारा अरब में हाजियों के लिये बनाये गये भवन

•690. **श्री अब्दुल गनी डार** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ भूतपूर्व मुसलमान नरेशों ने अरब में, विशेषत: मक्का शरीफ और मदीना शरीफ में, भारतीय मुसलमान हाजियों के लिए अच्छे भवन बनाये थे ;

(ख) यदि हां, तो 1947 से पूर्व ऐसे कितने भवन बनाये गये थे और क्या ये भवन भारत सरकार के नियंत्रणाधीन हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या ये भवन भारतीय हाजियों के ठहरने के लिये उपलब्ध होते हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस मामले में कोई कार्यवाही कर रही है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) (क) जी हां । हैदराबाद, भोपाल तथा दूसरे शासकों ने धर्मार्थ प्रयोजनों से और भारतीय हाजियों के इस्तेमाल के लिये मक्का और मदीना में कुछ रूबात (अतिथिगृह) बनाये हैं ।

(ख) ये रूबात अच्छी स्थिति में नहीं हैं और सरकार को इस बारे में ठीक-ठीक सूचना नहीं है कि ये कब बनाये गये थे । ये संपत्तियां धर्मस्व वर्ग में आती हैं जिनके स्वामी भूतपूर्व शासक हैं और जिनकी व्यवस्था उनके नाजिर करते हैं । स्थानीय वक्फ नियमों के अन्तर्गत सिर्फ सऊदी राष्ट्रिक ही नाजिर नियुक्त किये जा सकते हैं ।

(ग) इनमें से कुछ भारतीय हाजियों के ठहरने के लिये भी हैं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

विज्ञान तथा टैक्नोलोजी सम्बन्धी समिति की बैठक

4090. **श्री रा० रा० सिंह देव** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान तथा टैक्नालोजी सम्बन्धी समिति की हाल ही में कोई बैठक हुई थी;

(ख) यदि हा, तो किन विषयों पर चर्चा की गई थी और क्या निर्णय किये गये थे; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) विज्ञान तथा टैक्नोलोजी सम्बन्धी समिति का गठन 17 अगस्त, 1968 को हुआ । उस समय से लेकर अब तक समिति की चार बैठकें हुई हैं ।

(ख) जिन मुख्य विषयों पर विचार-विमर्श किया गया तथा उनके बारे में जो निष्कर्ष निकाले गये, उनका सम्बन्ध निम्नलिखित तथ्यों से है ।

(i) विज्ञान एवं उद्योग विद्या (टैक्नोलोजी) के उन क्षेत्रों की पहचान करना जो आर्थिक वृद्धि की दिशा में योगदान देने के लिये अधिक से अधिक सम्भाव्य क्षमता रखते हों ।

(ii) (1) विदेशी संगठनों से मिलने वाले अनुसंधान सम्बन्धी अनुदानों का उपयोग तथा (2) विदेशी सहायता स्वीकार करना और विदेशी विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करने के लिए कार्यविधि एवं मार्गदर्शन की रूप रेखा तैयार करना ।

(iii) कास्टेसिया (Castasia) नामक संगठन की सिफारिशों को ध्यान में रख कर विश्व-विद्यालयों, राष्ट्रीय प्रयोग शालाओं और उद्योगों के बीच प्रभावशाली सम्बन्ध जोड़ने और विज्ञान पर होने वाले व्यय के निपतन-तन्त्र (प्रणाली) तथा अनुसंधान एवं विकास-व्यय के बारे में अध्ययन प्रारम्भ करने के लिए साधनों की रूपरेखा तैयार करना।

(iv) प्रतिरूप संवर्धन संग्रह (Type Culture Collection) तथा ऊति संवर्धन (Tissue Culture) के लिये अलग संस्थान स्थापित करने के स्थान पर प्रतिरूप संवर्धन संग्रह तथा ऊति संवर्धन के क्षेत्र में वर्तमान केन्द्रों को सुदृढ़ करना।

(v) अलौह धातुओं के बारे में सैक (SACC) संगठन द्वारा गठित कार्यकारी दल ने कोलार की सोने की खान तथा हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के कार्य-प्रणाली के सम्बन्ध में जो प्रतिवेदन दिया है उससे सम्बद्ध मुख्य समस्याओं की समीक्षा के लिए सम्बन्धित मन्त्रालयों के प्रतिनिधियों के सहयोग से विशेषज्ञों के दो दल गठित करना।

(ग) समिति द्वारा की गई सिफारिशों के बारे में उचित कार्यवाही के लिए सम्बद्ध मंत्रालयों एवं विभागों का ध्यान दिलाया गया है।

आकाशवाणी

4091. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी ने अपने केन्द्रों को प्रदेशों तथा खंडों में विभाजित किया हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) प्रत्येक खण्ड में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के तकनीकी पदों की संख्या कितनी है ; और

(घ) प्रत्येक खण्ड में कितने पद खाली पड़े है और उन्हें कब भरा जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) प्रशासनिक तौर से आकाशवाणी के केन्द्रों/कार्यालयों को रीजनों और जोनों में विभाजित नहीं किया गया है। परन्तु, इन्जीनियरी साइड पर निम्नलिखित चार रीजन बनाए गए है :

(1) **उत्तरी रीजन**

इसमें जम्मू और काश्मीर, पंजाब, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, चण्डीगढ़, दिल्ली और राजस्थान शामिल हैं।

(2) **पूर्वी रीजन**

इसमें आसाम, नेफा, उड़ीसा नागालैंड मणिपुर, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार शामिल हैं।

(3) **पश्चिमी रीजन**

इसमें महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोआ, दमन और दियू शामिल हैं।

(4) दक्षिणी रीजन

इसमें आंध्र प्रदेश, मैसूर, मद्रास, केरल, लक्षद्वीप, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और पांडीचेरी शामिल है।

प्रत्येक रीजन एक उप मुख्य इंजीनियर को सौंपा हुआ है। रीजनल कार्यालय उस काम को करने के उत्तरदायी हैं, जो पहले सम्बन्धित प्राजेक्ट सरकलों द्वारा किया जाता था। इसके अतिरिक्त, उन्हें कुछ देख-रेख के और प्राशसनिक कार्य भी दिये हुये हैं।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सदन की मेज पर रख दी जायेगी

आकाशवाणी में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के नक्शानवीस

4092. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये नक्शानवीसों तथा अनुरेखकों (ट्रसर्स) के कुल कितने पद आरक्षित किये गये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो उसमें क्या कारण हैं ; और

(ग) आकाशवाणी में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षित किये गये कितने स्थान खाली पड़े हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

आकाशवाणी में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के नक्शानवीस

4093. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के ड्राइंग कार्यालयों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदि जातियों के ऐसे कुल कितने व्यक्ति हैं जो अर्हता प्राप्त नक्शानवीस हैं;

(ख) इनकी पदोन्नति के लिए उनसे कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) इन पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) अनुसूचित जाति के छः और अनुसूचित आदिम जाति का कोई नहीं।

(ख) 1 जनवरी, 1967 से ले कर अब तक तीन व्यक्तियों से चार अभ्यावेदन।

(ग) इन अभ्यावेदनों पर विचार किया गया था। एक मामले में सम्बन्धित व्यक्ति की शीघ्र ही पदोन्नती होने वाली है। शेष दो मामलों में उनकी प्रार्थनाओं को स्वीकार करना सम्भव नहीं हुआ है।

(घ) सवाल नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में आकाशवाणी के केन्द्रों का विस्तार

4094 **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना में मध्य प्रदेश में रेडियो स्टेशनों में सुधार तथा इनका विस्तार करने के लिए कोई योजनायें बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो उनका मोटे रूप में ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) योजना बनाई जा रही है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Development of Backward Areas of Madhya Pradesh

4095. **Shri G. C. Dixit** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether the Madhya Pradesh Government have submitted any scheme/schemes for the development of backward areas of East and West Nimad Districts of Madhya Pradesh:

(b) if so, the details thereof and the expenditure involved therein ;

(c) if the reply to part (a) above be in the negative, whether any list of backward areas has been received from the Madhya Pradesh Government so that development works could be undertaken immediately with a view to bringing those areas at par with other developed areas of the country ; and

(d) if so, whether the areas referred to in part (a) above have been included in the aforesaid list ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) and (d) Yes, Sir. In the list of backward districts furnished by the State Government, West Nimar District has been included.

Allotment of Agricultural Land to Ex-Servicemen in M. P.

4096. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of ex-servicemen who have been allotted land for agricultural and residential purposes in East Nimad District of Madhya Pradesh ;

(b) the number of applications of ex-servicemen which are at present under consideration ; and

(c) the reasons for not taking action thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri M. R. Krishna) : (a) to (c) The required information is being asked for from the State Government and will be laid on the Table of the House when received.

Local Artistes of A.I.R. Stations in Madhya Pradesh

4097. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Government have received any complaints to the effect that local artistes are being ignored and they are given less time in the All India Radio Stations in Madhya Pradesh ; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

The **Minister of Information and Broadcasting** (**Shri K. K. Shah**) : (a) Government are aware of the feeling among artistes belonging to places other than Bhopal and Indore where A.I.R. stations are located that they should be offered more frequent engagements.

(b) The desirability of offering more frequent bookings to these artistes is accepted, but inadequacy of financial resources places a severe limitation on A.I.R. in doing this.

मद्रास में निर्मित फिल्में

4098. **श्री जुगल मंडल** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान मद्रास फिल्म उद्योग द्वारा निर्मित किसी फिल्म को मनोरंजन कर से मुक्त किया गया है ;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान फिल्म वित्त निगम ने मद्रास के उत्पादकों को कोई ऋण दिया है; और

(ग) यदि हां, उन फिल्मों और उत्पादकों के क्या नाम हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

बम्बई में तैयार की गई फिल्में

4099. **श्री जुगल मन्डल** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में बम्बई के निर्माताओं द्वारा तैयार की गई किसी फिल्म को मनोरंजन कर से छूट दी गई है, और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं;

(ख) क्या उक्त अवधि में इन निर्माताओं को कोई विदेशी मुद्रा दी गई है ;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक निर्माता को कितनी विदेशी मुदा दी गई है और क्या उन्होंने इस विदेशी मुद्रा का पूर्णतया उपयोग कर लिया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो प्रत्येक निर्माता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

सचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

Per Capita Income in District Yeotmal, Maharashtra

4100. **Shri Deo Rao Patil** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the per capita income in District Yeotmal of Maharashtra State in 1966-67 and 1967-68 ;

(b) whether it is less or more than the per capita national income ; and

(c) the action being taken increase the per capita income ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning

and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b) Estimates of per capita income for Yeotmal District are not available.

(c) States have been asked to pay special attention in their Plan proposals to programmes for building up of the Infra-structure facilities and onserving and developing the natural resources of backward areas to lessen disparities.

पश्चिमी बंगाल में बाढ़ों के लिए नियुक्त सेना के कर्मचारियों की गलतियां

4101. **श्री समर गुह** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा एस० एन० राय की अध्यक्षता में स्थापित की गई समिति ने अक्टूबर, 1968 में आई बाढ़ के दिनों उत्तरी बंगाल में तैनात सैनिक दल की कुछ गम्भीर गलतियों का उल्लेख किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उत्तरी बंगाल क्षेत्र में तैनात सेना के सम्बन्ध में एस० एन० राय समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) श्री एस० एन० रे की रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर, 1968 में बाढ़ के दौरान सेना ने सहायता देने के काम में कुछ विलम्ब किया । तथापि क्षेत्र विशेष में थल सेना की यूनिटों के संक्रियात्मक उत्तरदायित्वों को देखते हुए तथा उन उपकरणों को देखते हुए जो उनके पास उपलब्ध थे यह स्पष्ट है कि थल सेना ने अविलम्ब यथासम्भव सहायता दी । इस तथ्य के बावजूद भी कि अल्प सूचना के आधार पर और अनिश्चित सड़कों पर भारी वर्षा में रात को उन्हें आगे बढ़ना पड़ा, सहायता पहुँचाने के लिए बड़ी तेजी से अधिकांश स्थानों पर वे पहुँचने में सफल हुए ।

पाकिस्तान में सिख गुरुद्वारे

4102. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ननकाना साहिब के सिख गुरुद्वारों की हाल ही में यात्रा करने वाले 1268 सिख यात्रियों के नेता गुरुदयाल सिंह बेरी द्वारा दिये गये इस वक्तव्य की सरकार को जानकारी है कि पाकिस्तानी धीरे-धीरे सिख गुरुद्वारों के मीनारों की शक्ल बदल रहे हैं ताकि वे मस्जिदों जैसे दिखाई दें;

(ख) यदि हां, तो क्या अब तक पाकिस्तान सरकार से कोई विरोध प्रकट किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में प्रतिक्रिया क्या है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) और (ख) हमने इसके बारे में अखबारों में एक रिपोर्ट देखी है, लेकिन शिरोमणि गुरु द्वारा प्रबन्धक समिति से अथवा हाल ही में उसके जो प्रतिनिधि ननकाना साहिब गए उनसे कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है । सरकार पूरे तथ्य मिल जाने पर ही यह निर्णय करेगी कि क्या कार्रवाही करनी चाहिए ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Atomic Power House in Maharashtra

4103. **Shri Deorao Patil** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether there is any proposal under consideration of Government to set up an Atomic Power House in Maharashtra State ; and

(b) if not, whether Government propose to consider such a proposal for the Fourth Five Year Plan Period ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Apart from the atomic power station currently under construction at Tarapur, there is no proposal at present to construct any other atomic power station in Maharashtra.

(b) The question of establishing more atomic power stations in the Maharashtra State can be considered only after the overall power programme to be implemented during the IVth Plan period is finalised.

Token Strike by Employees of Defence Organisations

4104. **Shri Hukam Chand Kachwai** : **Shri Deven Sen** :
Shri Nitiraj Singh Chaudhary : **Shri M. L. Sondhi** :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of those civilian employees in the Defence organisations who joined the one-day token strike on the 19th September, 1968 organised by the Federation of Central Government employees ; and

(b) the number of those employees who were suspended and the number of those employees whose services were terminated on account of joining the strike ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) Approximately 20,500.

(b) The number of employees suspended, pending departmental enquiry into various specific charges, was 176.

The number of temporary employees whose services have been terminated according to the Rules of Service applicable to them, was 476.

Participation by Central Government Employees in Token Strike

4105. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of employees of his Ministry who participated in the strike organised by the Central Government Employees Federation on the 19th September, 1968.

(b) the number of employees arrested by the police in this connection and the number of employees being proceeded against in law courts ;

(c) the number of employees suspended and dismissed respectively ; and

(d) the number of employees of his Ministry killed or injured as a result of police action ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) 3 (Three).

(b) 1 (One)--The Deputy Commissioner, Delhi has been requested to drop the case as the official was taken into custody by the Police while he was passing by Shastri Bhavan on the 18th September, 1968. The official was going on duty.

(c) Nil.

(d) Nil.

कीनिया के एशियाई लोग

4106. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :** क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) ब्रिटिश पारपत्र वाले एशियाई वंश के कीनिया के कितने लोग नये आप्रव्रजन अधिनियम के अन्तर्गत आप्रव्रजन पर्मिट मिलने की अस्थायी वीसा पर इस समय भारत में रह रहे हैं; और

(ख) कीनिया आप्रव्रजन अधिनियम के पारित होने के बाद कितने व्यक्ति भारतीय पारपत्र ले कर इस देश में बसने के लिये भारत आये हैं ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) भारत मूल्य के 28 ब्रिटिश पासपोर्टधारी व्यक्ति कीनिया से भारत आए और उन्होंने नई दिल्ली स्थित यू० के० हाई कमीशन को वहां के आप्रवास परमिट के लिए आवेदन किया है। उनमें से 16 व्यक्तियों को आवश्यक परमिट पहले ही मिल चुके हैं और शेष 12 व्यक्तियों का मामला विचाराधीन है।

(ख) 1095 भारतीय पासपोर्टधारी व्यक्ति भारत आए हैं, किन्तु चूंकि उनकी गति पर प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक नहीं अतः उनमें से कितने लोग यहां बस गये हैं, इसकी ठीक सूचना अभी सुलभ नहीं है।

Obscene English Films

4107. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** **Shri Hardayal Devgun :**
Shri Bharat Singh Chauhan : **Shri Ram Singh Ayarwal :**

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that several such English films were exhibited in the country during the last one year which could be called obscene from the point of view of Indian culture and traditions ;

(b) if so, the reasons for not banning the exhibition of such films ;

(c) whether in view of public opinion, Government would ensure that nude and obscene films are not exhibited in the country in future ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) to (d) The directions for certifying a film as fit for public exhibition, provide for elimination of nude and obscene visuals and the Central Board of Film Censors take due care to observe these directives. It is true that while taking the decisions the cultural tradition and historical background of the location of the theme and social conditions are taken into consideration. At present a Committee is currently reviewing the entire question of film censorship and its report is shortly awaited.

Reports of Planning Commission in Hindi

4108. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** **Shri Bharat Singh Chauhan :**
Shri Hardayal Devgun : **Shri Ram Singh Ayarwal :**

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the number of reports published by the Planning Commission in 1967 and 1968 so far and the particulars of the reports out of them whose Hindi versions have been published ;

(b) the reasons for not publishing Hindi versions of the rest of the reports so far ; and

(c) the time by which arrangements would be made for publishing the remaining reports in Hindi ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) The Planning Commission brought out eighteen reports/studies during the years 1967 and 1968. One of these reports, namely, "A Review of Important Activities and Studies Undertaken in 1967-68" has already been brought out in Hindi and it is proposed to bring out Hindi versions of seven more reports, and Hindi summaries of two more reports. Nine reports/studies are under print.

(b) and (c) The remaining reports are either technical studies of projects and programmes for use mainly of project authorities or intended for similar limited circulation. It is the intention of the Planning Commission to bring out an increasing number of publications of popular interest in Hindi.

Issue of Diplomatic Passports

4109. **Shri Kanwar Lal Gupta** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have discretionary powers to grant diplomatic passports ; and

(b) if so, the names of the persons who were granted passports during the last three years under discretionary powers ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Yes, Sir.

(b) A list of persons to whom diplomatic passports were granted the period 1-11-1965 to 31-10-1968 in terms of these discretionary powers, is laid on the Table of the House.

(Placed in Library. See No. LT-2642/68)

Atomic Energy Stations

4110. **Shri Atal Bihari Vajpayee** : **Shri Narain Swarup Sharma** : **Shri Jagannath Rao Joshi** :

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the quantum of atomic energy for peaceful purposes being produced at present by the Atomic Energy Stations in India and the time by which atomic energy would be produced ; and

(b) the uses to which the said energy is proposed to be put ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Three Atomic Power Stations are being set up in the country at present. The capacity and the expected date of completion of these stations are given below :--

Name of the Station	Capacity of the station	Expected date of completion
1. Tarapur Atomic Power Station (Units I & II)	380 MWe	Mid. 1969

Name of the Station	Capacity of the station	Expected date of completion
2. Rajasthan Atomic Power Station		
(Unit I)	200 MWe	Early 1971
(Unit II)	200 MWe	1973
3. Madras Atomic Power Station	200 MWe	1972-73

(b) The energy will be supplied to the grids for general industrial, agricultural and domestic use.

तिलय्या के सैनिक स्कूल के कर्मचारियों को सेवा से हटाना

4111. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री 31 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1874 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिलय्या के सैनिक स्कूल के कर्मचारियों को सेवा से हटाने के बारे में जानकारी एकत्र कर ली गयी है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस बारे में मुकदमेबाजी भी चल रही है; और

(घ) यदि हां, तो सामान्य स्थिति लाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) इस सम्बन्ध में 31 जुलाई, 1968 को अतारांकित प्रश्न संख्या 1874 के उत्तर में 12 नवम्बर, 1968 को सभा के पटल पर रखे गए विवरण की ओर माननीय सदस्य का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

(ग) और (घ) : नौकरी से बर्खास्त किए कर्मचारियों में से एक ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी । पुलिस ने भी इन कर्मचारियों द्वारा किए गए कुछ अपराधों के सम्बन्ध में दो मुकदमे चलाए हुए हैं । स्कूल के दाइरे में अब सामान्य स्थिति है और स्कूल सामान्यरूप से काम कर रहा है ।

विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के वाणिज्यिक अनुभाग में भर्ती

4112. **श्री कामेश्वर सिंह :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में हमारे दूतावासों के वाणिज्यिक अनुभागों के लिये व्यापारी सार्थों से भर्ती की जाती है;

(ख) यदि हां तो, पिछले दस वर्षों में ऐसे कुल कितने व्यक्तियों की भर्ती की गई;

(ग) क्या भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को सेवा के आरम्भ में ही वाणिज्यिक कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो अब कितने व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और व्यापारी सार्थों से वाणिज्यिक अनुभाग के कर्मचारी भर्ती किये जाने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी हां । भारतीय विदेश सेवा अधिकारियों के लिए उनके परिवीक्षाधीन अवधि के

पाठ्यक्रम में 'अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार' तो एक विषय होता ही है, उन्हें व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए वाणिज्य मन्त्रालय भारतीय विदेश व्यापार संस्थान में भेजा जाता है। इस प्रकार का प्रशिक्षण भारतीय विदेश सेवा (ख) के अधिकारियों को भी दिया जाता है।

(घ) भारतीय विदेश सेवा के 80 से अधिक अधिकारी (जिनमें भारतीय विदेश-सेवा (ख) के वर्ग के अधिकारी भी शामिल हैं) और अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव वर्ग के 50 से अधिक ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें वाणिज्यिक कार्य का अनुभव है। इस समय 14 अधिकारी, जिनमें 9 अनुभाग अधिकारी भी शामिल हैं, वाणिज्य मंत्रालय में नियुक्त हैं। 1967 के दल के दस अधिकारियों को जल्दी ही प्रशिक्षण के लिए विदेश व्यापार संस्थान भेजा जाएगा।

लन्दन में भारतीय उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या में कमी

4113. **श्री कामेश्वर सिंह : श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लन्दन में भारतीय उच्चायोग तथा अन्य दूतावासों (विक्रय आदि) के कर्मचारियों की संख्या अब तक कम नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि हां, तो काम को ठीक प्रकार से बांटने तथा फालतू कर्मचारियों को अन्य स्थानों में लगाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) 1966-67 तथा 1967-68 में उस दूतावास पर कुल कितना व्यय किया गया ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी नहीं। लन्दन-स्थित हाई कमीशन के विभिन्न खण्डों में अमला कम कर दिया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) लन्दन-स्थित अपने हाई कमीशन का कुल खर्चा इस प्रकार है :

वर्ष	खर्चा, पौंड स्टर्लिंग में
1966-67	1,544, 183
1967-68	1,517,248

Atomic Power Station

4114. **Shri Maharaj Singh Bharati : Shri Manubhai Patel :**

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the names of the places where atomic power stations are proposed to be erected during the Fourth Five Year Plan period along with their capacity; and

(b) the percentage of foreign exchange that would be required for erecting the said power stations ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) A decision

regarding the location and capacity of atomic power stations to be set up during the Fourth Plan period will be taken after the Fourth Plan is finalised.

(b) Does not arise at this stage.

Atomic Fuels

4115. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the number of places where the deposits of Atomic fuels have been found and their quantities, place-wise, and the details of deposits which are being utilised by India ;

(b) whether it is a fact that as compared to the large quantitiy of deposits, the we of such material is negligible ; and

(c) if so, whether this is due to the shortage of techniques or foreign exchange or the lack or know-how or Indian currency ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Sarlmati Indira Gandhi) : (a) and (b) Important occurrences of uranium and thorium have been reported from time to time in the Annual Reports of the Department of Atomic Energy. The uranium deposits in Jaduguda are being exploited to meet the requirements of the current Atomic Energy Power Programe.

(c) No, Sir.

Monazite Sand

4116. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether monazite sand has been found at any other coast besides Kerala and whether the survey of the Indian Coasts has been completed ;

(b) the estimate of monazite sand reserves likely to be found in the sea ; and

(c) whether Government have tried to find out the sources from which the said sand came into the sea to trace its real source ?

The Prime Minister, Minister of Atmoic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Monazite sands have also been found on the eastern coast. Surveys are being conducted.

(b) Surveys of under-water depositions have not been carried or except on an exploratory basis in one locality.

(c) The source of the monazite sands is considered to be inland rock formations.

Training of Nuclear Engineers and Scientists

4117. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the schemes proposed to be included in the Fourth Five Year Plan period for training nuclear engineers, technicians and scientists in view of future pattern of nuclear development ; and

(b) whether Government would be able to train experts in each category in desired numbers ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) It is proposed to

increase admissions to the Training School for the training of nuclear engineers and scientists at the Bhabha Atomic Research Centre. There are also regular training courses for training operators to man the various plants and reactors being put up by the Atomic Energy Commission.

(b) The steps proposed should progressively improve the supply of experts over the coming years.

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड

4118. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड कब स्थापित किया गया था और उस समय इसके निदेशक मंडल के सदस्य कौन-कौन थे तथा वह निदेशक मंडल कब तक रहा ; और

(ख) वर्तमान निदेशक मण्डल के सदस्यों के नाम क्या हैं तथा इसके चेयरमैन अथवा प्रबन्ध निदेशक का नाम क्या है, उन्हें कब नियुक्त किया गया था तथा उनकी कार्यविधि कितनी है और सेवा की शर्तें क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतीरक्षा उत्पादन) राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड को हिन्दुस्तान म्याक्राफ्ट लिमिटेड, बंगलौर, तथा एयरोनाटिक्स इन्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली को मिलाकर 1 अक्तूबर, 1964 को स्थापित किया गया था। 1 अक्तूबर, 1964 को निर्देशक बोर्ड के जो सदस्य थे उनके नाम निम्नलिखित हैं। जिस तिथि वे अपने पद पर बने रहे वे तिथियां भी प्रत्येक के नाम के समक्ष दी गई हैं।

चेयर मैन	
श्री एस० एस० खेरा	1.11.67 तक
निर्देशक	
डा० एस० भगवांतम	अभी भी अपने पद पर हैं। उस तिथि से उनको चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया है।
डा० एस० धवन	अभी भी अपने पद पर हैं।
एयर मार्शल अर्जुन सिंह	30.11.1966 तक
श्री एम० के० हरिहाय	3.4.1968 तक
श्री एच० सी० सरीन	30.11.1966 तक
श्री आर० बी० वागीवाना	10.11.1964 तक

(ख) इस समय बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य हैं :—

चेयरमैन	**नियुक्ति की तिथि**
डा० एस० भगवंतम	10.5.1968
निर्देशक	
डा० एस० धवन	1.10.1964
एयर मार्शल आर० राजाराम	30.11.1966
श्री जे० पी० केकर	30.1.1968

श्री वी० एन० सुकुल	3.4.1968
श्री के० टी० सटरावाला	16.9.1967
प्रबन्धक निदेशक	
एयर मार्शल पी० सी० लाल	26.9.66

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के संस्था के अंतर्नियमों के नियम 97(2) के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया प्रत्येक निदेशक, यदि वह नियम 107(1) के अन्तर्गत चेयरमैन अथवा प्रबन्धक निदेशक के पद पर नियुक्त नहीं होता, तो कम्पनी की महासभा की सेवा मुक्त हो जाता है। चेयरमैन अथवा प्रबन्धक निदेशक के पद पर नियम 107(1) के अन्तर्गत नियुक्त किया गया। निदेशक पद मुक्त होने पर सेवामुक्त समझा जायेगा। सेवामुक्त होने वाला निदेशक पुनः नियुक्त किया जा सकता है।

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड

4119. **श्री प्रेम चन्द वर्मा : क्या प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड को इसकी स्थापना के समय से (1) अनियमितताओं (2) चोरी (3) स्टाक में कमी (4) आग अथवा ऐसे अन्य कारणो से कितनी हानि हुई है;

(ख) क्या इन मामलों की जांच की गयी थी ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1 अक्तूबर, 1964 में जब कि कम्पनी स्थापित हुई थी, तीन वर्षों में कम्पनी को अनियमितताओं, चोरी, भण्डार में कमी, आग लगाने तथा अन्य कारणों से निम्नलिखित हानि हुई :—

	1965–66 रुपये	1966–67 रुपये	67–69 रुपये
अनियमितताएं	शून्य	शून्य	886
चोरी	200	23,501	15,076
भण्डार में कमी	21,406	32,516	20,812
आग	शून्य	शून्य	शून्य
अन्य कारण	,,	,,	68,356

चोरी के मामलों को पुलिस में दर्ज कराया गया था और इस सम्बन्ध में पकड़े गये तीन

व्यक्तियों की न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि ी गई और चोरी की सम्पत्ति का कुछ भाग बरामद भी किया गया ।

भण्डार में कमी भण्डार बनाये रखने में सामान्य विभेद के कारण थी । कुल भण्डार को देखते हुए यह हानि तुच्छ है ।

अन्य कारणों से होने वाली हानि इस प्रकार है :—

(क) वर्षा तथा आंधी के कारण 38,368 रुपये की हानि हुई और इसको निदेशक बोर्ड के अनुमोदन से बट्टेखाते में डाल दिया गया था ।

(ख) नींव बनाते समय हीट ट्रीटमेंट शाप में ए० सी० शीटों तथा शीशे को क्षति पहुंचने के कारण 30,000 रुपये की हानि हुई थी । इस मामले की अभी जांच की जा रही है ।

1964-65 के बारे में जानकारी अभी एकत्र की जा रही है ।

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड

4120. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड के कार्यकरण का सामान्य पुनरीक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका परिणाम क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार किसी विशेषज्ञ की सेवाएँ प्राप्त करने का है ताकि इसमें त्रुटियों का पता चल सके और इसके कार्य मे सुधार किया जा सके ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) जी हां । हिन्दुस्तान ऐरोनाटिक्स लिमिटेड के भर्ती तथा "पदोन्नति नियम, 1967" नामक नियम हिन्दुस्तान ऐरोनाटिक्स लिमिटेड के सभी पदों मे जिनमें क्रय करने वाले, ठेके और विक्रय कार्य से सम्बन्धित पद शामिल हैं, भर्ती करने के मामलों पर लागू होते हैं ।

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड

4121. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड के कार्यकरण का सामान्य पुनरीक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका परिणाम क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार किसी विशेषज्ञ की सेवाएं प्राप्त करने का है ताकि इसमें त्रुटियों का पता चल सके और इसके कार्य में सुधार किया जा सके ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मन्त्री : (क) से (ग) हिन्दुस्तान ऐरोनाटिक्स लिमिटेड की कार्य व्यवस्था की लगातार समीक्षा की जाती है । हाल ही में बंगलौर डिवीजन के कार्यों की सविस्तृत समीक्षा की गई थी और उनमें सुधार करने के लिए कुछ उपाय किए गए हैं । ऐडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज, हैदराबाद के एक दल की सहायता से उत्पादन योजना विभाग का पुनर्गठन किया जा रहा है, जो विशेष उल्लेखनीय है । एरोनाटिक्स समिति ने भी हिन्दुस्तान ऐरोनाटिक्स लिमिटेड के गठन के संबंध में कुछ सिफारिशें की हैं और उन सिफारिशों के

आधार पर कम्पनी के संगठनात्मक ढांचे में आवश्यक परिवर्तन किया जा रहा है। हिन्दुस्तान ऐरोनाटिक्स लिमिटेड की कार्य-व्यवस्था में और सुधार करने के लिए इस समिति द्वारा और सिफारिशें किए जाने की आशा है और इसके लिए कुछ विशेषज्ञों की सलाह भी ली जा चुकी है।

प्रतिरक्षा संबंधी गुप्त जानकारी बेचने के मामले में सशस्त्र सेनाओं के अधिकारियों पर अभियोग चलाना।

4122. **श्री जार्ज फरनेण्डीज :** क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेना, नौ सेना तथा वायु सेना के ऐसे अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों (अन्य वर्ग) के नाम तथा पदनाम क्या हैं जिनका पिछले दस वर्ष में प्रतिरक्षा संबंधी गुप्त जानकारी विदेशों या किन्हीं अन्य स्रोतों को बेचने या बताने के आरोप में कोर्ट मार्शल किया है अथवा जिन पर अभियोग चलाया गया है ;

(ख) इन अपराधी व्यक्तियों को क्या दण्ड दिया गया है ; और

(ग) सैनिक जानकारी के शत्रु के पास जाने को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्रीस्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) कोर्ट मार्शल या अभियोग चलाने के बाद सेना के 11 कार्मिकों को नौकरी से निकाल दिया गया और 14 वर्ष तक की विभिन्न समयावधि के लिए उन्हें कठोर कारावास का दण्ड दिया गया। एक सैनिक का इस समय कोर्ट मार्शल चल रहा है।

सैनिक के नाम, पदनाम और उन्हें दिए गए दण्ड निम्नलिखित हैं :

नाम तथा पदनाम	दण्ड
कैप्टन गुरदयाल प्रसाद	नौकरी से बर्खास्त और 10 वर्ष का कठोर कारावास
सिपाही भजन सिंह	नौकरी से बर्खास्त और 3 महीने का कठोर कारावास
पाइलट अफसर पी० एन० शर्मा	नौकरी से कैशियर और 14 वर्ष का कठोर कारावास
हवलदार विभूति भूषण घोष	2 वर्ष का कठोर कारावास
लांस नायक शिवाजी सावन्त	10 वर्ष का कठोर कारावास
भूतपूर्व हवलदार कुलवन्त सिंह	3 महीने का कठोर कारावास
नाइब-सूबेदार ईद सद्दीक	नौकरी से बर्खास्त और 3 वर्ष का कठोर कारावास
कैप्टन पी० के० कोशी	नौकरी से बर्खास्त और 14 वर्ष का कठोर कारावास
सार्जेंट जे० एम० मजूमदार	नौकरी से बर्खास्त और 14 वर्ष का कठोर कारावास
सिपाही सोहन सिंह	नौकरी से बर्खास्त और 7 वर्ष का कठोर कारावास
नायक मांगे राम	नौकरी से बर्खास्त और 10 वर्ष का कठोर कारावास
हवलदार भगत राम	कोर्ट मार्शल किया जा रहा है।

(ग) जो मामले प्रकाश में आ जाते हैं उनके संबंध में निवारणार्थ दण्ड देने की व्यवस्था मौजूद है ऐसे मामलों के अतिरिक्त विशेष सुरक्षा अनुदेशों और सुरक्षा यूनिटों की सहायता से, जो कि सशस्त्र सेनाओं के ही अंग हैं, सुरक्षा संबंधी सूचना को बाहर निकलने न देने के लिए बराबर सतर्कता रखी जाती है।

परमाणु विस्फोट टेक्नोलोजी

4123. **श्री समर गुह** : क्या **प्रधान मन्त्री** 28 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6256 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु शक्ति आयोग ने परमाणु विस्फोट टेक्नोलोजी के विकास के बारे में सामूहिक विखण्डन (मास फिजन) के बारे में प्रयोगात्मक जानकारी प्राप्त कर ली है।

(ख) क्या परमाणु शक्ति आयोग ने विखण्डन (फिजन) टेक्नोलोजी पर इतनी महारत हासिल कर ली है कि अपेक्षित्त समूह (मास) में निचले दर्जे के विखन्डन योग्य परमाणुओं (लोवर फिजनएक्ल ऐटम) के व्यावहारिक प्रयोग करने में परमाणु विखन्डन प्रक्रिया पर काबू पाया जा सके ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है ?

(श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) परमाणु ऊर्जा के शान्तिपूर्ण उपयोगों के क्षेत्र में हुए सभी आधुनिकतम तकनीकी विकास-कार्यों की पूरी जानकारी ऊर्जा आयोग प्राप्त करता रहता है।

Fighter Planes for Indian Air Force

4124. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : **Shri Beni Shanker Sharma** : **Shri D. C. Sharma** :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the steps taken for strengthening the Indian Air Force and for manufacturing fighter and transport planes suitable to India's requirements and conditions in view of the serious danger on Indian borders ;

(b) the details of such planes and the time by which their manufacture would be started ; and

(c) the production capacity thereof ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) to (c) Modern types of fighter aircraft have been introduced in the Service in the recent past towards strengthening the Indian Air Force. The production of some types of aircraft in the country like the Gnat the HF 24 and the MiG 21 is progressing.

It would not be in the public interest to disclose further details.

Documentary on Kissing

4125. **Shri Om Prakash Tyagi** : **Shri Ram Gopal Shalwale** :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Shri I. S. Johar, President of the Indian .Motion Pictures Producers Association Bombay, is producing a documentary film on the art of kissing and has engaged many youngmen and women on this ;

(b) whether Government have granted permission for the production and exhibition of such type of a film which is likely to have adverse effect on the morals of the people and is antagonistic to Indian culture ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) A report to this effect has appeared in the Press.

(b) No prior permission for the making of a film is necessary. Before exhibition, however, a film has to be certifted by the Central Board of Film Censors with reference to Censorship code. The Board have not been approached so far.

(c) Does not arise.

ले० जनरल पी० एस० भगत द्वारा लिखित 'दी शील्ड एन्ड दी स्वोर्ड' नामक पुस्तक

4126. **श्री रणजीत सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ले० जनरल पी० एस० भगत द्वारा लिखी "गई दी शील्ड एन्ड दी स्वोर्ड" नामक पुस्तक का अध्ययन किया है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस वरिष्ठ जनरल द्वारा पुस्तक में दी गई सिफारिशों को क्रियान्वित करने का है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हाँ ।

(ख) 1965 की लड़ाई के संबन्ध में और सदियों से युद्ध के बदलते हुए तरीकों के संबन्ध में इस अफसर के अपने व्यक्तिगत विचार इस पुस्तक में निहित हैं । सामरिक महत्व और आधुनिकतम सामरिक सिद्धान्तों के आधार पर हमारी सशस्त्र सेनाओं के पुनर्गठन और आधुनिकीकरण करने की एक लगातार प्रक्रिया है । जब कभी इसमें कोई परिवर्तन करना होता है तो सीनियर सैनिक अधिकारियों के विचारों को ध्यान में रखा जाता है ।

पाकिस्तानी विमानों द्वारा भारतीय राज्य क्षेत्र पर उड़ानें

4127. **श्री रणजीत सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार कबसे पाकिस्तान के सैनिक विमानों को भारतीय राज्य क्षेत्र पर से उड़ान करने की अनुमति देती रही है ;

(ख) 1 जनवरी, 1968 के पश्चात् ऐसी कितनी उड़ानें की गई ;

(ग) 1966 में मास-वार इनकी कितनी संख्या थी ; और

(घ) उक्त अवधि में भारतीय वायुसेना के कितने तथा किस प्रकार के विमानों को पाकिस्तान पर से उड़ान करने की अनुमति दी गई ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) देश के विभाजन के बाद से पाकिस्तान के सैनिक विमान भारतीय क्षेत्र से गुजरते रहे हैं और तकनीकी दृष्टि से उन्हें एक बार भारतीय क्षेत्र में उतरना पड़ता है । भारतीय क्षेत्र में तकनीकी दृष्टि से केवल वही विमान नहीं उतरते (अधिउड़ान) जिनमें अति विशिष्ट व्यक्ति यात्रा कर रहे होते हैं :—

(ख) अधिउड़ान	कोई नहीं
भारतीय क्षेत्र में	
तकनीकी दृष्टि से उतर कर	
भरी जाने वाली उड़ाने	57

(ग) मार्च, 66	3
मई, 66	1
जून, 66	1
जुलाई, 66	1
सितम्बर, 66	2
	8
(घ 1966 में अधिउड़ान	2
1966 में तकनीकी दृष्टि से उतर कर भरी जाने वाली उड़ाने	21
	23

परिवहन विमानों ने ही ये सभी उड़ाने भरीं ।

रोडेशिया के सम्बन्ध में ब्रिटेन का नया सूत्र

4128. **श्री हिम्मतसिंहका :** **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री सु० कु० तापड़िया : **श्री धीरेश्वर कलिता :**
डा० रानेन सेन : **श्री हेम बरुआ :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान रोडेशिया समस्या को सुलझाने के लिये ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री द्वारा श्वेत पत्र में सुझाये गये नये सूत्र की ओर दिलाया गया है जिसके अन्तर्गत रोडेशिया की अल्पसंख्यक सरकार को रोडेशिया में धीरे-धीरे बहुसंख्या का शासन स्थापित करने के लिये कहा गया है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस नयी योजना के बारे में जम्बिया के प्रेजीडेंट सहित अफ्रीकी नेताओं की कड़ी प्रतिक्रिया की ओर दिलाया गया है जिन्होंने इसे रद्द कर दिया है क्योंकि इससे संयुक्त राष्ट्र चार्टर तथा मानव अधिकारों सम्बन्धी सर्वदेशिक घोषणा की बिल्कुल अवहेलना होती है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री, तथा वैदशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :

(क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) हमारा यह ख्याल है कि हाल ही में जिब्राल्टर में "फीयरलैस" नामक पोत में यात्रा

करते हुए ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री, श्री विल्सन और श्री इयां स्मिथ में जो बातचीत हुई थी उसका निहितार्थ दक्षिण रोडेशिया का अल्प संख्यक जातिवादी सरकार को मान्यता देना ही था जो कि ब्रिटेन के पहले के इस वचन की अस्वीकृति है "कि बहुसंख्यक अफ्रीकी शासन के विना स्वतंत्रता नहीं" दी जाएगी। भारत सरकार की अब भी यही दृढ़ धारणा है कि रोडेशिया में गैर-कानूनी सरकार को शीघ्र समाप्त करने का एक ही कारगर तरीका है और वह यह कि ब्रिटेन ताकत से काम ले; और ब्रिटेन को इस उपनिवेश को सिर्फ बहुसंख्यक शासन के आधार पर ही स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए जिसमें एक व्यक्ति "एक वोट" के सिद्धान्त की मान्यता हो।

विमान द्वारा अनाज के गिराये जाने से मृत्यु

4129. **श्री हिम्मतसिंहका :** **श्री वी० चं० शर्मा :**

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर, 1968 में नेकलीगंज हेलीपैड पर, जहां केन्द्रीय सरकार के खाद्य मन्त्री तथा राज्यपाल को उतरना था, जमा हुए लोगों के एक ग्रूप पर, विमान से गिराये गये अनाज के थैले गिराने से एक बच्चा मर गया था तथा कम से कम आठ अन्य व्यक्ति घायल हो गये थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जब मेकलीगंज कस्बे में सड़क द्वारा पहुंचा जा सकता था तो उस स्थान पर विभार द्वारा अनाज गिराये जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी ;

(ग) अनाज के थैले किन परिस्थितियों में गिराये गये थे और क्या इस मामले की कोई जांच कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो किस स्तर पर और जांच के निर्देश पद क्या थे ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां। एक बच्चे की मृत्यु हुई और 6 व्यक्ति घायल हुए।

(ख), (ग) तथा (घ) पश्चिमी बंगाल की सरकार के अनुरोध पर भारतीय वायु सेना ने रसद गिराने का काम किया था। वायु सेना के अधिकारियों ने वायु सेना के नियमों के अनुसार जांच अदालत का आदेश दिया है जो अन्य बातों से साथ इस बात की जांच करेगी कि दुर्घटना किन परिस्थितियों में और किस कारण हुई। इसके अतिरिक्त इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने देने के लिए वह अपनी सिफारिशें भी देंगी।

संगीत तथा ड्रामा डिवीजन के कलाकारों को वेतन

4130. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 में आकाशवाणी के संगीत तथा ड्रामा डिवीजन के कलाकारों के वेतनों तथा भतों पर कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(ख) इस डिवीजन में कलाकारों की संख्या कितनी है तथा उसमें से कितने दक्षिणी क्षेत्र के हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) 8, 28, 157,35 (यात्रा-भत्ता मिला कर)।

(ख) 1-4-1967 को 375 जिसमें से 22 आंध्र प्रदेश, मद्रास, मैसूर तथा केरल के हैं।

संसद-सदस्यों तथा मंत्रियों के लिए टेलीविजन

4131. **श्री गाडिलिंगन गौड़ :** **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**

श्री शिवकुमार शास्त्री :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मंत्रियों और संसद-सदस्यों के बंगलों और फ्लैटों में 50 रुपये प्रति मास किराये पर टेलीविजन सैट लगाने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कितने मंत्रियों और सदस्यों ने अनुरोध किया है और कितने सैट लगाये जा चुके हैं; और

(ग) संसद-सदस्यों के अनुरोध कब तक पूरे कर दिये जायेंगे ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां।

(ख) अभी तक 81 संसद-सदस्यों ने किराये पर टेलीविजन सैट लेने, 10 ने किराये खरीद पर लेने तथा 5 ने खरीदने की प्रार्थना की है। अभी तक एक भी सैट नहीं लगाया गया है।

(ग) तीन महीने। देरी का कारण ये था कि आशा के अनुकूल सैट उपलब्ध न हो सके।

A. I. R. Station in Leh

4132. **Shri Kushok Bakula** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state whether Government propose to set up in the near future a radio station in Leh for contradicting and counter-acting the anti-Indian propaganda being made by Azad Kashmir Radio ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : Yes, Sir. Necessary action has already been initiated to set up a radio station at Leh.

Questions Raised in South America about Hindu Scriptures

4133. **Shri Ram Gopal Shalwale** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the residents of South American countries had asked some questions about Gita and Upnishads from the members of the team who accompanied the Prime Minister during her recent visit to Latin American countries ;

(b) whether it is also a fact that the members of the team were not able to reply to those questions ;

(c) if so, the justification for sending such persons to foreign countries who have no knowledge of Indian culture and Indian religious books ; and

(d) whether Government propose to consider the advisability of sending only such persons with Ministers etc., who have thorough knowledge of Indian culture, Indian books and Vedas ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b) No, Sir.

(c) and (d) Do not arise.

श्री डी० पी० धर की रूस में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्ति

4134. **रा० की० अमीन** : क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री डी० पी० धर की रूस में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्ति का पाकिस्तान ने विरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) हमारी सूचना के अनुसार उसने ऐसा नहीं किया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिमी जर्मनी में भारतीय प्रशिक्षार्थ

4135. **श्री रा० की० अमीन** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी जर्मनी के कारखानों में काम कर रहे 3000 भारतीय प्रशिक्षार्थियों मे से प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को आगामी क्रिसमस में पश्चिमी जमन परिवारों के साथ ठहरने के लिये आमंत्रित किया जायेगा ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या भारत में भी ऐसी कोई योजना है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्योरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गाँधी): (क) जी हां ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक वस्तुओं का देश में उत्पादन

4136. **श्री रा० की० अमीन** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय उद्योगपतियों और प्रतिरक्षा उत्पादन प्राधिकारियों के बीच निकट सहयोग नहीं है;

(ख) क्या प्रतिरक्षा के लिये आवश्यक सभी वस्तुओं के उत्पादन में तेजी लाने के लिये सरकार की कोई व्यवस्था है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी नहीं । वास्तव में सच तो यह है कि रक्षा भन्डारों को प्राप्त करने वाले विभिन्न प्राधिकारियों और उद्योगपतियों के बीच निकट सम्पर्क बनाया रखा जाता है ।

(ख) और (ग) अभी तक जिन रक्षा भण्डारों को बाहर से आयात किया जाता था उन्हें देश में ही तीव्र गति से बनाने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने के लिये रक्षा मन्त्रालय के अधीन एक अलग रक्षा पूर्ति विभाग स्थापित किया गया है। दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में सेम्पुल कक्ष स्थापित किये गये हैं जिनमें आयात की गई मदों को रखा गया है। उद्योगपतियों को यहां आमन्त्रित किया जाता है। माल उपलब्ध करने की प्रक्रिया और सरल बना दी गई है तथा निर्माण प्रक्रिया के दौरान या उससे पहले फर्मों को तकनीकी दिक्निर्देशन दिया जाता है।

उत्तर प्रदेश में रेडियधर्मिता वाले खनिज

4137. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तिब्बत के साथ मिलने वाले चमोली जिले (उत्तर प्रदेश) के कुछ क्षेत्रों में रेडियधर्मिता वाले खनिज मिले हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) इस क्षेत्र में विस्तृत सर्वेक्षण किया जा रहा है।

प्रूफ और एस्टैब्लिशमेंट, चांदीपुर (उड़ीसा) के कार्मिक कर्मचारियों के लिये बसें

4138. **श्री स० कुण्डू** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा के बालासोर जिले में प्रूफ और एस्टैब्लिशमेंट, चांदीपुर के कर्मचारियों की सुविधा के लिये दो बसों की व्यवस्था करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो बसें किस तारीख से उपलब्ध होंगी ;

(ग) सरकार द्वारा पहले दिये गये वचन के अनुसार अगस्त, 1968 में बसों के उपलब्ध न होने के क्या कारण थे; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस त्रुटि के लिये कोई विभागीय जाँच कराने का है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) : जी हां।

(ख) बसें अब मार्च, 1969 तक तैयार हो जाएंगी।

(ग) यद्यपि पूर्ति तथा संभरण महानिदेशक ने 12 फरवरी, 1968 को चेजिस भेज दिये थे लेकिन ढांचे बनाने वाले ठेकेदार को वे वास्तविक रूप से मई/जून, 1968 में प्राप्त हुये, जिसके परिणामस्वरूप बस के ढांचे अगस्त, 1968 तक तैयार नहीं हो सके। रेखाचित्रों में असंगित होने के कारण कुछ और देर हुई है। इन असंगतियों को अब ढाँचे बनाने वाले ठेकेदार के साथ बातचीत कर दूर कर लिया गया है।

(घ) जी नहीं।

Army Personnel Swept in Floods in Balsore

4139. **Shri Sharda Nand** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the personnel of the Indian army were swept away along with ammunition and rifles in the floods in Balsore in October, 1968 ; and

(b) if so, the financial assistance given by Government to their families ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Propaganda Material Circulated by the Chinese Embassy

4140. **Shri Sharda Nand** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of books and propaganda material circulated by the Chinese Embassy for propagating Maoism and seized by the authorities so far since the 1st January, 1968 ;

(b) whether it is a fact that the Chinese Embassy is now adopting various propaganda techniques which are contrary to diplomatic conventions ; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) to (c) The information required has been called for from all State Governments/Union Territories and will be placed before the House when received.

Release of Boats to Pakistan

4141. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Pakistan has not taken back those 28 boats so far, which were released by India in August, 1968 ; and

(b) if so, the reasons therefor and the total value thereof ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) The Pakistani fishermen have arrived in India and are in the process of taking over the possession of their boats.

(b) The total value, as assessed by the Indian customs of the 27 boats now being handed over, is approximately Rs. 6,96,000 (Rupees six lakhs and ninety six thousand only).

Cinema Houses in Union Territories and States under President's Rule

4142. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the number of Cinema Houses in the Union Territories and States under President's Rule ;

(b) the annual income realised as entertainment tax from the cinema houses of these Union Territories and States ;

(c) whether there is uniform rate of entertainment tax ; and

(d) if not, the rates obtaining in each Territory and State ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) to (d) A statement containing the information is laid on the Table of the House.

(Placed in Library. See No. LT-2643/68).

सेना में अफसरों की भर्ती तथा उनकी सेवा शर्तें

4143. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेना में विभिन्न श्रेणियों के अफसरों की भर्ती का स्रोत तथा उनकी सेवा शर्तें एक ही हैं;

(ख) क्या प्रशिक्षण के पश्चात् प्रशिक्षार्थियों को अधिकारियों द्वारा अपनी मर्जी से सेना के विभिन्न विभागों में भेजा जाता है तथा यह आवश्यक नहीं है कि प्रशिक्षार्थी को उनकी इच्छा के अनुसार भेजा जाये;

(ग) उपरोक्त अलाटमेंट का तरीका तथा आधार क्या है ;

(घ) क्या यह सच है कि ओ० टी० एस० तथा आई० एम० ए० से ए० एस० सी० आर्डिनेन्स तथा ई० एस० ई० को अफसर अलाट करते समय तथा उसके पश्चात् भी सामान्य केडर में अर्थात् कर्नल तथा उससे ऊपर के पदों पर तरक्की देने में भेदभाव बरता जाता है ; और

(ङ) क्या ऐसे बहुत से योग्य सैनिक अफसरों को जो बहुत अनुभव प्राप्त हैं, सेवा निवृत्त कर दिया गया है अथवा किये जा रहे हैं क्यों कि उनको सामान्य केडर में पदोन्नति नहीं हो सकी है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) थल सेना में अफसरों को भर्ती करने के विभिन्न स्रोत हैं और उनके लिये आयु सीमायें, शैक्षिक योग्यतायें और चयन प्रक्रियायें भी विभिन्न हैं। थल सेना के विभिन्न अंगों और सेवाओं में (आर्मी मेडिकल कोर, आर्मी डेन्टल कोर और आर्मी वेटेरिनरी कोर को छोड़ कर काम करने वाले अफसरों की सेवा के नियम और शर्तें मोटे रूप से समान ही हैं।

(ख) और (ग) : सीनियर अफसरों का बोर्ड ही कैडेटों के लिये जिस प्रकार की बातों को ध्यान में रखकर विभिन्न सेवांग और सर्विस नियत करते हैं वे इस प्रकार हैं :—

कैडेटों की अभिरुचि, प्रशिक्षण के दौरान उनकी कार्यकुशलता, उनके विभिन्न आयु-वर्ग, रिक्त स्थानों की उपलब्धि और सेवांग या सर्विस विशेष की खास आवश्यकतायें।

(घ) अफसरों के लिये सर्विस विशेष नियत करने या उनकी पदोन्नति के सम्बन्ध में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। सर्विसों में काम करने वाले अफसरों को सामान्यता उनकी अपनी ही कोर में पदोन्नत किया जाता है, लेकिन अपेक्षित अनुभव और योग्यताओं वाले अफसरों को जनरल कैडर में स्टाफ/अतिरिक्त रेजीमेंटल रोजगार नियुक्तियों पर भी तैनात किया जा सकता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

नाविकों, सैनिक और वैमानिकों के वेतन-मान

4144. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : **श्री लखन लाल गुप्ता** :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सैनिकों, नाविकों और वैमानिकों के वेतन-मानों में वैभिन्यता के क्या कारण हैं;

(ख) उनका युक्तियुक्त आधार पर निर्धारण न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या वेतन-मानों में वर्तमान असमानता न्यायोचित है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) सैनिकों, नाविकों और वैमानिकों के वेतनमान उनके ट्रेड, शैक्षिक स्तर, तकनीकी ज्ञान, प्रशिक्षण और अपेक्षित कार्य-कौशल के अनुसार बनाये गये हैं। ऐसी विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार विशेष वर्ग बनाये गये हैं और प्रत्येक वर्ग के अन्तर्गत काम करने वाले सभी कर्मिकों के वेतन मान समान होते हैं। अत: वेतन मानों में न तो कोई वर्तमान असमानता है और ना ही उन्हें किसी प्रकार युक्तिसंगत बनाने का प्रश्न ही विचाराधीन है।

प्रतिरक्षा उत्पादन

4145. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी : श्री लखन लाल गुप्ता :**

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रतिरक्षा उत्पादन में बरबादी रोकने और उसको सुचारु रूप से चालू रखने के लिये कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) रक्षा उत्पादन व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने की एक लगातार प्रक्रिया है। अन्य बातों के साथ उत्पादन में सामग्री की बरबादी रोकने के विचार से सरकारी क्षेत्र की संस्थानों में आन्तरिक लेखा परीक्षा की व्यवस्था के माध्यम से खर्च पर नियन्त्रण रखा जाता है। आर्डनेंस कारखानों में आर्डनेंस कारखानों के महानिदेशालय के मुख्यालय में गठित एक केन्द्रीय योजना अनुभाग उत्पादन की प्रत्येक पद के लिये निर्धारित रद्दी के अपरिहार्य प्रतिशत पर निगरानी रखता है तथा उसकी समीक्षा करता है। इससे रद्दी कम से कम होगी तथा उत्पादन का स्तर भी बना रहेगा। सामग्री की बरबादी न होने देने के लिये भी उपाय किये जा रहे हैं। उत्पादन की प्रक्रियाओं को सरल बनाने तथा/अथवा इन्हें कम करने के विचार से उत्पादन कार्यक्रमों की विभिन्न पद्धतियों के अध्ययन तथा विश्लेषण करने के लिये कारखानों और आर्डनेंस कारखानों के महानिदेशालय के मुख्यालय में प्रणाली अनुभाग खोले गये हैं।

(ख) रक्षा संस्थानों में निर्माण की लागत सामान्यता ट्रेड लागत या एफ० ओ० बी० मूल्य के अनुकूल ही होती है।

Advertisements and Newsprint Quota for Newspapers Propagating Communalism

4146. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Government as well as the State Governments have stopped giving advertisements and newsprint quota to the newspapers propagating communalism ;

(b) if so, the names of the said newspapers and journals ; and

(c) the languages in which they are published and the places of their publication ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) to (c) It is the policy of the Central Government to withhold advertisements from newspapers and periodicals which indulge in virulent propaganda inciting communal passions. It is not in the public interest to disclose the names of these papers. The State Government exercise their own discration in the matter of release of advertisements to newspapers. So far as denial of newsprint in concerned, the matter is under examination in all it aspects.

Film Industry in Bihar

4147. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Bihar is the most backward State in respect of film industry ;

(b) if so, whether Government have prepared any scheme for the development of this industey in Bihar ;

(c) if so, the details thereof ; and

(d) if not, the reasons thereof ?

The Minister of Information and Broadcating (Shri K. K. Shah) : (a) It is true that a few films in Bhojpuri dialect were produced in Bihar but there is no organised film industry in that State.

(b) to (d) Unless the State Government takes initiative for development of this industry in Bihar, efforts of the Government of India cannot succeed.

समाचारों का प्रसारण

4148. **श्री शिवचरण लाल** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी से प्रसारित किये जाने वाले समाचारों में एक-तिहाई विदेशी समाचार होते हैं;

(ख) क्या देश के ऐसे महत्वपूर्ण समाचार जो सरकार के खिलाफ होते हैं प्रसारित नहीं किये जाते और यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या संसद में विरोधी दलों के सदस्यों के नाम शासक दल के सदस्यों की तुलना में कम प्रसारित किये जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) कोई समान अनुपात नहीं है। प्रत्येक समाचार, चाहे देश का हो चाहे विदेश का, समाचारिक महत्व से देखा जाता है।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मिर्जा अफजल बेग और पाक-उच्चायुक्त के बीच बातचीत

4149. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : **श्री बी० चं० शर्मा** :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारत स्थित पाकिस्तान उच्चायुक्त और पाकिस्तान समर्थक जनमत संग्रह मोर्चा नेता, श्री अफजल बेग के बीच हाल ही में हुई बातचीत की ओर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य-मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) मिर्जा अफजल बेग ने सरकार को यह नहीं बताया कि क्या विचार-विमर्श हुआ था । वह एक स्वतन्त्र नागरिक हैं जिनके विदेशी राजनयिकों से मिलने पर कोई पाबन्दी नहीं है ।

पंचमहल जिले को पिछड़ा जिला घोषित करना

4150. **श्री नरेन्द्र सिंह महोडा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात का पंचमहल जिला पिछड़ा जिला घोषित किया गया हैं ;

(ख) यदि हां, तो 1966-67 और 1997-68 में इस जिले के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी वि ीय व्यवस्था की गई थी; और

(ग) वह राशि किन मदों पर खर्च की गई थी ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मन्त्री, तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) (क) पंच महल जिले के ग्यारह तालुकों में से नौ को राज्य सरकार ने तेजी से विकास के लिए पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया है ।

(ख) और (ग) : केन्द्रीय सहायता समस्त राज्य योजना के बारे में है, जिसमें इन क्षेत्रों के विकास का प्रावधान भी शामिल है ।

दक्षिण अफ्रीका के स्वाधीनता आन्दोलन का समर्थन

4151. **श्री हिम्मत सिंह का** : **श्री सु० कु० तापड़िया** :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफ्रीकी-एशियाई ब्लाक ने एक संकल्प का प्रारूप प्रस्तुत किया था जिसमें नवम्बर, 1968 के दूसरे सप्ताह में संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष राजनीतिक समिति में जातीय पृथक्करण के विरुद्ध दक्षिण अफ्रीका के स्वाधीनता आन्दोलन के समर्थकों को राजनीतिक तथा सामग्री सम्बन्धी अधिक सहायता देने के लिये अनुरोध किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसमें भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने क्या रवैया अपनाया था; और

(ग) इस प्रस्ताव का क्या परिणाम निकला ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) भारत ने प्रारूप-संकल्प को 49 देशों के साथ मिल कर रखा और उसके पक्ष में मतदान किया। जातीय पृथक्वासन के विरुद्ध भारत का हमेशा का जो रवैया रहा है हमारे प्रतिनिधि ने उसी की पुनरावृत्ति की है। विशेष राजनीतिक समिति ने अफ्रीका-एशिया संकल्प को / के बजाय 95 बहुमत से स्वीकार किया और 15 व्यक्तियों ने इसमें मतदान नहीं किया।

"आकाशवाणी का विश्वविद्यालय" वार्ता

4152. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पत्राचार पाठ्यक्रम करने वाले विद्यार्थियों के लाभ के लिये आकाशवाणी के दिल्ली तथा मद्रास केन्द्र से 'आकाशवाणी का विश्वविद्यालय' शीर्षक से प्रति सप्ताह एक वार्ता प्रसारित की जाती है ;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसा प्रसारण अन्य केन्द्रों से विशेषकर राजस्थान के लाभ के लिए न करने के क्या कारण हैं, जहां 600 से अधिक विद्यार्थी पत्राचार पाठ्यक्रम पर रहे हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय पत्राचार पाठ्यक्रम साहित्य संघ राजस्थान ने उनसे इस साप्ताहिक वार्ता को राजस्थान से भी प्रसारित करने का अनुरोध किया है ;

(घ) यदि हां, तो यह अनुरोध क्यों अस्वीकार कर दिया गया था; और

(ङ) इस वार्ता को निकट भविष्य में राजस्थान से प्रसारित करने के बारे में क्या संभावनाएं हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) "आकाशवाणी का विश्वविद्यालय" कार्यक्रम दिल्ली और मद्रास केन्द्रों से सप्ताह में पांच दिन प्रसारित किया जाता है।

(ख) पत्राचार पाठ्यक्रम करने वालों की अधिक संख्या दिल्ली, मद्रास और उत्तर प्रदेश में है। राजस्थान सहित अन्य क्षेत्रों में इस प्रकार के विद्यार्थियों की संख्या इतनी नहीं है कि जिससे उन क्षेत्रों के केन्द्रों से इस कार्यक्रम का प्रसारण आवश्यक हो। तथापि, राजस्थान और दिल्ली के पड़ोसी क्षेत्रों के लाभ के लिए आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र ने 19 अगस्त, 1968 से इस कार्यक्रम को अधिक शक्तिशाली ट्रान्समीटरों पर प्रसारित करना शुरू कर दिया है। यह दिल्ली विश्वविद्यालय पत्राचार पाठ्यक्रम विद्यार्थी साहित्यिक संघ, राजस्थान के अनुरोध पर किया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) वर्तमान कार्यक्रम अधिक होने, साधनों की कमी और इस बात के कारण कि राजस्थान में इन पाठ्यक्रमों को करने वाले विद्यार्थियों की संख्या तुलनात्मक कम थी, प्रस्ताव संभव नहीं पाया गया।

(ङ) निकट भविष्य में नहीं।

किसी क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने के मानदण्ड

4153. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी प्रदेश अथवा क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाये जाते हैं ;

(ख) ऐसे प्रदेशों अथवा क्षेत्रों के आर्थिक विकास की योजनाओं के लिए क्या मार्गदर्शी सिद्धान्त अपनाये जाते हैं ; और

(ग) ऐसे क्षेत्रों की विशेष समस्याओं को हल करने के लिए यदि कोई विशेष योजनायें बनाई गई हैं, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) राज्य के अन्तर्गत उल्लेखनीय पिछड़े क्षेत्रों के निर्धारण के लिए जो विकास के सूचक कुछ समय पूर्व तैयार किये गये थे, उनको दर्शाते हुए एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2644/68]

(ख) दिनांक 13-11-1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 485 के भाग (ग) के उत्तर की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

(ग) योजना आयोग ने राज्य सरकारों पर इस बात के लिए बल दिया है कि वे एक राज्य के अन्दर जिन क्षेत्रों को पिछड़ा समझा जाय उनमें अवस्थापना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) सुविधाओं के निर्माण और उन क्षेत्रों के प्राकृतिक साधनों का संरक्षण और विकास करने की आवश्यकता पर ध्यान दें ताकि असमानतायें घटाई जा सकें। आशा है राज्य सरकारें तदनुसार इस प्रकार की योजनाएँ तैयार करेंगी जो उनके विचार से प्रत्येक मामले में स्थानीय दशाओं के सबसे अनुकूल हैं और जिनसे आशा है कि वे उल्लेखनीय पिछड़े क्षेत्रों के विकास में तेजी लायेंगे।

उत्तर प्रदेश के फैजाबाद खण्ड का विकास

4154. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़ा क्षेत्र निर्धारित करने के सरकार के मापदण्ड के अनुसार उत्तर प्रदेश का फैजाबाद खण्ड एक पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र के विकास के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) आयोजन और विकास के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के भाग के रूप में फैजाबाद खण्ड के (बाराबंकी जिले को छोड़ कर) पिछड़ा क्षेत्र मानने का राज्य सरकार द्वारा निश्चय किया गया है।

(ख) राज्य की चौथी पंचवर्षीय योजना, जिसे अभी अंतिम रूप दिया जाना है, में विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्रावधान का आबंटन करते समय राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जायेगा।

इण्डियन रेयर अर्थस् लिमिटेड द्वारा विरल मृद् (रेयर अर्थ) का निर्यात

4155. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन रेयर अर्थस् लिमिटेड द्वारा वर्ष 1967–68 में कुल कितने मूल्य की विरल मृद् (रेयर अर्थ) का निर्यात किया गया;

(ख) उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्हें विरल मृद् का निर्यात किया गया; और

(घ) आगामी तीन वर्षों में विरल मृद् का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग)

1967-68 के दौरान इण्डियन रेयर अर्थ लिमिटेड द्वारा योरप के देशों, अमेरिका और जापान को रेयर अर्थ क्लोराइड निर्यात करने से 94.04 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा कमायी गयी।

(क) निम्नलिखित उपाय विचाराधीन हैं :–

1. उत्पादन व्यय में कमी,
2. प्रत्येक रेयर अर्थ को आर्थिक लाभ की सीमा तक अलग करना,
3. विविधता,
4. माल की किस्म में उपभोक्ता की आवश्यकताओं के अनुरूप सुधार करना, और
5. रेयर अर्थ के उत्पादनों के बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं से वैयक्तिक सम्बन्ध रखना।

भारतीय वायु सेना की विभिन्न शाखाओं में पदोन्नति

4156. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायु सेना की (अ) उपकरण (ब) शिक्षा (स) तकनीकी और (द) प्रशासनिक शाखाओं में पदोन्नति के मामले में कोई पक्षपात किया जाता है;

(ख) क्या उक्त पक्षपात के कारण प्रशासनिक शाखा में काम कर रहे कर्मचारियों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो पक्षपात को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

Rapid Development of Sawai Madhopur (Rajasthan)

4157. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether any special provision for the development of district Sawai Madhopur (Rajasthan) which has been declared backward has been made during 1968-69 ;

(b) whether any scheme is proposed to be included in the Fourth Five Year Plan especially for the development of the said district ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) The district-wise allocations can be made only after the provisions for the States Fourth Five Year Plan itself are finalised.

(b) and (c) The needs and potentialities of the district are expected to be kept in view by the State Government in making the districtwise allocations. Attention is also invited to the reply given to part (c) of the Unstarred Question No. 485 on 13-11-68.

उत्तर वियतनाम के प्रतिनिधिमन्डल द्वारा काश्मीर के बारे में लाहोर में वक्तव्य

4158. **श्री अदिचन** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उत्तर वियतनाम के प्रतिनिधिमन्डल द्वारा 10 नवम्बर, 1968 को लाहौर में दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें "काश्मीर की जनता के आत्मनिर्णय के अधिकार" का समर्थन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) सरकार ने पाकिस्तान के अखबारों में इस आशय की खबरें देखी हैं।

(ख) सरकार ने इस मामले को वियतनाम लोक गणराज्य स्थित अपने प्रधान कांसलावास के माध्यम से वहां की सरकार के साथ उठाया है।

आकाशवाणी में स्टाफ कलाकार

4159. **श्रीबाल्मीकि चौधरी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऑल इण्डिया रेडियो ब्राडकास्टर्स एण्ड टेलीकास्टर्स गिल्ड ने हाल के एक प्रेस सम्मेलन में मांग की है कि आकाशवाणी के स्टाफ कलाकारों की स्थिति में सुधार किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मागें क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) अखबारों में छपे समाचार के अनुसार, आल इंडिया रेडियो ब्राडकास्टर्स एंड टेलीकास्टर्स गिल्ड की 16 और 17 नवम्बर, 1968 को एक कन्वेन्शन हुआ था। पता लगा है कि उस कन्वेन्शन में कुछ प्रस्ताव पास किए गए थे। कन्वेन्शन में पास किए हुए प्रस्तावों की प्रतियां हाल ही में प्राप्त हुई हैं, जो सदन की मेज पर रख दी गई हैं। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखये संख्या एल० टी०** 2645/68] उनमें की गई मांगों पर सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

Ordnance Factories

4160. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there are 27 Ordnance Factories under the Hindustan Aeronautics Limited ;

(b) if so, the names of the equipments being manufactured in each of those factories ; and

(c) the number of employees belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other castes separately in each of those factories, category-wise ?

The Minister of States (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) There are 27 Ordnance Factories under the administrative control of the Director-General, Ordnance Factories and not under the Hindustan Aeronautics Limited. The Ordnance Factories are Departmental undertakings under the Department of Defence Production while the Hindustan Aeronautics Limited is a Public Sector Undertaking under the same Department.

(b) The Ordnance Factories manufacture a number of items required for the defence services as well as others and these include different types of arms and ammunition, vehicles, clothing and parachutes, leather goods, optical and fire control instrument cables etc.

(c) The information is being collected.

सद्भावना शिष्टमण्डल

4161. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मित्रतापूर्ण सम्बन्धों को उत्तरोत्तर सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विदेशों में पर्याप्त संख्या में सद्भावना शिष्टमण्डल भेजने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे सद्भावना शिष्टमण्डल भेजने की योजना बनाने में सुदूर देशों की अपेक्षा निकटवर्ती एशियाई देशों को समुचित महत्व दिया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो निकट भविष्य में ऐसे कितने शिष्टमण्डल भेजने का विचार है और उनमें से कितने शिष्टमण्डल एशियाई देशों में भेजे जायेंगे ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां ।

(ख) भारत के सभी मित्र देशों का यथोचित ध्यान रखा जाता है ।

(ग) करीब सात, जिसमें से पांच एशियाई क्षेत्र के देशों के लिए होंगे ।

आकाशवाणी के कलाकारों के वेतनमान

4162. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के कलाकारों के वेतनमानों का पुनरीक्षण पिछले 25 वर्षों में नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) आकाशवाणी के कलाकारों के वेतनमानों के पुनरीक्षण के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

आकाशवाणी में समय का बढ़ाया जाना

4163. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकशवाणी ने अपना कार्यक्रम प्रातः 6-30 बजे आरम्भ करने की बजाय प्रातः 6 बजे आरम्भ करके अपने कार्यक्रमों का समय बढ़ा दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह परिवर्तन स्थायी है ; या अस्थायी ;

(घ) क्या संध्याकाल और रात्रि को भी अपने कार्यक्रमों का समय बढ़ाने का सरकार का विचार है और यदि हां, तो कब ; और

(ङ) इस बढ़ाये गये समय में से कितना समय राष्ट्रीय शूरवीरता और देशभक्ति के गीतों और अन्य कार्यक्रमों के लिये किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) (क) और (ख) आकाशवाणी के केन्द्रों के ट्रान्समिशन के घंटों में कोई आय वृद्धि नहीं हुई है। तथापि, 17 दिसम्बर, 1967 से ट्रान्समिशन के सुबह के घण्टों में, जो 6 बजे से शुरू होता था और 6.30 बजे कर दिया गया था, की कोई कटौती को फिर से बरकरार कर दिया गया है और इसके परिणामस्वरूप दिल्ली 'क' अहमदाबाद बड़ौदा, कलकत्ता 'क' भुज तथा राजकोट अपने पहले के समय से कार्यक्रम प्रसारित करने लगे हैं और उनके कार्यक्रम प्रातः साढ़े छः के स्थान पर छः बजे शुरू होते हैं।

(ग) आकाशवाणी के केन्द्रों के ट्रान्समिशन के घंटों में, कार्यक्रमों की आवश्यकता और तकनीकी विचार को ध्यान में रख कर समय-समय पर परिकर्तन किया जाता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) इसके बारे में कोई निश्चित नियम नहीं है। राष्ट्रीय शूरवीरता तथा देशभक्ति के गीतों तथा अन्य फ़ीचरों को आम कार्यक्रम के ढांचे में स्थान दिया जाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय अणु-शक्ति अभिकरण

4164. **श्री हिम्मतसिंहका** : **श्री अदिचन** :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय अणु शक्ति अभिकरण को यह सुझाव दिया है कि केवल शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के लिये ही आणविक विस्फोटों की अनुमति देने के लिये एक नियामक निकाय की स्थापना की जाये ; और

(ख) यदि हां, तो अन्तर्राष्ट्रीय अणु-शक्ति अभिकरण की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

(क) जी नहीं।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय अणु-शक्ति अधिकरण की ठीक-ठीक प्रतिक्रिया अभी उपलब्ध नहीं है।

चैकोस्लोवाकिया में भारतीय लोग

4165. **श्री रा० बरुआ** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ समय पूर्व जब चैकोस्लोवाकिया में वारसा संधि देशों की सेनाओं ने प्रवेश किया था, उस समय वहां कुल कितने भारतीय थे ;

(ख) क्या रूसी नेतृत्व में घुसी सेनाओं द्वारा चैकोस्लोवाकिया पर अधिकार किये जाने पर वे भारतीय किसी प्रकार से प्रभावित हुए थे और यदि हां, तो उन पर क्या प्रभाव पड़ा था ; और

(ग) क्या उस देश में भारतीयों के हितों की रक्षा करने के लिये सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई थी और यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मंत्री योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है ।

ब्रिटेन में भारतीय प्रवासी

4166. **श्री म० ल० सोंधी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेनवासी यह चाहते हैं कि ब्रिट्रेन में रहने वाले आप्रवासियों को उन के देशों में वापस भेज दिया जाये ;

(ख) यदि हां, तो भारतीय प्रवासियों के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) ऐसे भारतीय प्रवासियों की संख्या कितनी है, जो इस से प्रभावित होने वाले हैं ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) जी नहीं । मोटे तौर पर ब्रिटेन में जनमत इस सुझाव के पक्ष में नहीं है कि यूनाइटेड किंगडम के आप्रवासियों को वापस भेजा जाना चाहिए ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

भारत के साथ युद्ध न करने के करार का पाकिस्तान द्वारा प्रस्ताव

4167. **श्री देवकीनंदन पाटोदिया** : **श्री रा० कृ० सिंह** :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तान के प्रेजीडेंट के 20 अक्तूबर, 1968 के भाषण पद जिसमें उन्होंने भारत के साथ युद्ध न करने के करार पर हस्ताक्षर करने की पेशकश की बताते हैं, विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस पेशकश को क्रियान्विति के लिये स्वीकार्य समझती है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने 26 अक्तूबर, 1968 को भारत के 'युद्ध नहीं संधि' के बारे में जो सशर्त प्रस्ताव रखा था, उस पर विचार किया जा रहा है ।

चौथी योजना के लिए प्रतिरक्षा साधन जुटाना

4168. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्य **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या यह सच है कि कराधान के द्वारा अतिरिक्त संसाधन जुटाने के प्रश्न पर गंभीर मतभेद पैदा हो गये हैं;

(ख) क्या इन मतभेदों के परिणामस्वरूप चौथी योजना के आकार सम्बन्धी निर्णय में विलम्ब हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो वास्तविक मतभेद क्या हैं; और

(घ) इन मतभेदों के कब तक दूर किये जाने की संभावना है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (घ) चौथी योजना के लिए साधनों को जुटाने से सम्बन्धित प्रश्न पर जो विभिन्न सुझाव हैं, उनकी योजना आयोग, संघीय सरकार और राज्य सरकारों से विचार-विमर्श कर जांच कर रहा है, ताकि समुचित विश्लेषण किया जा सके । इस प्रश्न पर राष्ट्रीय विकास परिषद् की समिति में विचार-विमर्श हो चुका है । यह कहना सच नहीं है कि इस बारे में विरोधी विचारों के कारण इस सम्बन्ध में कोई देरी हुई है । चौथी योजना पर तेजी से काम हो रहा है और योजना का प्रारूप कार्यक्रम के अनुसार निकल जाने की सम्भावना है ।

चौथी योजना के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता

4169. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : **श्री रा० रा० सिंह देव** :
श्री न० कु० सांघी :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों को चौथी योजना अवधि में दी जाने वाली सहायता की राशि इस प्रयोजन के लिये निर्धारित कसौटी के अनुसार नियत कर दी गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस बारे में कब तक निर्णय किया जायेगा ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख) इस कार्य के लिए जो विभिन्न कसौटियां निर्धारित की गई हैं, उनके बारे में सम्बद्ध आंकड़े उपलब्ध होने पर सहायता के राज्यवार आवंटन का ब्यौरा तैयार किया जायेगा ।

विदेशी फिल्मों का आयात

4170. **श्री काशीनाथ पांडेय** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत ग्यारह महीनों में ऐसी कितनी विदेशी फिल्मों का आयात किया गया जिन्हें प्रदर्शित करने की विवाचन प्राधिकार ने अनुमति नहीं की, इन फिल्मों के नाम क्या हैं और इन के प्रदर्शन की अनुमति न देने के क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : पिछले ग्यारह महीनों में केन्द्रीय फिल्म सेन्सर बोर्ड ने विदेशों से आयातित आठ फिल्में अर्थात् (1) दो ग्रेटस्ट ज्यूल राबरी (2) डैथ लेड एन० एग (3) दो जैकालस् (4) मासएक्रे टाइम (5) क्रासिंग इन कारक्स (6) नवाजो जाई (7) एन्जेल्स ऑन दी मूव तथा (8) दी इन्सडिन्ड को प्रमाणपत्र देने से इन्कार कर दिया । उपर्युक्त

फिल्मों में से आयात करने वालों से 'दो इन्सिडेन्ट' फिल्म के बारे में उसको दिखाने के लिये प्रमाण-पत्र न देने के बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध अपील प्राप्त होने पर केन्द्रीय सरकार ने सिनेमाटोग्राफ अधिनियम, 1952 की धारा 5 सी के अन्तर्गत, बोर्ड को यह आज्ञा दी कि वे इस फिल्म को जनता को दिखाने के लिये 'केवल वयस्कों के लिये' प्रमाण-पत्र प्रदान करें।

बोर्ड ने उपयुक्त फिल्मों को इस लिये प्रमाण-पत्र नहीं दिया क्योंकि इनमें से प्रत्येक फिल्म सिनेमाटोग्राफ की धाराओं तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों का या तो पालन नहीं करती थी या विरुद्ध थी।

भारत-श्रीलंका वार्ता

4171. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** **श्री रा० कृ० सिंह :**
श्री चेंगल रायानायडू : **श्री न० कु० साधी :**
श्री क० प्र० सिहदेव : **श्री ई० के० नायनार :**
श्री वेणी शंकर शर्मा : **श्री रा० रा० सिंह देव :**
श्री शिव चन्द्र झा : **श्री मुहम्मद शरीफ :**

क्या **वैदेशिक-कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री लंका में बसे भारतीयों के बारे में 1964 में हुए करार के कार्यान्वियन पर पुनर्विचार करने के लिये हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच बातचीत हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उस बैठक में क्या-क्या मुख्य निर्णय किये गये थे ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी हां।

(ख) (1) दोनों प्रधान मन्त्रियों ने यह देखा कि इस करार को क्रियान्वित करने से सम्बन्ध कार्य कोलम्बो में सम्मिलित समिति में और अधिकारियों की बातचीत में संतोषजनक रीति से हुआ है; उन्होंने इस करार को अब तक की भांति आपसी सहयोग और सद्भाव की भावना से क्रियान्वित करने का दृढ़-निश्चय भी व्यक्त किया।

(2) श्री लंका की सरकार ने उन लोगों को श्रीलंका की नागरिकता प्रदान करने में जल्दी करने की सहमति व्यक्त की जिनके प्रार्थना-पत्रों पर अभी विचार होना है। श्रीलंका-स्थित भारतीय हाई कमीशन भी शेष प्रार्थना-पत्रों पर विचार करके भारतीय नागरिकता प्रदान करता रहेगा।

(3) श्रीलंका के प्रधान मन्त्री ने बताया कि 1964 के करार के अंतर्गत भारत लौटने वाले लोगों को अब वर्तमान मुद्रा नियंत्रण विनियम के अनुसार अधिकतम सीमा तक (75000 रुपये श्रीलंका) की अपनी आस्तियों को अपने साथ लाने की इजाजत दी जाएगी और इसके लिए उन्हें विदेशी मुद्रा अधिकार प्रमाण-पत्र नहीं खरीदना होगा।

(4) इस बात पर भी सहमति हुई कि 1964 के करार के अंतर्गत श्रीलंका में भारतीय-मूल के जिन 150,000 व्यक्तियों पर विचार नहीं किया गया था उनक सवाल को भी इस करार की क्रियान्विति होने पर उठाया जाएगा।

चीन–पाक संयुक्त प्रतिरक्षा नीति

4172. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तान के जनरल याहियां खां तथा चीनी मुक्ति सेना के प्रधान जनरल लुयान युंग शेन के बीच हुए इस कथित समझौते की ओर दिलाया गया है कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच होने वाले किसी नये संघर्ष के मामले में दोनों देश एक संयुक्त प्रतिरक्षा नीति अपनायेंगे ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस समाचार की सत्यता की जांच की है ; और

(ग) यदि सरकार ने इस नये संकट का प्रतिकार करने के लिये कोई कार्यवाही की है तो वह क्या है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) यद्यपि पाकिस्तान और चीन के बीच बढ़ते हुए सैनिक संबन्धों के बारे में और इससे हमारी सुरक्षा को उत्पन्न खतरों के संबन्ध में सरकार सजग है, लेकिन कथित समझौते के संबन्ध में सरकार को सूचना नहीं मिली है। हम अपनी रक्षा योजना को बनाते हुए पाकिस्तान और चीन से होने वाले खतरों को हमेशा ध्यान में रखते हैं।

सैनिक कर्मचारियों को पेंशन

4173. **श्रीमती निरलेप कौर** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सैनिक कर्मचारियों को कुछ वर्षों की न्यूनतम सेवा पूरी करने पर ही पेंशन दी जाती है : और

(ख) यदि हां, तो कितने वर्षों की सेवा के बाद उन्हें पेंशन दी जाती है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) पेंशन पाने का हकदार होने के लिए सैनिक कार्मिकों को अर्हता सेवा की निम्नलिखित न्यूनतम अवधि पूरी करनी होती है :—

(1) स्थाई नियमित कमीशन प्राप्त अफसर	—20 वर्ष
(2) देर में सेवा मे आए हुए स्थाई नियमित कमीशन प्राप्त अफसर	—15 वर्ष
(3) जूनियर कमीशंड अफसर और अन्य जवान	—15 वर्ष
(4) गैर लड़ाकू (भर्ती किए हुए) सैनिक	—20 वर्ष
(5) रिजर्विस्ट	सेवा की शर्तों के अनुसार 15 से 20 वर्ष की संयुक्त सैनिक और रिजर्व अर्हता सेवा।

Ban on Film Songs

4174. **Shri Kashi Nath Pandey :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some State Governments have banned certain film songs in their States ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the names of the films whose songs have been banned in various States, separately ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) to (c) The information is being collected from the State Governments and will be laid on the Table of the House.

राज्य चलचित्र पुरस्कार

4175. **श्री बसुमतारी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में चलचित्र उद्योग के किन-किन व्यक्तियों ने राज्य फ़िल्म पुरस्कार प्राप्त किये ;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ; और

(ग) उन चलचित्र अभिनेताओं तथा चलचित्र निर्माताओं ने नाम क्या हैं जिन्हें नकदी में पुरस्कार दिये गये हैं और कितनी-कितनी राशि के ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ग) एक विवरण, जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है, सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2646/68]

चलचित्र निर्माताओं को विदेशी मुद्रा दी जाना

4176. **श्रीबसुमतारी : श्री जुगल मंडल :**

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चलचित्र निर्माताओं सर्व श्री (एक) एच० एस० रवेल (दो) देवेन्द्र गोयल (तीन) बी० आर० चोपड़ा (चार) रामानन्द सागर (पांच) देवानन्द (छे) राज कपूर (सात) आर० डी० बंसल (आठ) टी० सी० बारबाट्या (नौ) आई० एस० जौहर (दस) के० आसिफ (ग्यारह) एस० कृष्णमूर्ति (बारह) बिमल राय (तेरह) जी० पी० सिप्पी (चौदह) एन० एन० सिप्पी (पन्द्रह) पाच्छी (सोलह) नासिर खां (सत्रह) मोहन सहगल (अठारह) आर० के० नय्यर (उन्नीस) कुलजीत पाल (बीस) वसु मेनन और (इक्कीस) केवल पी० कुशाप को विदेशों में चलचित्रों की शूटिंग के लिये कोई विदेशी मुद्रा दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले पांच वर्ष में इसमें से किन-किन चलचित्र निर्माताओं को और कितनी-कितनी विदेशी मुद्रा दी गई ; और

(ग) क्या इन चलचित्र निर्माताओं द्वारा बनाई गई किसी चलचित्र को मनोरंजन-कर से छूट दी गई है और यदि हां, तो उस चलचित्र तथा उसके निर्माता का नाम क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

'न्यू यार्क टाइम्स' में भारतीय मुसलमानों सम्बन्धी लेख

4177. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "न्यू यार्क टाइम्स" के दिल्ली संवाददाता का नाम क्या है, जिसने 28 अक्तूबर, 1968 को भारतीय मुसलमानों के सम्बन्ध में एक लेख लिखा है जिसमें कहा गया है कि वे तिरस्कृत एवं पृथककृत जीवन व्यतीत कर रहे हैं ; और

(ख) उपरोक्त लेख के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जोसेफ लेलीवेल्ड ।

(ख) सरकार के विचार से यह लेख स्थिति को सही रूप में पेश नहीं करता । इस बारे में संबद्ध संवाददाता को बता दिया गया है ।

पूर्वी पाकिस्तान में भारतीयों की अवैध संम्पत्तियों का पकड़ा जाना

4178. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी पाकिस्तान में भारतीयों की संपत्तियों पर गैर-कानूनी कब्जा किये जाने और उसके बेच दिये जाने के मामले को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाने के प्रश्न पर विचार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी : (क) और (ख) यह मामला सरकार के विचाराधीन है ।

गणतन्त्र-दिवस की परेड

4179. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : **श्री प्रकाश वीर शास्त्री** :
श्री रामगोपाल शालवाले : **श्री ओम प्रकाश त्यागी** :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने आगामी गणतंत्र-दिवस की परेड में अपनी झांकी भेजने के बारे में अपनी अनिच्छा व्यक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या अन्य राज्यों से भी इस प्रकार की इन्कारी के पत्र आये हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ने 1969 के गणतंत्र-दिवस की परेड में अपनी एक झांकी भेजने का प्रस्ताव रखा था । झाँकियों तथा लोक-नृत्यों के विभिन्न प्रस्तावों पर विचार करने के लिये बनी हुई एक समिति ने उस प्रस्ताव पर विचार किया । उस समिति के विचारानुसार उसके द्वारा सुझाए गए विषय पर अगर दिल्ली प्रशासन कोई झांकी तैयार करे तो वह अधिक प्रभावपूर्ण होगी । दिल्ली प्रशासन ने अभी तक यह नहीं बताया है कि वे समिति द्वारा सुझाए गए विषय पर कोई झांकी भेजेंगे या नहीं ।

(ग) तथा (घ) कुछ राज्य सरकारों/संघीय प्रदेशों नामतः अन्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह, दादरा तथा नागर हवेली, केरला, उड़ीसा तथा पाण्डुचेरी, ने यह बताया है कि वे 1969 के गणतंत्र-दिवस की परेड में अपनी कोई झांकी नहीं भेज सकेंगे। उन्होंने इसके लिए कोई विशेष कारण नहीं दिया है।

वायुसेना से जवानों का नौकरी से हटाया जाना

4180. **श्री ई० के० नायनार** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वायु सेना से उन जवानों को नौकरी से हटाने का है, जो अपनी पहली लड़ाई लड़ने के बाद नौकरी में नहीं रहना चाहते; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) और (ख) प्रारम्भ में जितने समय तक अनिवार्य रूप से सेवा करनी पड़ती है उस अवधि की पूर्ति पर जो वायु सैनिक सर्विस में न रहना चाहते हों तो उन्हें इस शर्त पर धीरे-धीरे सर्विस से विमुक्त किया जाता है कि सर्विस की आवश्यकताएँ पूरी होती रहें।

चित्रपुरी बस्तियां

4181. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में चलचित्र निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिये आन्ध्र प्रदेश का ब्रह्मानन्द चित्रपुरी के समान विभिन्न राज्यों में चित्रपुरी बस्तियां बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार इस परियोजना में सहयोग देगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समयसदन की मेज पर रख दी जायेगी।

(ग) जी नहीं, जैसी कि फिलहाल सलाह दी गई है।

बिहार में परमाणु संयंत्र

4183. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार ने बिहार में परमाणु संयंत्र स्थापित किये जाने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी :) (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सिंध पश्चिम पाकिस्तान में अल्प संख्यकों की दुर्दशा

4184. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम पाकिस्तान के सिंध जिले में हिन्दू-सिख अल्पसंख्यकों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया जा रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि पाकिस्तान की पुलिस इन अल्पसंख्या समुदायों के दुकानदारों से बलात धन प्राप्त करती रही है;

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है: और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) सरकार यह जानती है कि पश्चिम पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र के अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना घर किये जा रही है और उन्हें हर तरह से परेशान किया जाता है।

(ख) सरकार को ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है। लेकिन ऐसी रिपोर्टें मिली हैं कि जब कभी सरकारी अथवा गैर-सरकारी समारोहों के लिये धन एकत्रित किया जाता है तो हिन्दुओं को दूसरे समुदायों से ज्यादा देने के लिये मजबूर किया जाता है।

(ग) और (घ) पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के प्रति व्यवहार के प्रश्न को सरकार ने पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया है। लेकिन, पाकिस्तान सरकार की ओर से कोई उत्साह-वर्धक उत्तर नहीं मिला है।

नेपाल की तराई में बसे भारतीय लोग

4185. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल की तराई में बसे भारतीयों के प्रश्न पर नेपाल के साथ हाल में बात-चीत की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री, तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) नेपाल तराई के भारतीय अधिवासियों के प्रश्न पर दोनों सरकारों के बीच बराबर विचार-विमर्श होता ही रहता है, और हाल ही में हमारे राष्ट्रपति 12 अक्तूबर से 16 अक्तूबर, 1968 तक के लिये नेपाल की राजकीय यात्रा पर गये थे उस समय इस बारे में सर्वोच्च स्तर पर बातचीत हुई थी।

(ख) नेपाल के महामहिम की सरकार ने भारतीय पक्ष को आश्वासन दिलाया कि उनकी मंशा किसी भी भारतीय अधिकारी को विस्थापित करने की अथवा किसी के अधिकार में कोई सम्पत्ति हो और वह उसका उपयोग कर रहा हो तो उसे उससे वंचित नहीं किया जायेगा।

प्रतिरक्षा व्यय के संगणकों का प्रयोग

4186. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संगणकों के प्रयोग के द्वारा प्रतिरक्षा व्यय में भारी कमी की जा सकती है और भण्डारों पर अधिक प्रभावी नियंत्रण रखा जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन संगणकों के प्रयोग की वांछनीयता पर विचार किया गया है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) मेन्ट्रल आर्डनेंस डिपो, दिल्ली छावनी में वस्तु-सूची नियंत्रण कार्य के लिये इलेक्ट्रानिक उपकरणों से आंकड़े तैयार करने की प्रक्रिया पर प्रारम्भिक अध्ययन करने की व्यवस्था मंजूर की गई है। प्रतिरक्षा व्यय कहां तक कम किया जा सकता है और संगणकों के उपयोग से स्टाक पर कहां तक और अधिक प्रभावी नियंत्रण रखा जा सकता है। यह सब प्रारम्भिक अध्ययन के परिणामों के मूल्यांकनों के बाद ही मालूम हो सकेगा। उपलब्ध परिणामों के आधार पर इस व्यवस्था को अन्यत्र लागू करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

विज्ञापन

4187. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रति वर्ष कुल कितने मूल्य का विज्ञापन-कार्य होता है;

(ख) इसमें से कितना कार्य भारत में कार्य कर रहा विदेशी विज्ञापन-एजेंसियों द्वारा किया जाता है ;

(ग) इनमें से कितना और कौन-कौन सी एजेंसियों में भारतीय फर्मों के साथ सहयोग संबंधी करार है;

(घ) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के कई प्रमुख उपक्रम अपना बहुत-सा विज्ञापन-कार्य ऐसी एजेंसियों को देते हैं; और

(ङ) क्या सरकार इस क्षेत्र में भी विदेशी तकनीकी जानकारी को आवश्यक समझती है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) सरकार को इस विषय पर कोई सूचना नहीं है। गैर सरकारी सर्वे के अनुसार सभी प्रकार के विज्ञापन-कार्य का वार्षिक मूल्य 50 करोड़ रुपये आंका गया है।

(ख) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

(ङ) जी, नहीं।

विमान की पथनिर्देशन प्रणाली

4188. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमान की (इनर्शल नेवीगेशन गाइडेंस सिस्टिम) अवस्थितत्व दिग्चालन पथ-निर्देशन प्रणाली में सेंसरों के रूप में प्रयुक्त होने वाले गाइरोस्कोप और एक्सेलरोमीटर ठीक और सही काम नहीं करते ;

(ख) क्या उनके स्थान पर थोमेथियम 147 फ्यूल्ड हीटर लगाये गये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) अवस्थितत्व दिग्चालन प्रणाली (इनर्शल नेवीगेशन सिस्टिम) भारतीय वायुसेना के किसी भी विभाग में प्रयुक्त नहीं होती ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

'खाना-ए-खुदा' फिल्म

4189. **श्री बसुमतारी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली तथा अन्य स्थानो पर प्रदर्शित हो रही 'खाना-ए-खुदा' नामक फिल्म को सभी करो से छूट दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों में इस फिल्म को सभी करों से छूट दी गई और उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) **और (ख)** यह मामला राज्य सरकारों से सम्बन्ध रखता है । उनसे सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

दक्षिण में हिन्दी फिल्मों का प्रदर्शन

4190. **श्री बसुमतारी** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण में हिन्दी फिल्मों के प्रदर्शन और रेडियो पर हिन्दी गीतों के प्रसारणों के विरुद्ध हो आन्दोलन आरम्भ किया था उसकी नवीनतम स्थिति क्या है ; और

(ख) इसके कारण मद्रास के फिल्म उद्योग की कुल कितनी हानि हुई ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) स्थिति अब सामान्य ज । मद्रास फिल्म उद्योग को इस कारण जो हानि हुई उसका अनुमान नहीं लगाया गया है और न ऐसा करना सम्भव ही है ।

विदेशी चलचित्रों पर प्रतिबन्ध

4191. **श्री बसुमतारी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विदेशी चलचित्रों के नाम क्या हैं जिन पर पिछले पांच वर्षों में सरकार ने प्रतिबन्ध लगाया है ; और

(ख) उन पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) निम्नलिखित फिल्मों जो केन्द्रीय फिल्म सेन्सर बोर्ड द्वारा प्रारम्भ में प्रमाणित कर दी गई थी केन्द्रीय सरकार द्वारा सिनेमाटोग्राफ अधिनियम, 1952 की धारा 6 के अन्तर्गत प्रदत्त पुनरीक्षण अधिकारों के अनुसार जनता को दिखाने के लिए अप्रमाणित कर दी गई—

1963–64 से 1966–87 कोई नहीं

1967–68

1. वोमन बाई नाइट

2. यूनिवर्स बाई नाइट
3. ओरियन्ट बाई नाइट
4. पेरिस शेम्पैन
5. स्वीट, स्वीट नाइटस
6. टोकियो बाई नाइट
7. कोपाका बाना पैलेस
8. अमेरिका बाई नाइट
9. वर्ल्ड बाई नाइट
10. वर्ल्ड बाई नाइट II
11. वोमन ऑफ दी वर्ल्ड
12. दी नैकेड प्रे

(ख) 'नैकेड प्रे' को छोड़ कर उपर्युक्त फिल्मों पर इस लिये पाबन्दी लगा दी गई क्योंकि इन फिल्मों में विभिन्न देशों के रात के क्लबों के दृश्य थे जिनमें कुछ अर्धनग्न नृत्य थे। 'दी नैकेड प्रे' पर इसलिये प्रतिबन्ध लगाया गया क्योंकि यह कुछ मित्र देशों के नागरिकों की भावनाओं पर कुठाराघात करती थी।

पुलिस की गोली से मारे गये सैनिक के परिवार को मुआवजा

4192. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 19 सितम्बर, 1968 को पठानकोट में पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के परिणाम स्वरूप एक सैनिक मारा गया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या मृतक के परिवार को कोई मुआवजा दिया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) (क) नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इलैक्ट्रोनिक उपकरण

4193. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968 में उत्पादित इलैक्ट्रानिक साज-सामान का ब्यौरा क्या है तथा यह उत्पादन गत वर्ष की तुलना में कितना कम अथवा अधिक है ; और

(ख) वर्ष 1968 के लिए इलैक्ट्रानिक उपकरणों के उत्पादन का लक्ष्य क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :

(क) 1968-69 के वित्तीय वर्ष के दौरान, जो अभी समाप्त नहीं हुआ है, 85 करोड़ रुपये तक का उत्पादन कार्य हुआ। जब कि पिछले वर्ष 65 करोड़ रुपए का उत्पादन कार्य हुआ।

(ख) भाभा समिति रिपोर्ट में उत्पादन का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसके अनुसार प्रत्येक तीन वर्ष में उत्पादन द्विगुना होना है और उत्पादन अब इस लक्ष्य से अधिक हो रहा है।

जिला इटावा (उत्तर प्रदेश) में प्रति व्यक्ति आय

4194. **अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1960 तथा वर्ष 1967 तक उत्तर प्रदेश में इटावा जिले में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी; और

(ख) वर्ष 1960 और 1967 की राष्ट्रीय आय की तुलना में यह कितनी कम या अधिक है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख) राज्य सांख्यिकीय कार्यालय पूरे राज्य के लिए प्रति व्यक्ति आय का अनुमान तैयार करता है न कि जिलेवार। अतएव राष्ट्रीय स्तर की प्रति व्यक्ति आय से उत्तर प्रदेश के इटावा जिले की प्रति व्यक्ति आय से तुलना करना संभव नहीं है।

पाकिस्तान द्वारा भारत पर नरसंहार का आक्षेप

4195. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **वैदेशिक-कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 25 सितम्बर, 1968 को ढाका में भाषण करते हुये पाकिस्तान के प्रेसीडेंट अय्यूब खां ने भारत पर नरसंहार करने का गम्भीर आरोप लगाया था; और

(ख) क्या उनके इस भाषण के सम्बन्ध में कोई विरोध-पत्र भेजा गया है और यदि हां, तो उसमें क्या लिखा गया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां। पाकिस्तान के अखबारों की खबरों के अनुसार, राष्ट्रपति अय्यूब खां ने 22 सितम्बर को (25 सितम्बर को नहीं जैसा कि प्रश्न में कहा गया है) ढाका में यह घोषणा की थी कि मुसलमानों का जातिनाश करके भारत जातीय पृथकवासन की ऐसी निकृष्टतम नीति पर अमल कर रहा है जो इतिहास में बेमिसाल है। राष्ट्रपति अय्यूब खां पूर्व पाकिस्तान मुस्लिम लीग परिषद में उद्घाटन भाषण कर रहे थे।

(ख) पाकिस्तान सरकार को एक विरोध-पत्र भेजा गया है जिसमें पाकिस्तान के शासनाध्यक्ष के ऐसे निराधार और उत्तेजक बातें करने की बहुत निन्दा की गई है जो कि ताशकंद घोषणा के विपरीत है और भारत तथा पाकिस्तान के बीच सद्भाव और समझ-बूझ का वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से नहीं कही गई।

केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा कुछ फिल्मों को प्रमाण-पत्र देना

4196. **श्री जुगल मंडल :** क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड ने भारतीय फिल्म निर्माताओं द्वारा बनाई गई फिल्मों (1) चारुलता (2) साते पके बन्धा (3) मझली दीदी (4) पंजस्थर (5) देवर (6) आमने सामने (7) नील कमल (8) तीन बहूरानियां (9) खानदान तथा (10) वक्त फिल्मों के प्रदर्शन के लिए प्रमाण-पत्र दे दिया है;

(ख) क्या फिल्म वित्त निगम ने उक्त फिल्मों में से किसी के लिए ऋण दिया है; और

(ग) यदि हां, तो फिल्मों के नाम क्या हैं और ऋण दिये जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां।

(ख) चारुलता, साते पक्के बन्धा, मंझली दीदी और पंचेश्वर को ऋण दिया गया।

(ग) उपर्युक्त फिल्मों को, फिल्मों के स्तर को बढ़ाने के लिए अच्छे स्तर और अच्छी कोटि की फिल्मों के निर्माण में सहायता देने के नियम के मूल उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ऋण दिया गया।

केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा कुछ फिल्मों को प्रमाण-पत्र देना

4197 **श्री जुगल मन्डल :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड ने भारतीय फिल्म निर्माताओं द्वारा बनाई गई (1) उपकार (2) मेरे हमदम मेरे दोस्त (3) वासना (4) औलाद (5) बाजी (6) मेरे हजूर (7) हसीना मान जायेगी (8) आबरू (9) राजा और रंक (10) हमसाया फिल्मों को प्रदर्शन के लिए प्रमाण-पत्र दे दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो इन फिल्म निर्माताओं के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या किसी राज्य ने इन फिल्मों में से किसी फिल्म पर प्रतिबन्ध लगाया है और यदि हां, तो उन फिल्मों के नाम क्या हैं ; और

(घ) क्या किसी राज्य में इनमें से किन्हीं फिल्मों को मनोरंजन कर से छूट दी गई है और यदि हां, तो इन फिल्मों के नाम क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां । फिल्म "हमसाया" तथा हसीना मान जायेगी" फिल्मों को प्रदर्शन के प्रमाण-पत्र जारी होने वाले हैं ।

(ख) फिल्मों के निर्माताओं के नाम इस प्रकार हैं :—

फिल्म का नाम	निर्माताओं का नाम
1. उपकार	विशाल पिक्चर्स
2. मेरे हमदम मेरे दोस्त	केवल कुमार, केवलजीत प्रोडक्शन्स
3. वासना	कुलजीत पाल
4. औलाद	कुन्दन कुमार
5. बाजी	कमलउद्दीन काजी बनाम टोनीवाल्कर
6. मेरे हजर	मूवी मुगल्स
7. आबरू	बी० एल० रावल

8. राजा और रंक	प्रसाद प्रोडक्शन्स
9. हमसाया	जाय मुकुर्जी प्रोडक्शन्स
10. हसीना मान जायेगी	मंगेत्रम फिल्म्स

(ग) राज्य सरकारों के पास सिनेमाटोग्राफ एक्ट, 1952 के अन्तर्गत फिल्म पर प्रतिबन्ध लगाने की शक्ति नहीं है तथापि, यदि फिल्मों से शान्ति भंग होने का सम्भावना हो तो राज्य अधिकारी अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (1) तथा (3) के अन्तर्गत दो महीने के लिए फिल्म के दिखाये जाने को स्थगित कर सकते हैं।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

सोमालिया के लिए डाक्टर तथा अध्यापक

4198. **श्री नि० रं० लास्कर :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अपनी दिल्ली यात्रा के अवसर पर सोमालिया के प्रधान मन्त्री से उस देश के लिये डाक्टर तथा अध्यापक भेजने का अनुरोध किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) सोमाली के राष्ट्रपति ने (प्रधान मंत्री ने नहीं जैसा कि प्रश्न में कहा गया है) हाल ही की भारत यात्रा के दौरान उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के 10 अध्यापकों और 5 डाक्टरों की सेवाओं के लिए और कहा था, और सरकार ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली।

केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा चांदीपुर के (उड़ीसा) के प्रूफ एण्ड एस्टेब्लिशमेंट, बालासोर के अधिकारियों के विरुद्ध जांच

4199. **श्री स० कुन्दू :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या केन्द्रीय जांच विभाग ने चांदीपुर बालासोर उड़ीसा के प्रूफ एण्ड एस्टेब्लिशमेंट के भूतपूर्व अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कुछ आरोपों की जांच पूरी कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो जांच प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(ग) इस प्रतिवेदन का मोटे रूप से ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) केन्द्रीय जांच विभाग ने बालासोर के प्रूफ एन्ड एस्टैब्लिशमेंट के दो भूतपूर्व अधिकारियों में से एक अधिकारी के संबंध में जांच पूरी कर ली है और दूसरे अधिकारी के मामले की अभी छानबीन हो रही है।

(ख) पहले वाले मामले पर विशेष पुलिस विभाग द्वारा दिए गए प्रतिवेदन पर विचार किया जा रहा है।

(ग) जब तक छानबीन पूरी नहीं हो जाती तब तक सभा को उस प्रतिवेदन का मोटे रूप से भी कोई ब्यौरा देना वांछनीय नहीं है।

नागाओं के साथ बातचीत

4200. **श्री नि० र० लास्कर** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छिपे हुए नागाओं की नवनिर्मित क्रान्तिकारी सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि वे पाकिस्तान और चीन से हथियार नहीं मांगेंगे ;

(ख) यदि हां, तो क्या नागा समस्या के समाधान के लिये उन्होंने भारत सरकार को बातचीत पुन: आरम्भ करने का सुझाव दिया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके वक्तव्य पर विचार किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (घ) सरकार ने कुछ अखबारों में ऐसी खबरें देखी हैं जो शांति पर्यवेक्षक दल के संयोजक, डा० ऐरम की सूचना पर आधारित बताई जाती है कि नागालैंड में छिपे नागाओं के नए वर्ग के नेताओं ने कहा है कि वे चीन अथवा पाकिस्तान से हथियार नहीं लेंगे। इस नए संगठन के नेताओं ने यह संकेत दिया है कि वे 'नागा समस्या के शांतिपूर्व समाधान' और 'भारत सरकार के साथ फिर से बातचीत' करने का प्रयत्न करेंगे। सरकार इस स्थिति पर निगाह रख रही है।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

भारत नेपाल सीमा के निकट सुस्ता में चार नेपालियों की गिरफ्तारी पर नेपाल में भारत विरोधी प्रदर्शन

श्री वेणी शंकर शर्मा (बंका) : मैं वैदेशिक-कार्य मन्त्री का ध्यान भारत नेपाल सीमा के निकट सुस्ता में चार नेपालियों की गिरफ्तारी पर नेपाल में भारत-विरोधी प्रदर्शन के अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि वह इस पर वक्तव्य दें।

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : काठमांडू स्थित हमारे राजदूतावास ने 23 नवम्बर, 1968 को 'राइजिंग नेपाल' नामक अखबार के पहले पृष्ठ पर एक खबर देखी जिसमें 'न्यू एजेंसी' राष्ट्रीय सम्माद समिति की एक रिपोर्ट उद्धृत की गई थी कि "सुस्ता के भूतपूर्व सैनिकों के एक प्रतिनिधि मंडल के अनुसार कुछ दिन पहले भारतीय अधिकारी सुस्ता में चार नेपालियों का अपहरण कर ले गये। भारत के अधिकारी नवल परसाई जिले में सुस्ता के नेपाली प्रदेश में जबर्दस्ती घुस आये, चार व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें बिहार में बेतिया जेल में ले गये।"

नेपाल सरकार के समाचार पत्र 'राइजिंग नेपाल' ने 25 नवम्बर को एक सम्पादकीय छापा। यह सम्पादकीय विद्वेषपूर्ण था और विकृत तथ्यों पर आधारित था। इस बात का दावा

किया गया कि भारतीय अधिकारियों ने नेपाली प्रदेश से नेपालियों का अपहरण किया है। इस समाचार-पत्र ने भारतीय पक्ष से क्षमा याचना करने की मांग भी की थी।

26 नवम्बर की जब बिहार सरकार से टेलीफोन पर बात की गई, तब यह पता चला कि अनाधिकार प्रवेश के आरोपों में भारतीय दंड संहिता की धारा 143 और 447, भारतीय वन अधिनियम की धारा 33 के साथ पठित, के अन्तर्गत सात व्यक्ति—चार नेपाली और तीन भारतीय बिहार के चम्पारन जिले के रामपुरवा नामक गांव में 26 अक्टूबर, 1968 को पकड़े गये थे। 21 नवम्बर 1968 को बेतिया के सब-डिविजनल अफिसर ने इन सभी बन्दी व्यक्तियों को जमानत पर छोड़ने का आदेश दे दिया और उक्त संपर्क अधिकारी को वाल्मीकि नगर में तदनुसार सूचित कर दिया। लेकिन ये नेपाली राष्ट्रिक हवालात में ही बने रहे क्यों कि जमानत से बांड आज तक नहीं भरे जा सके हैं।

नेपाल-स्थित हमारे राजदूतावास को 26 नवम्बर को नेपाल के महामहिम की सरकार का 24 नवम्बर, 1968 का औपचारिक हस्ताक्षर रहित नोट प्राप्त हुआ। इस नोट में चार नेपालियों की गिरफ्तारी को 'गैर कानूनी' बताया गया था और उनकी रिहाई के लिए कहा गया था। साथ ही भारत सरकार से यह प्रार्थना भी की गई थी कि सीमांकन होने तक सभी कार्यवाही रोक रखी जाये।

हमारे राजदूतावास ने 27 नवम्बर को एक लिखित नोट में महामहिम की सरकार को सूचित किया कि उनके गैर-कानूनी रूप से बन्दी बनाये जाने का कोई प्रश्न नहीं है क्यों कि तीन भारतीय राष्ट्रिकों सहित ये चार नेपाली भारतीय प्रदेश में काफी भीतर अनाधिकार प्रवेश करने के आरोपों में सामान्य कानून के अनुसार गिरफ्तार किये गये थे।

इस बीच नेपाल के अखबारों में बराबर टिप्पणियां आती रहीं। नेपाल के कई अखबारों ने भारत के विरुद्ध इस तरह गैर- जिम्मेदार आक्षेप करने की कड़ी आलोचना की और 'राइजिंग नेपाल' तथा 'न्यू एजेन्सी' 'राष्ट्रीय सम्माद समिति' की जानबूझ कर गुमराह करने वाली खबरें देने के लिए भर्त्सना की।

एक दिसम्बर को नेपाल के विदेश मन्त्री के साथ एक भेंट में हमारे राजदूत ने उन्हें बताया कि ये लोग कानून के अनुसार गिरफ्तार किये गये हैं। नेपाल के विदेश मन्त्री को यह भी बताया गया कि बहुत बार भारतीय राष्ट्रिक भी नेपाल में पकड़े गये हैं और उन्हें कानून तथा न्यायालय की कार्यवाही का सामना करना पड़ा है।

काठमांडू शहर के एक बाजार में 2 दिसम्बर को एक विरोध सभा का आयोजन किया गया उपस्थित जन समूह में से काफी बड़ी संख्या ने इस सभा के संयोजकों को प्रश्न पूछ-पूछ कर तंग किया और सभा को सुचारु रूप में नहीं चलने दिया और इस भारत विरोधी सभा के संयोजकों के प्रतिनिधित्व स्वरूप पर उंगली उठाते हुए भाषण दिये। नेपाल की पुलिस ने कारगर रूप से हस्तक्षेप किये और गड़बड़ करने वाले लोगों को गिरफ्तार कर लिया।

बाद में पाटन और भक्तपुर में भी इसी प्रकार के भारत विरोधी प्रदर्शनों और जुलूसों का आयोजन किया गया। काठमांडू अथवा उसके उप-नगरों के लोगों से इन भारत विरोधी प्रदर्शनों को लोकप्रिय व्यापक समर्थन नहीं मिला। इसके विपरीत लोगों ने इस भारत विरोधी सभाओं के विरुद्ध भावना ही अधिक दिखाई पड़ी।

6 दिसम्बर को नेपाली राजदूत भारत सरकार के विदेश सचिव से मिले। उन्होंने विदेश सचिव को आश्वासन दिलाया कि नेपाल सरकार की इस क्षेत्र में यथास्थिति को बदलने की कोई मंशा नहीं है और वह इस मामले को मित्रतापूर्वक और परस्पर संतोषजनक रीति से दोनों पक्षों के अधिकारियों की एक सम्मिलित बैठक में निपटाने के लिए उत्सुक हैं, जो जनवरी के पहले हफ्ते में मौके पर हो। भारत सरकार के विदेश सचिव ने इस आश्वासन का स्वागत किया और नेपाली राजदूत के समान ही उन्होंने भी ऐसी ही भावना व्यक्त की।

नेपाली राजदूत द्वारा दिये गये आश्वासन को देखते हुए और जनवरी के शुरू में दोनों ओर के अधिकारियों की बैठक में इस मामले को सन्तोषजनक रीति से निपटाने को सुविधापूर्ण बनाने के लिए भारत इन चार नेपालियों को इस विश्वास के साथ वापस भेजने पर विचार कर रही है कि भविष्य में इस प्रकार अनाधिकार प्रवेश करने की घटनाएं नहीं होंगी और दोनों सरकारें तब तक इस क्षेत्र में यथास्थिति बनाये रखेंगी जब तक कि यह मामला दोनों देशों के बीच सौहार्दपूर्ण ढंग से निपट नहीं जाता।

भारत नेपाल के बीच इस लम्बी सीमा में कुछ सीमा स्तम्भ खराब हो गये हैं अथवा बाढ़ में बह गये हैं यह किसी अन्य कारण से लापता हैं। इसलिए अब मुख्य काम यह है कि उन सभी स्थानों का ठीक-ठीक पता लगाया जाये जहां विभिन्न कारणों से सीमा स्तम्भ नहीं हैं और आपसी समझौते के आधार पर मानचित्रों तथा सर्वेक्षण अधिकारियों की सहायता से उन्हें फिर उसी जगह स्थापित किया जाये। भारत और नेपाल के बीच सुस्थिर परम्पराओं के अनुसार इस प्रकार का कार्य दोनों ओर के जिला अधिकारीगण करते हैं जिन्हें सीधा सम्पर्क स्थापित करने का और स्तम्भों को पुनः गाड़ने अथवा उनकी मरम्मत करने के मामले को निपटाने का अधिकार है। गत दशाब्दियों में दोनों ओर के सीमा अधिकारियों के बीच इस प्रकार की अनेक बैठकें हुई हैं और भविष्य में भी यह प्रक्रिया चलती रहेगी। भारत सरकार यह बताना चाहती है कि नेपाल के साथ उसकी कोई सीमा समस्या नहीं है और झगड़े की कोई ऐसी बात नहीं जो आपसी बातचीत में मित्रतापूर्ण ढंग से निपटाई न जा सकती हो।

श्री वेणी शंकर शर्मा : माननीय मन्त्री के वक्तव्य से मालूम होता है कि एक साधारण अपराध था लेकिन यह एक साधारण अपराध नहीं था हमें मालूम है कि वहां अनेक स्थानों में अनेक भारत-विरोधी प्रदर्शन हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री ने अपने लम्बे वक्तव्य में सब कुछ बता दिया है। सदस्य महोदय को अपना प्रश्न संक्षेप में कहना चाहिये।

श्री वेणी शंकर शर्मा : माननीय मन्त्री का उत्तर बहुत लम्बा था इसलिये हमें थोड़ी पृष्ठभूमि देनी है। अभी हाल में हमारे राष्ट्रपति तथा कुछ मन्त्रियों ने नेपाल की यात्रा की तथा संयुक्त विज्ञप्ति में कहा गया कि दोनों देशों के सम्बन्ध बहुत अच्छे हैं तथा ये सम्बन्ध और अधिक अच्छे होते जा रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जो ऐसी घटनायें घट रही हैं तो क्या वे अच्छे सम्बन्ध की सूचक हैं? प्रश्न यह है कि क्या हम करोड़ों रुपये दे कर भी उनके हृदयों को जीत पाये हैं? हम धन से नहीं, वरन् अपने प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक सम्बन्धों को पुनर्जीवित कर के परस्पर निकट आ सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कुछ समय के लिए अपने स्थान पर बैठ जायें। वहां

जो भी घटनायें हुई हैं, उनके बारे में मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट रूप से व्यक्त कर दिया है। नेपाल के साथ हमारे सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण हैं और उन सम्बन्धों को बिगाड़ने के लिये कुछ नहीं कहा जाना चाहिये।

श्री वेणीशंकर शर्मा : मैं तीन प्रश्न पूछना चाहता हूँ पहला यह है कि इन प्रदर्शनों के ठीक दो दिन पहले पेकिंग रेडियो ने नेपाली भाषा में कुछ प्रसारित किया था। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह सही है कि पेकिंग रेडियो ने अपने प्रसारण में नेपालियों को इस तुच्छ घटना पर गुण्डागर्दी करने के लिये उकसाया ? दूसरे मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या नेपाल में हमारे राजदूत ने नेपाल सरकार का ध्यान चीन के नेपाली भाषा के प्रसारण की ओर दिलाया ? और तीसरे सुस्ता गाँव नेपाल की सीमा में है या भारतीय सीमा में ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : मैंने पहले ही बताया है कि नेपाल में कुछ भारत-विरोधी प्रदर्शन हुए। ये प्रदर्शन नेपाल के कुछ ऐसे तत्वों ने आयोजित किये, जो भारत-नेपाल की मित्रता के खिलाफ हैं .....

एक माननीय सदस्य : इन तत्वों के नाम बताइये।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : वे नेपाल के जन साधारण लोग हैं। नेपाल के साथ हमारे सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण हैं। दुर्भाग्यवश कुछ छोटी-मोटी घटनायें घटी हैं। इस बारे में हम नेपाल से बातचीत कर रहे हैं और मुझे पूरी आशा है कि कोई समझौता शीघ्र ही हो जायेगा।

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : नेपाल में हमारी नीति अधोमुखी हो गई है। मैं आप को बताना चाहता हूँ कि मेरे पास एक होटल का फोटोग्राफ है, जहाँ श्रीमती इन्दिरा गांधी ठहरी थीं और उस होटल पर लगा भारतीय झन्डा अधोमुख था। कोई भी इस बात को सहन नहीं कर सकता है। श्री शास्त्री के समय से नेपाल के साथ हमारे सम्बन्धों की सराहना की गई। लेकिन कुछ ऐसी ताकतें हैं, जो हमारे विरुद्ध कार्य कर रही है और जो हमारे सम्बन्धों को छिन्न-भिन्न करना चाहती हैं। 'फोरन एंड एड पोलिटिक्स इन नेपाल' नामक एक पुस्तक प्रकाशित हुई है। इस पुस्तक में यह दिखाने का यत्न किया गया है कि भारतीय लोग नेपाल से अनुचित लाभ उठा रहे हैं और नेपाल के प्रति भारतीय राजनीति आर्थिक सहयोग और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन नहीं देती हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस पर काफी उच्च स्तर पर विचार किया गया है ? क्या मैं जान सकता हूँ कि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक सम्बन्ध बढ़ाने में और आर्थिक सहयोग प्रदान करने की अपनी नीति पर हमने कितना खर्च किया है ? और अन्त में क्या हमारे नौकरशाहों के रवैये में परिवर्तन होगा या नहीं ? ऐसी तात्कालिक परियोजनायें कौन सी हैं तथा क्या उन परियोजनाओं को धन दिया गया है, जिससे नेपाली युवक यह सोचें कि भारत और नेपाल के सम्बन्ध अटूट हैं और चिरस्थायी रहेंगे ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : इसमें दो रायें नहीं हैं और प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि भारत और नेपाल के सम्बन्ध अत्यंत निकट तथा मैत्रीपूर्ण हैं। नेपाल के विकास के लिये हम जो कुछ भी कर रहे हैं, वह कई बार सरकार की ओर से पहले ही बताया जा चुका है। हम अनेक परियोजनाओं में नेपाल को सहयोग दे रहे हैं। हम अपनी ओर से नेपाल के साथ अपने सम्बन्ध अधिक मजबूत बनाने के लिये हर प्रयत्न कर रहे हैं। जहाँ तक प्रदर्शनों का सम्बन्ध है, कुछ अत्व

भारत और नेपाल की मैत्री के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन ऐसे तत्व बहुत कम संख्या में हैं। मेरा निश्चय है कि इन तत्वों को कोई सफलता नहीं मिलेगी।

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति, आयोजन तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मैं वहाँ किसी होटल में नहीं ठहरी।

श्री म० ला० सोंधी : क्या मैं सभा-पटल पर फोटो रखूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री ने बताया है कि वह किसी होटल में नहीं ठहरीं

श्री म० ला० सोंधी : क्या हमारा राष्ट्रीय-ध्वज अधोमुख करने के लिये है? उस होटल का नाम 'कार्लाइल' होटल है।

एक माननीय सदस्य : प्रधान मन्त्री जी होटल में नहीं, महल में रहीं।

श्री श्रीधरन (बडागरा) : नेपाल एक मित्र देश है और इस विचार से स्थिति बड़ी नाजुक है। मंत्री महोदय ने बताया है कि सीमा स्तम्भ खराब हो गये हैं अथवा बाढ़ में बह गये हैं लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि ये सीमा स्तम्भ बह नहीं गये हैं। भारतीय पूंजीपतियों ने कुछ नेपालियों की भारत-नेपाल सीमा पर कुछ उद्योगों की स्थापना करने में सहायता की है। पारी सीमांकन चिह्नों को हटा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार का भारतीय सीमा पर स्थायी रूप से व्यवस्था करने का विचार है, जिससे भारतीय सीमा का पर्यवेक्षण किया जा सके और सीमांकन चिह्नों को कायम रखा जा सके?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : नेपाल से लगी समूची सीमा पर स्तम्भ लगे हुए हैं लेकिन बाढ़ आने से या अन्य कारणों से ये स्तम्भ बह गये या नष्ट हो गये। इन स्तम्भों को फिर से गाड़ने और उनकी मरम्मत करने के लिए एक स्थायी व्यवस्था भी है। दोनों ओर के जिला अधिकारी कभी-कभी मिलते रहते हैं और नष्ट हुए सीमा स्तम्भों को पुनः गाड़ने के लिये विचार-विमर्श करते हैं।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : सीमा स्तम्भों के बहने का कारण यह है कि वे काफी गहरे नहीं गड़े थे।

Shri Y. S. Kushwah (Bhind) : May I know whether in Susta area, where the pillars have washed away, the officers of both the countries would start the work for refixing the pillars? Have any persons been arrested in this very area? May I also know the reasons for the arrest of Indians and Nepalese and whether the Nepalese have been released? Is it not a fact that the photo of the Prime Minister Indira Gandhi was not burnt in the recent demonstrations held in Nepal?

Shri Surendra Pal Singh : It is a fact that some pillars in the Susta area have removed, the officers of both the countries would meet in the first week of January to think-over the refixing the pillar posts.

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय तथा हरियाणा की स्थिति के सम्बन्ध में

RE. BANARAS HINDU UNIVERSITY AND SITUATION IN HARYANA

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का मामला बिगड़ गया है।

अनेक नेता गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने कैम्पस में घुस कर विद्यार्थियों को पीटा है। मैं अनुरोध करता हूँ कि मंत्री महोदय इस स्थिति पर वक्तव्य दें। प्रधान मंत्री द्वारा आश्वासन दिये जाने पर भी उत्तर प्रदेश में अध्यापकों की हड़ताल जारी है। वहाँ 3,000 अध्यापक जेल में हैं।

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki) : Yesterday, the Education Minister of State submitted a report. I was not given any chance to ask the questions thereon. The situation of Benaras Hindu University is working and now it has come to Kashi Vidyapith also. Yesterday the police entered the campus of Kashi Vidyapith and the students were beaten and arrested. Some political leaders were also arrested there. The teachers' strike is also going on. Government should make a statement in this regard.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : Mr. Deputy Speaker, a discussion should be held on the situation of the Banaras Hindu University.

Regarding the situation in Haryana, who will decide the majority of Haryana Legislative Assembly? I would like to have a discussion on the situation of Haryana.

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : यदि हरियाणा की विधान सभा की बैठक नहीं बुलाई जायेगी, तो कम से कम इस सभा में उस पर चर्चा की जानी चाहिये।

Shri Rabi Ray (Puri) : Mr. Deputy Speaker, according to the statement of Shri Bansi Lal, the meeting of the Legislative Assembly would be convened on the 27th January. Home Minister deliberately has not come to the House (**interruption**) I would request to implement the recommendation of the Speaker and the meeting of the Legislative Assembly should be convened within seven days.

श्री हो० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : अध्यक्ष महोदय कल बनारस हिन्दू विश्व-विद्यालय और हरियाणा की स्थिति पर चर्चा करने का संकेत दे रहे थे। इस स्थिति से सम्बन्धित सभी मामलों का इस देश के संसदीय-लोकतंत्र के विचार से अत्यधिक सम्बन्ध है तथा इस पर इस सभा में चर्चा की जानी चाहिये।

Shri Prakashvir Shastri (Hapur) : There is no Government at present in Uttar Pradesh and Parliament should discuss in detail the situation prevailing there. The Central Government should take a decision on the present situation of Haryana, because mid-term elections are going to held in many States recently.

श्री हेम बरुआ : हरियाणा की वर्तमान राजनैतिक स्थिति हम सबके लिए चिन्ता का एक विषय है। वहां के सत्ताधारी दल में बड़ी फूट है। इस स्थित से निपटने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि विधान सभा की बैठक बुलायी जाय। राज्यपाल ने अपना प्रतिवेदन केन्द्रीय सरकार को अभी तक नहीं भेजा है। वहां गया राम को आया राम बनाये जाने की कोशिशें की जा रही हैं। (**व्यवधान**)। इसलिये हमें यह देखना चाहिये कि कुछ निहित स्वार्थों द्वारा हरियाणा में लोकतंत्र को नष्ट न किया जाय।

श्री रा० धो० भण्डारे (बम्बई मध्य) : अध्यक्ष-सम्मेलन ने कुछ निर्णय लिये थे। एक निर्णय यह था कि 7 दिनों के अन्दर विधान सभा की बैठक बुलायी जाय। इसलिये प्रतिपक्षियों को 7 दिनों तक प्रतीक्षा करनी है। (**व्यवधान**)। वे व्यर्थ में राजनैतिक लाभ उठा रहे हैं।

श्री उमानाथ (पुट्टुकोटै) : बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और हरियाणा ये दोनों मामले बहुत तात्कालिक हैं। विश्वविद्यालय की हाल ही की घटनाओं से यह पता चलता है कि सरकार राजनैतिक षणयंत्र रच रही है। इस विषय पर चर्चा शीघ्र ही की जानी चाहिये।

दूसरी बात यह है कि हरियाणा की स्थिति पर चर्चा करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। कल रेडियो द्वारा एकाएक एक खबर प्रसारित की गई कि गृह-मंत्रालय यह सोचता है कि यदि मुख्य मंत्री यह समझते हैं कि अनेक विधायकों ने दल बदले हैं, तो वह-राज्यपाल को सलाह दे सकते हैं और राज्यपाल को उनकी सलाह मान लेनी चाहिये। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि हमें बहाने बना कर चर्चा करने की अनुमति नहीं दी जाती है और दूसरी ओर गृह-मंत्रालय जानबूझ कर यह कर रहा है। रेडियो में राज्यपाल को सलाह देते हुये प्रसारित किया गया है कि "हमारे मुख्य मंत्री आपको सलाह देंगे और आपको उनकी सलाह अवश्य माननी चाहिये।" इसलिये मैं चाहता हूँ कि इस विषय पर यहां और अभी चर्चा की जानी चाहिये, अन्यथा इसके गंभीर परिणाम होंगे।

श्री सोभ्रियान (कुम्बकोणम) : मैं चाहता हूँ कि गृह-मन्त्री इस बारे में एक स्पष्ट वक्तव्य दें कि क्या वह गृह-मन्त्रालय के प्रवक्ता द्वारा दिये गये वक्तव्य का अनुमोदन करते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि वह क्या कहते हैं ? हम सभी और यह संसद् सरकार की राय को गृह-मन्त्री के माध्यम से जानने का हक रखते हैं। सरकार इस विषय में क्या करना चाहती है ? वह इस पर एक स्पष्ट वक्तव्य दें।

श्री तिरुमल राव (काकिनाडा) : यह चर्चा इस सभा में कल तक चलेगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : शांत ! शांत ! जहां तक बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की घटनाओं का सम्बन्ध है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है। हम सभी बनारस की घटनाओं से चिन्तित हैं। कार्य-सलाहकार समिति से सलाह ली जायेगी और हम इस मामले के लिए जहां तक हो सका इस सप्ताह के दौरान समय निर्धारित करेंगे क्योंकि इस मामले को लम्बी अवधि तक लम्बित नहीं रखा जाना चाहिए। इस पर विचार करने के लिए यथा सम्भव शीघ्र अवसर दिया जाना चाहिए। इसके बारे में कोई मतभेद नहीं है। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में काफी विचार-विमर्श के बाद कुछ निर्णय लिये गये थे। निर्णय मौलिक रूप से स्थानीय विधान-मंडल और जनता के प्रतिनिधियों की सार्वभौमिकता पर आधारित हैं। अन्तिम विश्लेषण में यदि कुछ कदम नहीं उठाये जाते हैं तो स्थिति के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं ? वहां के प्रतिनिधि जिम्मेदार हैं। विधान सभा अभी भी है। वहाँ पर जो कुछ होता है और जो बातें कही जाती हैं, उससे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। इस समय जब कि वहां पर विधान मण्डल है, इस मामले में इस सभा को कोई अधिकार नहीं है।

श्री उमानाथ (पुदुक्कोटै) : जब पश्चिम बंगाल विधान सभा थी तो इस सभा ने वहां की घटनाओं पर विचार-विमर्श किया था।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : यह दोहरी नीति है। स्पष्टीकरण देने के लिए गृह मन्त्री को सभा में बुलाया जाना चाहिए।

Shri Rabi Ray (Puri) : Mr. Chavan has stated that Shri Bansi Lal is within his right to advise dissolution.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता कि क्या यह सही है अथवा नहीं।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : सत्ताधारी दल में वापस आने के लिए यह उन्हें सीधा प्रोत्साहन है । यह गलत तथा अनैतिक है । यह सभा के साथ धोखा है ।

श्री रंगा (श्री काकुलम) : मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि यह पूरी चर्चा होती है और अन्त में आप कहते हैं कि इस सभा को अधिकार नहीं है ।

यदि हरियाणा विधान सभा को इस मामले पर विचार करने का अवसर दिया जाता है या इस सभा को आश्वासन दिया जाता है कि सभा को बुलाया जा रहा है और अवसर दिया जायेगा तो मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ कि हमें इस मामले पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है और यह मामला हमारे अधिकार में नहीं है । लेकिन इसका हमें आश्वासन दिया जाना चाहिये ।

केवल मुख्य मन्त्री सत्र बुला सकते हैं । राज्यपाल मुख्य मन्त्री की सलाह पर इसे बुला सकता है । मुख्य मन्त्री की सलाह के बिना भी, जैसा कि पश्चिम बंगाल में हुआ, राज्यपाल मुख्य मन्त्री को विधान सभा का आवाहन करने का निदेश दे सकते हैं । हम यह आश्वासन लेना चाहते हैं कि राज्यपाल आवश्यक कदम उठा रहे हैं या अध्यक्ष सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसार सात दिनों के अन्दर हरियाणा विधान सभा का आवाहन करने के लिए मुख्य मन्त्री आवश्यक कदम उठाने के लिए तैयार हैं । लेकिन सरकार ऐसा आश्वासन देने के लिए तैयार नहीं है । इसलिए उचित यही है कि हम आप से अनुरोध करें कि हमें यथाशीघ्र इस मामले पर विचार करने का अवसर दिया जाये या सात दिनों के अन्दर विधान सभा को बुलाया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय ने कल जो कुछ कहा था आपने उसे नहीं समझा है । अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि चूंकि कुछ सदस्य इस पर उत्तेजित हैं, हम इस पर कल कार्य-मंत्रणा समिति में विचार करेंगे ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम आदि के अधीन अधिसूचनाएं

निर्माण कार्य, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : महोदय, मैं श्री जगन्नाथ राव की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 25 फरवरी, 1968 को जारी की गई उद्घोषणा, दिनांक 15 अप्रैल, 1968 की उद्घोषणा द्वारा परिवर्तित, के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा 94 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (ऋण तथा पेशगियां देना) नियम, 1968 जो दिनांक 20 अप्रैल, 1968 के उत्तर प्रदेश राजपत्र में अधिसूचना संख्या 14-एच/सैंतीस-16 (नौ)-8-66 में प्रकाशित हुये थे ।

(दो) उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (ब्याज की दर तथा सुधार सम्बन्धी खर्चे की वसूली के लिये किस्तों का निर्धारण) नियम, 1968 जो दिनांक 31 अगस्त, 1968 के उत्तर प्रदेश राजपत्र में अधिसूचना संख्या बी-304-एच/सैंतीस-26-एच बी-65 में प्रकाशित हुये थे।

(2) ऊपर की मद (1) की (एक) में उल्लिखित अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण।

[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 2640/68]

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 1968-69

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL) 1968-69

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (मोरारजी देसाई) : मैं वर्ष 1968-69 के बजट (सामान्य) सम्बन्धी अनुदानों की अनुपूरक मांगे दर्शाने वाला एक विवरण पेश करता हूँ।

राज्य-सभा से सन्देश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : महोदय, मुझे सभा को राज्य-सभा से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना देनी है :—

(एक) राज्य-सभा में प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसार मुझे लोक-सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि लोक-सभा द्वारा 21 नवम्बर, 1968 को पास किये गये जमा बीमा निगम (संशोधन) विधेयक, 1968 से राज्य सभा अपनी 9 दिसम्बर, 1968 की बैठक में बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।

(दो) राज्य सभा में प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसार मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि लोक-सभा द्वारा 28 नवम्बर, 1968 को पास किये गये भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक, 1968 से राज्य सभा अपनी 10 दिसम्बर, 1968 की बैठक में बिना किसी सशोधन के सहमत हो गई है।

आवश्यक सेवाएं बनाये रखने के विधेयक के बारे में याचिका

PETITION RE. ESSENTIAL SERVICES MAINTENANCE BILL

Shri George Fernandes : I present a petition regarding Essential Services Maintenance Bill on behalf of Shri Balkrishnan Ramchander Dandawate and others.

आवश्यक सेवायें बनाये रखने के अध्यादेश के बारे में सांविधिकक संकल्प—जारी

STATUTORY RESOLUTION RE. ESSENTIAL SERVICES MAINTENANCE ORDINANCE--Contd.

उपाध्यक्ष महोदय : कल जब श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी ने आवश्यक सेवायें बनाये रखने सम्बन्धी अध्यादेश, 1968 का निरनुमोदन करते हुए संकल्प पेश किया, तब श्री स० मो० बनर्जी ने एक औचित्य का प्रश्न उठाया था कि इस पर चर्चा नहीं की जा सकती, क्योंकि अध्यादेश पर अनेक न्यायालयों को अभी निर्णय देना है। इस तर्क के पक्ष में यह कहा गया कि अध्यक्ष महोदय ने पहले श्री मधु लिमये के एक प्रस्ताव के सम्बन्ध में यह निर्णय किया गया था कि इस पर चर्चा नहीं हो सकती है क्योंकि उस प्रस्ताव का विषय न्यायालय में निर्णयाधीन है। कुछ सदस्यों ने उस औचित्य प्रश्न का विरोध किया और यह दलील दी कि वर्तमान संकल्प पिछले प्रस्ताव से भिन्न है क्योंकि वर्तमान संकल्प का सम्बन्ध विधान से है और न्यायाधीन का नियम विधान पर लागू नहीं होता है।

संविधान के अधीन, संसद् अपनी विधायी शक्तियों के प्रयोग में सर्वोच्च और सार्वभौम है। इसे केवल इसके कारण, कि वर्तमान विधान की सांवैधानिकता के विरुद्ध न्यायालय में एक समादेश याचिका विचाराधीन पड़ी है, शक्तिहीन नहीं किया जा सकता है। संविधान ने संसद् को किसी अध्यादेश का निरनुमोदन करने की शक्ति दी है और अपनी सांवैधानिक शक्ति का प्रयोग करके वह नागरिकों के मूल अधिकारों और किसी अन्य सांवैधानिक उपबन्धों का उल्लंघन करने के लिए किसी अध्यादेश को शून्य अथवा असंवैधानिक घोषित करने के सम्बन्ध में न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में किसी प्रकार भी हस्तक्षेप या पक्षपात नहीं करती है। इसलिए अनुच्छेद 123 के अधीन संसद् की शक्तियों और कार्यों तथा संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के अधीन न्यायालयों की शक्तियों में कोई संघर्ष नहीं है।

इस सभा के पूर्व-दृष्टान्तों के अनुसार, अध्यक्ष महोदय ने निर्णय दिया है कि किसी ऐसे विधेयक पर जिसका विषय उच्चतम् न्यायालय में अपील विचाराधीन होने के कारण निर्णय के अधीन है चर्चा नियमानुसार है। बशर्ते कि सदस्य अपील विशेष मामले के तथ्यों का उल्लेख न करें क्योंकि इस से सभा का वाद-विवाद उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील की सुनवाई पर पूर्व निर्णय न कर सके [लोक सभा वाद-विवाद दिनांक 26-9-1955] अध्यक्ष महोदय ने यह भी कहा कि अध्यादेश का स्थान लेने वाले विधेयक पर चर्चा इस बात के होते हुए भी हो सकती है कि अध्यादेश को अदालत में चुनौती दी गई है और उस न्यायालय ने सरकार को एक सशर्त आदेश जारी किया है (लोक-सभा वाद-विवाद दिनांक 22-11-1955)।

इसलिए यह स्पष्ट है कि इस सभा में उस विधान पर चर्चा करने की रोक नहीं है जिसका विषय वही है जो कि अध्यादेश का है और जो अध्यादेश के स्थान पर लाया गया है और जो न्यायालय में निर्णयाधीन है।

इस प्रश्न के सम्बन्ध में कि अध्यादेश का निरनुमोदन करने वाला जो संकल्प संविधान के अनुच्छेद 123 के अधीन पेश किया गया है, क्या उस पर उस समय चर्चा हो सकती है जब कि अध्यादेश को न्यायालय में चुनौती दी गई है। विनिर्णय से यह स्पष्ट हो जाता कि निर्णयाधीन का

नियम विधेयक पर लागू नहीं होता है और संविधान के अधीन अध्यादेश का निरनुमोदन करने का संकल्प एक प्रकार से विधेयक जैसा है क्योंकि उस में जो कुछ करने का प्रयास किया गया है वह यह है कि जो अध्यादेश लागू है उसका निरनुमोदन किया जाये। अध्यादेश का वही बल है जो संसद् के कानून का है। संसद का कानून निरसनकारी विधेयक द्वारा रद्द किया जा सकता है और निर्णयाधीन का नियम ऐसे विधेयक पर लागू नहीं होगा। फिर भी संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि अध्यादेश भी रद्द किया जा सकता है जबकि सभा ने अध्यादेश का निरनमोदन करने वाला एक संकल्प पारित कर दिया हो। अध्यादेश का निरनुमोदन करने वाला सांवैधानिक संकल्प एक निरसनकारी विधेयक के अलावा और कुछ भी नहीं है। इसलिए निर्णयाधीन का नियम लागू नहीं होता है और सभा में सकल्प पर चर्चा हो सकती है।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

लोक-सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बज कर 3 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

श्री रा० डो० भण्डारे पीठासीन हुए

The Lok Sabha reassembled after Lunch at three minutes past fourteen of the Clock.

[**श्री रा० डो० भण्डारे पीठासीन हुए**
SHRI R. D. BHANDARE *in the Chair*]

श्री समरगुह (कन्टाई) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : विनिर्णय पर व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं हो सकता। संकल्प सभा के सामने है। यदि संकल्प पर आपका कोई व्यवस्था का प्रश्न है तो आप कह सकते हैं।

श्री समर गुह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जब उपाध्यक्ष महोदय ने श्री कोठारी को संकल्प पेश करने के लिए कहा तो उसने साथ-साथ घोषणा की कि संकल्प पेश करने के बाद विधेयक पेश किया जायेगा।

सभापति महोदय : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। माननीय सदस्य संकल्प पर अपना भाषण दे रहे हैं। इसलिए माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं आपका ध्यान नियम 188 की ओर दिलाता हूं। इसमें उल्लेख है कि साधारणतया ऐसे प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी जो किसी ऐसे विषय पर चर्चा उठाने के लिये हो जो किसी न्यायिक या अर्द्धन्यायिक कृत्य करने वाले किसी संविहित न्यायाधिकरण या संविहित प्राधिकारी के सामने लम्बित हो।

सभापति महोदय : इसका पहले ही निश्चय हो चुका है।

श्री स० मो० बनर्जी : उपाध्यक्ष महोदय ने कहा है कि यदि मामला उच्च न्यायालय के सामने है तो भी इस पर सभा में चर्चा की जा सकती है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य सारांश में संकल्प पर अपनी व्यवस्था का प्रश्न कहें।

श्री स० मो० बनर्जी : देश में दो आयोग है। एक श्रम आयोग और दूसरा प्रशासनिक

सुधार आयोग है। हड़ताल के बाद जब अध्यादेश पास किया गया और लोगों की गिरफ्तारी आदि की गई तो समस्या के इस विशेष पहलू को प्रशासनिक सुधार आयोग को सौंपा गया कि क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हड़ताल करने का कोई अधिकार होना चाहिए या नहीं।

सभापति महोदय : अब हम इस बात पर चर्चा नहीं कर रहे हैं कि क्या कर्मचारियों को हड़ताल करने का अधिकार होना चाहिए।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं इस बात पर आपका दिनिर्णय चाहता हूँ कि इन दो आयोगों का क्या होगा ? क्या सरकार इस विधेयक पर आगे कार्यवाही करने से पहले उनके प्रस्तुत निर्देश पदो को वापस ले रही है ? मैं इस पर आप का विनिर्णय चाहता हूँ।

सभापति महोदय : संकल्प के बारे में इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

याचिका के बारे में व्यवस्था का प्रश्न
POINT OF ORDER RE. PETITION

Shri George Fernandes : My point of order is under 376 and 307 (i). I had presented a petition in the House this morning.

सभापनि महोदय : उन्हें सभा के सामने विषय पर व्यवस्था का प्रश्न उठाने का पूरा अधिकार है। वह विषय सभा के सामने नहीं है जो वह उठा रहे हैं। उनकी याचिका सभा के सामने नहीं है।

श्री जार्ज फरनेण्डीज : नियम 376 के अनुसार औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सभा का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन के सम्बन्ध में होगा और उसके द्वारा ऐसा प्रश्न उठाया जायेगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में होगा।

सभापति महोदय : नियम 376 का अर्थ यह है कि यदि सभा के सामने कोई विषय है या कोई सांविधानिक प्रश्न है तो वह औचित्य प्रश्न उठा सकते हैं। चूंकि वह विशेष विषय सभा के सामने नहीं है, इसलिए इस पर इस समय कोई चर्चा नहीं हो सकती। वह एक अलग नोटिस द्वारा इसे उठा सकते हैं।

श्री जार्ज फरनेन्डीज : समिति उसे सौंपी गई प्रत्येक याचिका की जांच करेगी और यदि याचिका में इन नियमों का पालन किया गया हो तो समिति निदेश दे सकेगी कि उसे परिचालित किया जाये।

सभापति महोदय : यह बहुत साधारण मामला है। इसमें स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। सभा के सामने किसी विषय पर औचित्य प्रश्न उठाया जा सकता है। उनकी याचिका सभा के सामने नहीं है। इसलिए इस पर कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

Shri George Fernandes : My petition is being circulated by Lak Sabha Secretariat in pursuance of the Speaker's Direction under Rule 307 (1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business. I submit that it cannot be circulated under Rule 307(1).

सभापति महोदय : मैं फैसला दे चुका हूँ कि याचिका सभा के सामने नहीं है। पत्रों के कुछ टुकड़े परिचालित किये गये है। कागजो के उन टुकड़ो पर कोई औचित्य प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

आवश्यक सेवायें बनाये रखने के अध्यादेश के बारे में सांविधिक संकल्प-जारी

STATUTORY RESOLUTION RE. ESSENTIAL SERVICES MAINTENANCE ORDINANCE--Contd.

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मंदसौर) हमने बार-बार सरकार की अध्यादेशों द्वारा शासन करने की प्रवृत्ति की निन्दा की है। अध्यादेश लोकतंत्र के विरुद्ध हैं। लोक-सभा 30 अगस्त, 1968 को स्थगित हुई थी और उसके दो हफ्ते बाद ही सरकार ने कर्मचारियों के हड़ताल करने के अधिकारों को कुचलने वाला एक अध्यादेश जारी किया। अध्यादेश प्रख्यापित करने के संबन्ध में कारण बताने वाले एक विवरण में सरकार ने बताया कि पिछले कुछ महीनों के दौरान उसे मालूम हुआ था कि कर्मचारियों के संगठन हड़ताल करने की तैयारी कर रहे थे। यदि सरकार को कुछ महीने पहले ही यह मालूम हो गया था तो उसने यह विधेयक पिछले अधिवेशन में ही क्यों नहीं पेश किया ? इसका अर्थ यह हुआ कि सरकार जानबूझ कर अध्यादेश जारी करके अप्रत्यक्ष रूप से कानून बनाना चाहती है। उक्त विवरण में यह भी कहा गया है कि आपात स्थिति उत्पन्न हो गई थी। एक दिन की सांकेतिक हड़ताल से ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न हो सकती और इस अध्यादेश को जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

उक्त अध्यादेश की आड़ ले कर सरकार ने कर्मचारियों का दमन किया है। आज भी लगभग 7,000 कर्मचारियों को मुअत्तिली और बर्खास्तगी के नोटिस मिले हुए हैं तथा 4,000 अस्थायी कर्मचारियों को वास्तव में बर्खास्त ही कर दिया गया है। सरकार को इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिये और कर्मचारियों को सबक सिखाने का विचार छोड़ देना चाहिये, क्योंकि इससे स्थिति और बिगड़ जायेगी।

इस अध्यादेश में सरकार को अत्यधिक शक्तियाँ दी गई हैं और यह असंवैधानिक है। कानून बनाने का कार्य मुख्यतः इस सभा को ही करना होता है। न्यायालयों का विनिर्णय है कि जब विधायी शक्तियां दी जाती हैं तो उनकी स्पष्ट रूप से व्याख्या की जानी चाहिये और अधिकार सम्बन्धी सीमायें सुस्पष्ट की जानी चाहिये। इस विधेयक के अधीन केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि यदि वह यह समझती है कि किसी सेवा विशेष में हड़ताल से समाज को कठिनाई होगी तो वह उस सेवा को आवश्यक सेवा घोषित कर सकती है। 'समाज की कठिनाई का अर्थ अस्पष्ट और अपरिभाषित है। आवश्यक और गैर-आवश्यक सेवा के बीच के अन्तर को भी स्पष्ट नहीं किया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि अधिकारों का प्रत्यायोजन समुचित ढंग से नहीं हुआ। इसलिये यह खंड असंवैधानिक है और यह विधेयक दोषपूर्ण है।

कर्मचारियों का हड़ताल करने का अधिकार एक महत्त्वपूर्ण अधिकार है। सरकार को इस अधिकार पर प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहिये। हड़ताल न होने देने के लिये सरकार को काम की शर्तों और वेतन में सुधार करना चाहिये तथा सेवाओं में अधिक से अधिक स्वायत्तता देने की व्यवस्था करनी चाहिये। इसके लिये ह्विटले परिषद् जैसी किसी संस्था को सक्रिय रूप से कार्य करना चाहिये और सभी स्तरों पर सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को समुचित अवसर दिया जाना चाहिये। विवादास्पद मामले पर बातचीत की जानी चाहिये और यदि मतभेद हो तो मामला पंचनिर्णय के लिये सौंप दिया जाना चाहिये।

इस तरह के आन्दोलनों के मूल में सामाजिक और आर्थिक कारण होते हैं। यदि सरकार ने स्थिति को सहानुभूति और सूझबूझ के साथ सम्भाला होता तो हड़ताल टल सकती थी। सरकार आवश्यकता पर आधारित वेतन की मांग को पंच फ़ैसले के लिये सौंपने को सहमत नहीं हुई, जब कि वह इस सम्बन्ध में पहले वायदा कर चुकी थी, और इसलिये संयुक्त सलाहकार तंत्र असफल रहा।

सरकारी कर्मचारियों ने मुख्यतया ये मांगें पेश की थीं कि आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन का प्रश्न पंच फैसले के लिये सौंपा जाये, मंहगाई-भत्ते को वेतन में मिलाया जाये, निर्वाह व्यय में वृद्धि के लिये पूरा-पूरा मुआवजा दिया जाये और सेवानिवृत्ति आदि की शर्तों में सुधार किया जाये। यह खेद की बात है कि इतने वर्षों के बाद भी सरकार इन विवादों को निपटाने के लिये एक संतोषजनक तंत्र कायम नहीं कर सकी है। वास्तव में सरकार को एक आदर्श नियोजक होना चाहिये। सरकार को अपने कर्मचारियों की आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन देकर उद्योगपतियों और समाज के अन्य क्षेत्रों के सामने एक उदाहरण पेश करना चाहिये। संविधान के अनुच्छेद 43 के अधीन सरकार का यह पवित्र कर्तव्य है कि वह "उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य तरीके से सभी श्रमिकों को निर्वाह मजूरी देने की समुचित व्यवस्था करे।"

यदि सरकार इस सम्बन्ध में अपनी असमर्थता व्यक्त करती है तो इसका अर्थ यही निकलता है कि उसकी आर्थिक और अन्य नीतियाँ पूर्णतया असफल रही हैं।

हमारे देश के 26.6 लाख कर्मचारियों में से 24 लाख कर्मचारी केवल 135 रुपये और 200रुपये के बीच वेतन पाते हैं। डा० आयक्रोड की गणना के अनुसार आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन लगभग 200 रुपये या250 रुपये माहवार होता है। हर बार कीमतों में वृद्धि होने से कर्मचारी अपने वेतन से जो सामान खरीद सकते हैं उसकी मात्रा और भी कम हो जाती है।

एक अनोखा तर्क यह भी दिया जाता है कि आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन समाज के सभी वर्गों को नहीं दिया जा सकता और इसलिए यह केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को भी नहीं दिया जाना चाहिये। क्या किसी समाज में सभी लोगों को आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन एक साथ ही देना संभव है? सामाजिक प्रगति के साथ-साथ अन्य वर्गों को भी आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन देना संभव हो सकेगा।

संयुक्त सलाहकार तंत्र की योजना के अनुच्छेद 16 के अधीन यह व्यवस्था की गई है कि अनिवार्य पंच फैसला किसी एक ग्रेड या श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों, काम के साप्ताहिक घन्टों और छुट्टी तक ही सीमित होगा। इस खन्ड का स्पष्ट अर्थ यह है कि कर्मचारी आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन के हकदार हैं और यदि यह नहीं दिया जाता तो केन्द्रीय सरकार को पंच फैसले के लिए अवश्य सहमत होना चाहिए। लेकिन केन्द्रीय सरकार ने कहा है कि वह इसके लिए वचन बद्ध नहीं है। वह इस मामले को उच्चतम न्यायालय में भी ले जाने के लिये तैयार नहीं हैं क्योंकि वह जानती है कि उसका मामला कमजोर है।

सरकार का दृष्टिकोण पूर्णतया अनुचित है। वह आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन के अपने वायदे से मुकर गई है। वह संयुक्त सलाहकार तन्त्र में दिये गये अपने आश्वासनों से भी मुकर गई है। कर्मचारियों की वैध मांगों को स्वीकार न करके सरकार ने उन्हें हड़ताल करने के

लिये मजबूर किया है। इसलिए इस हड़ताल के लिए सरकार ही जिम्मेदार है। यह कहना निरर्थक है कि सरकार के वित्तीय संसाधन आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन देने के लिए पर्याप्त नहीं है। वित्तीय अनुशासन सरकार के लिए एक सुविधा का विषय बन गया है। वह इसका उपयोग कर्मचारियों की मांग मानने से इन्कार करने के लिए करती है।

इन्द्रप्रस्थ भवन की घटनाओं से सरकार की चेतना जागृत होनी चाहिए। कानून के रक्षकों ने ही कानून के विरुद्ध आतंक फैलाया। इन्द्रप्रस्थ भवन की घटनायें कोई अकेला उदाहरण नहीं है, बल्कि वह तो पुलिस के अत्याचारों की लम्बी शृंखला की एक कड़ी है। ब्रिटिश शासन-काल से चली आ रही परम्परा के अनुसार पुलिस बल अपने आपको अभी भी जनसाधारण से अलग रख रहा है। गृह-मन्त्रालय पुलिस बल को ब्रिटिश शासन-काल की परम्पराओं से मुक्त करने में असफल रहा। सरकार को पुलिस बल में इस तरह से सुधार करना चाहिए कि उसमें लोक-सेवा का भाव पैदा हो।

सरकार को इन्द्रप्रस्थ भवन में हुई घटनाओं की न्यायिक जांच करानी चाहिए और अपराधियों को दण्ड देना चाहिए। गृह-मन्त्री ने कुछ दिन पहले कहा था कि न्यायिक जांच की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इस मामले के बारे में सभी बातें मालूम हो गई हैं। लेकिन एक गैर-सरकारी समिति ने अपने प्रतिवेदन में बताया कि इस सम्बन्ध में सभी बातों का पता नहीं चल सका। अर्जुन सिंह की मृत्यु कैसे हुई ? ऐसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कौन हैं जो इस आतंकवाद और अमानवीय अत्याचारों के लिये जिम्मेदार है ? ये तथ्य ज्ञात नहीं हैं और इनके बारे में समुचित जानकारी प्राप्त की जानी चाहिये।

यह विधेयक पांच वर्ष की अपेक्षा केवल छः महीने तक ही लागू रहना चाहिये। कर्मचारियों की वैध मांगों और शिकायतों पर विचार करने के लिये और मतभेद होने की स्थिति में वैध मांगों के पंच फैसले के लिए इस विधेयक में वैकल्पिक उपबन्ध या तन्त्र की व्यवस्था किये बिना, सरकार को कर्मचारियों का हड़ताल करने का अधिकार मनमाने ढंग से नहीं छीनना चाहिये। सरकार को एक निश्चित समय के अन्दर आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन की मांग को मान लेने के बारे में भी सहमत हो जाना चाहिये। यदि वह ऐसा नहीं करती तो उसे मामला पंच फैसले के लिये सौंपने के बारे में सहमत होना चाहिये।

मैं गृह-मन्त्री श्री चव्हाण से अपील करता हूँ कि वे इस विधेयक को और आगे न बढ़ायें। उन्हें यह विधेयक सभा में पेश भी नहीं करना चाहिये क्योंकि यह संविधान के विरुद्ध है और इसे विधि न्यायालय रद्द कर सकते हैं।

आवश्यक सेवायें बनाये रखने का विधेयक
ESSENTIAL SERVICES MAINTENANCE BILL

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं श्री यशवन्तराव चव्हाण की ओर से प्रस्ताव करता हूँ कि कतिपय आवश्यक सेवायें तथा समाज का सामान्य जीवन बनाये रखने के लिये व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

Shri Geogre Fernandese (Bombay-South) : I raise a point of order. It cannot be moved.

उध्यक्ष महोदय : उन्हें पेश करने दिया जाय। (**व्यवधान**)

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैंने केवल पहला वाक्य कहा है। मुझे अपना भाषण पूरा करना है।

श्री मधु लिमये (मुंगेर) **:** नहीं, नहीं। (**व्यवधान**)

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) **:** महोदय, व्यवस्था सम्बन्धी आपत्ति उठाते हुए मैं कहता हूँ कि प्रक्रिया नियमों के अनुसार यदि किसी विधेयक में व्यय की व्यवस्था हो, तो उसके साथ वित्तीय ज्ञापन भी होना चाहिए। हमें इस विधेयक के वित्तीय व्यय का भी अनुमान होना चाहिये। वित्तीय ज्ञापन के बिना यह सब गलत है और इस पर चर्चा नहीं हो सकती है।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न उठाने के लिए मैं सभी को अवसर प्रदान करूंगा। मन्त्री महोदय को अपना प्रस्ताव पेश करने दीजिये। (**व्यवधान**)—उन्होंने केवल एक वाक्य कहा है और यह पर्याप्त नहीं है। वह अपने वक्तव्य में अनेक बातों को स्पष्ट करेंगे···(**व्यवधान**)। इस विधेयक में कुछ सवैधानिक आपत्तियां हैं। प्रस्ताव पेश हो जाने पर ही ये आपत्तियां उठाई जायेंगी।

श्री लोबो प्रभु (उडीपी) : सभा का समय बहुत मूल्यवान है। इसमें कर-दाताओं का धन अन्तर्निहित है। प्रतिदिन ही वे इस प्रकार आपत्तियां उठाते हैं।

श्री उमानाथ (**पुद्दूकोटै**) : इसमें कर-दाताओं के मूल अधिकार का प्रश्न शामिल है। इसलिये यह केवल उनके धन का ही प्रश्न ही नहीं है।

श्री श्रीनिवास मिश्र : ज्योंही सभा में प्रस्ताव आ जाता है, त्योंही हमें व्यवस्था का प्रश्न उठाने का हक है। मन्त्री महोदय ने कहा 'मैं प्रस्ताव पेश करता हूं। अब मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा सकता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रक्रिया यह है कि भाषण के बाद ही हम व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति देते हैं। लेकिन यदि आप आग्रह कर रहे हैं, तो मैं आपको अनुमति दे दूंगा।

श्री सोंझियान (कुम्बकोणम) : कल उपाध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव पेश करने के बाद ही व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति दी थी। श्री कोठारी ने कहा कि 'मैं प्रस्ताव पेश करता हूं' और इस कथन के बाद ही श्री स० मो० बनर्जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सब कुछ जानता हूँ।

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : माननीय मन्त्री ने प्रस्ताव पेश नहीं किया है। इसलिए इसे रद्द कर दिया जाये।

Shri Madhu Limaye : Mr. Deputy Speaker, under rule 70 ऐसे विधेयक के साथ ऐसे प्रस्तावों हैं की व्यवस्था करने वाला और यह बताने वाला कि क्या वे सामान्य अथवा विशेष प्रकार के एक ज्ञापन संलग्न किया जाना चाहिये। But the fact is that clause 2 (i) (a) (9) involve drastic powers and therefore, it is wrong to say that it is of a normal

character. This mistake should first be corrected and then the Bill should be brought before the House.

उपाध्यक्ष महोदय : जहाँ तक शक्तियों के प्रत्यायोजन का सम्बन्ध है, माननीय मन्त्री ने खण्ड (2) (1) (ए) (9) का उल्लेख किया है। मैं अनुरोध करता हूँ कि माननीय मन्त्री इस बारे में स्पष्टीकरण दें, क्योंकि स्पष्टीकरण करना बहुत जरूरी है।

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैं इसे स्पष्ट करूँगा।

श्री श्रीनिवास मिश्र : मैंने वित्तीय ज्ञापन के सम्बन्ध में पहले ही व्यवस्था का प्रश्न उठाया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे कुछ प्रक्रिया अपनाने दीजिये। मैं वित्तीय ज्ञापन के पहलू की जांच करूंगा। माननीय मन्त्री भी इस पर विचार करेंगे। वाद-विवाद आज ही खत्म नहीं हो जायेगा। मैं सभी को सुनने को तैयार हूँ। लेकिन प्रत्येक सदस्य को इसे शान्ति के साथ कहना चाहिये।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : व्यवस्था के दो प्रश्न उठाये गये हैं। एक श्री मिश्र द्वारा वित्तीय ज्ञापन के बारे में और दूसरा श्री लिमये द्वारा। लेकिन आपने मन्त्री महोदय से विधेयक पेश करने के लिये कहा है इसलिये पूर्वविनिर्णय के अनुसार पहले व्यवस्था के प्रश्न निबटाने चाहिये।

श्री हिम्मतसिंहका (गोंडा) : इस विधेयक के साथ एक ज्ञापन है जिसमें उन परिस्थितियों का उल्लेख है, जिनके अन्तर्गत शक्ति का प्रयोग किया जायेगा और यह कि ये शक्तियाँ सामान्य प्रकार की हैं। भले ही कुछ व्यक्ति इससे सहमत न हों, परन्तु जहाँ तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, इसमें इसका उल्लेख कर दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : ये शक्तियां सामान्य प्रकार की नहीं हैं और इसलिये मैंने मन्त्री महोदय से इसकी व्याख्या करने के लिये कहा है।

श्री स० मो० बनर्जी : महोदय, यह एक व्यवस्था का प्रश्न है। प्रश्न यह है कि कतिपय आवश्यक सेवायें और समाज का सामान्य जीवन बनाये रखने की व्यवस्था की जाये। लेकिन अध्यादेश के कारण समाज का सामान्य जीवन पहले ही अस्त-व्यस्त बन गया था। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत श्रमिकों को हड़ताल करने का अधिकार प्राप्त है। यदि सरकार के विचार से कोई हड़ताल अवैध हो, तो वह इसकी घोषणा कर सकती है, परन्तु उस स्थिति में सरकार को विवाद पंच फैसले के लिये राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को सौंप देना चाहिये। विधेयक के उद्देश्यों तथा कारणों सम्बन्धी विवरण में बताया गया है कि सरकार का हमेशा यही प्रयत्न रहा है कि उसके कर्मचारियों की न्यायोचित समस्याओं तथा शिकायतों पर विचार करने के लिये पर्याप्त तथा प्रभावी प्रबन्ध किया जाये, परन्तु विधेयक में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है

खण्ड 9 (2) बहुत आपत्तिजनक है। यदि इसे स्वीकार किया गया, तो आंध्र उच्च न्यायालय द्वारा जारी किये गये सभी आदेश रद्द तथा निष्प्रभावी हो जायेंगे। क्योंकि विधेयक पर चर्चा नहीं होनी चाहिये।

श्री स० मो० बनर्जी : मैंने उन्हें दलाल नहीं कहा। मैंने कहा है कि बम्बई में लोग उन्हें दलाल कहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री बनर्जी से इस शब्द को वापस लेने की अपील करता हूँ।

श्री स० मो० बनर्जी : श्री शाह किसी कांग्रेसजन की तरह सम्माननीय हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूँ कि आपने वापस ले लिया है।

श्री शान्ति लाल शाह (बम्बई, उत्तर-पश्चिम) : मैं नियम 70 की उलझनों को स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ। विधेयक के प्रभारी मन्त्री बतायेंगे कि यह सामान्य है या असामान्य। मैं यह स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ कि इन दिनों किस तरह प्रत्यायोजित विधान को निपटाया जा रहा है। प्रत्यायोजित विधान विधायी मसौदा तैयार करने का एक आधुनिक तरीका है।

इस सभा द्वारा पास किये जाने वाले हर कानून में किसी चीज का उल्लेख होता है जो कार्यपालिका द्वारा की जाती है। इस विधेयक में दो प्रकार के खण्ड हैं। एक प्रत्यायोजित विधान के बारे में है। दूसरा खण्ड यह है कि यदि केन्द्रीय सरकार संतुष्ट है कि लोक हित में यह आवश्यक है तो यह आदेश द्वारा हड़तालों पर निषेध लगा सकती है। यह एक कार्यपालिका कार्यवाही है।

जहां तक प्रत्यायोजित विधान का सम्बन्ध है। अपेक्षित यह है कि विधेयक में एक टिप्पणी होगी जिसमें विधान के स्वभाव को स्पष्ट किया जायेगा कि यह सामान्य है या असामान्य। यदि यह सामान्य है तो सभा इसे स्वीकार करेगी। यदि सभा सोचती है कि यह असामान्य है तो सभा उस शक्ति का प्रत्यायोजन नहीं करेगी। सभा ने यह निर्णय लेना है कि इन शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जाये अथवा नहीं। यदि सभा इसे असामान्य समझे तो इसे अस्वीकार कर सकती है। यदि सभा प्रत्यायोजित विधान के अधीन अत्याधिक शक्तियाँ देती है तो इसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।

यह व्यवस्था की गई है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचनाएं 30 दिन तक सभा-पटल पर रखी जायेंगी और सभा इनका अनुमोदन अथवा निरनुमोदन कर सकती है। यदि यह मान लिया जाये कि कोई अधिसूचना असामान्य है तो सभा निर्णय करेगी कि कहाँ तक प्रत्यायोजन उचित अथवा आवश्यक है। खण्डवार चर्चा के दौरान सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि उनके मतानुसार यह किस तरह सामान्य प्रकार के हैं ?

जहाँ तक औद्योगिक विवाद अधिनियम का सम्बन्ध है इसमें कुछ सरकारी कर्मचारी आते हैं, सभी नहीं आते। सिविल कर्मचारी तथा सचिवालय सेवा कर्मचारी इसमें शामिल नहीं हैं। इस सभा को यह कहने की छूट है कि उस अधिनियम के बजाय यह अधिनियम उस तरह लागू होगा जैसी खंड 8 में व्यवस्था है। सभा चाहे तो खण्ड बार चर्चा के समय खण्ड 8 हटा सकती है।

श्री श्रीचन्द गोयल : मेरा सुझाव यह है कि हमें संविधान के अनुच्छेद 143 का प्रयोग करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : मैं आपका ध्यान खण्ड 2 (दो) की ओर दिलाता हूँ जिसमें कहा गया है कि थल, जल या वायु द्वारा यात्रियों या माल के उठाने के लिए कोई रेलवे सेवा या कोई अन्य परिवहन सेवा। यह चीजें सूची 2 में आती हैं जो राज्य-सूची है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसे इस चरण पर नहीं उठाया जा सकता। जब हम उस खण्ड को उठाते हैं तो इस आपत्ति पर विचार किया जायेगा।

श्री तन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापतनम्): मद 7 और मद 8 दो अलग विषय हैं। उन पर तारांक है तथा टिप्पणी है कि उन पर एक साथ विचार किया जायेगा। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह स्थायी प्रक्रिया बन जायेगी कि यह सभा एक साथ एक से अधिक विषयों को लेगी। प्रस्ताव को अभी तक स्वीकार या आस्वीकार नहीं किया गया है। यदि सभा श्री कोठारी के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है तो इस विधेयक को पेश किया जा सकता है लेकिन यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो हम इस विधेयक को नहीं उठा सकते। सभी संसदों में एक कानून बनाया गया है कि एक से अधिक विषयों पर एक साथ चर्चा नहीं की जा सकती। फिर भी यह प्रक्रिया क्यों अपनाई जा रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय : हम काफी समय से यह प्रक्रिया अपनाते रहे हैं। प्रस्ताव उस अध्यादेश का निरनुमोदन है जिस की उद्घोषणा की गई थी। विधेयक का विषय भी वही है। दूसरी बात यह है कि सुविधा के लिए तथा सभा का समय बचाने के लिये हमने काफी समय से इसे अपनाया है। जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि इस आध्यादेश के बारे में उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में कोई बीज है, इसे यहां पर इस समय नहीं उठाया जा सकता क्योंकि मैं इसे पहले ही निपटा चुका हूँ।

श्री उमानाथ (पुडुकोटै) : इस सभा को किसी ऐसे विधान को पारित करने, उस पर चर्चा करने या उसे स्वीकार करने का अधिकार नहीं है जो संविधान की सीमा से बाहर है। यह विधेयक संविधान के कुछ अनुच्छेदों की सीमा से बाहर है। अनुच्छेद 14 में प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान कानून की व्यवस्था है। इस समूचे विधान से इस विशिष्ट अनुच्छेद का उल्लंघन होता है। कानून की समता का अर्थ एक जैसी परिस्थितियों में समान व्यवहार है। अतः ऐसा कोई विधान नहीं होना चाहिये जिसके अन्तर्गत लोगों के साथ समान परिस्थितियों में भिन्न प्रकार का व्यवहार किया जाये। इस विधेयक के अनुसार सरकार को जहां तक श्रमिकों द्वारा हड़ताल का सम्बन्ध है, किसी एक उद्योग को आवश्यक सेवा घोषित करने का अधिकार होगा। परन्तु इसी उद्योग में एक अन्य प्रकार के व्यक्ति भी हैं, अर्थात् नियोजक, जो इसके निर्बाध चलते रहने के लिए भी उतने ही उत्तरदायी हैं। नियोजक तालाबन्दी की घोषणा करके उद्योग बन्द कर सकता है। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि तालाबन्दी बिल्कुल वैसा ही हथियार है जैसा श्रमिकों द्वारा हड़ताल करना। अतः दोनों को एक जैसा स्थान दिया जाये। समान परिस्थितियों में नियोजक तथा श्रमिकों को देखते हुए यह विधेयक कर्मचारियों के विरुद्ध पक्षपाती है और उससे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है।

कुछ वर्गों का वर्गीकरण किया जा सकता है और विधान लाया जा सकता है। एक विनिर्णय में कहा गया है कि ऐसा विधान निषेध है जिसमें कुछ के साथ पक्षपात किया जाता है और कुछ का पक्ष लिया जाता है। ऐसा विधान निषेध नहीं है जो एक तरह के व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होता है।

कानून से प्रभावित व्यक्ति जब यह महसूस करता है कि इससे उसके अधिकारों का उल्लं-

घन होता है तो वह न्यायिक उपचार ढूंढेगा। लेकिन हमें इस पर चर्चा करने और इसका फैसला करने का पूरा अधिकार है कि क्या यह संविधान के अन्तर्गत है या नहीं। जहां तक नागरिक का सम्बन्ध है उसे उच्चतम न्यायालय के पास जाने और यह उपार्चना करने का पूरा अधिकार है कि इससे उसके अधिकारों का उल्लंघन होता है।

Shri George Fernandes : The Bill is totally illegal as it is taking away the right of the employees to strike. Justice Wanchoo had given a judgment in 1966 which said "it is too late in the day now to stress the basic freedom of an employer to impose any condition which he likes on labour. It is always open to industrial adjudication to consider the conditions of employment of labour and to vary them if it is found necessary unless the employer can justify the extraordinary conditions." Therefore the provisions of the Bill are contrary to the decision of Justice Wanchoo. Unless the Bill provides for an alternative machinery for the redessal of their grievances, it should not be taken up.

गृह-कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : भारत सरकार के कर्मचारियों की विभिन्न संस्थायें 19 सितम्बर को आम हड़ताल करने की तैयारियां कर रही थीं। इसे सांकेतिक हड़ताल कहा गया था लेकिन यह सम्पूर्ण हड़ताल थी और पूरी हड़ताल से देश में सामाजिक जीवन बिल्कुल अस्तव्यस्त हो जाता। उनके साथ बातचीत करने के अतिरिक्त हमारे पास कोई विकल्प न रहा। हम अन्त तक बातचीत करते रहे और हमने कोई समझौता करने का पूरा प्रयास किया।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल करने की धमकी से उत्पन्न आपातकालीन स्थिति से निकटने के लिये राष्ट्रपति को 13 सितम्बर को आवश्यक सेवा अध्यादेश, 1968 जारी करना पड़ा। हम न तो इस तरह का कोई अध्यादेश जारी करना चाहते थे और न ही कोई कानून बनाना चाहते थे। सरकार को अध्यादेश जारी करने के लिए बाध्य किया गया।

प्रस्तुत विधेयक के अधीन हड़ताल करने पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। यह केवल एक अनुज्ञात्मक उपबन्ध है। हम सरकारी कर्मचारियों के लिए समुचित व्यवस्था करना चाहते हैं। हम ठोस विचार विमर्श के लिए उचित तंत्र की व्यवस्था करने के बारे में कानून बनाने पर विचार कर रहे हैं। हम इस प्रकार के तंत्र को कानूनी रूप देना चाहते हैं ताकि सरकारी कर्मचारियों की मांगों पर सरकार और कर्मचारियों के बीच विचार-विमर्श हो सके और समझौता किया जा सके। हमारा इरादा है कि एक ऐसा विधेयक सभा के सामने अनुमोदन के लिए रखा जाये।

श्री मधु लिमये द्वारा प्रत्यायोजित विधान के बारे में उठाये गये औचित्य प्रश्न का जहां तक सम्बन्ध है, मैं आपका ध्यान खण्ड 2 के उप-खंड 1 (क) की ओर दिलाता हूँ। इसमें आवश्यक सेवाओं का उल्लेख किया गया है। खण्ड 2 के उप-खंड (2) में व्यवस्था की गई है कि उप-धारा (1) के खंड (क) के उप-खंड (नौ) के अधीन जारी की जाने वाली प्रत्येक अधिसूचना को जारी किये जाने के बाद यथाशीघ्र संसद के दोनों सदनों में विचार के लिए पेश किया जायेगा। किसी ऐसी अधिसूचना या पत्र पर जिसमें नियमों का उल्लेख हो और जिसे सभा-पटल पर रखा गया हो, संसद् चर्चा कर सकती है और वह अधिसूचना का अनुमोदन या निरनुमोदन कर सकती है। जहाँ तक इस मामले का सम्बन्ध है, सरकार ने कोई असाधारण शक्तियाँ ग्रहण नहीं की हैं। यदि

संसद् इन पर चर्चा नहीं करना चाहती तो यह उनकी उपेक्षा कर सकती है। लेकिन संसद् को ऐसा करने का अवसर है।

बम्बई उच्च न्यायालय ने 1962 में इसी बरह के एक मामले में यह निर्णय दिया था कि "केन्द्रीय सरकार को अध्यादेश में निर्धारित की गई विधायी नीति के अधीन कार्य करना होता है। अध्यादेश में प्रत्यायोजित शक्तियों की सीमाओं का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। इसलिए हमारा विचार है कि केन्द्रीय सरकार को अत्यधिक विधायी शक्ति दिये जाने के कारण ही अध्यादेश अनुपयुक्त नहीं है।"

जहां तक जेलखानों में नजरबन्द किये गये व्यक्तियों का सम्बन्ध है, इस विधेयक में ऐसे लोगों के भोजन आदि के खर्च के बारे में कोई व्यवस्था नहीं है। गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के भोजन के बारे में बंदीगृह अधिनियम, जेल मैनुअल आदि में, जिन्हें विभिन्न राज्य विधान-मंडलों ने पास किया है, व्यवस्था की गई है। कैदियों के भोजन आदि पर खर्च के बारे में बन्दीगृह अधिनियम, जेल मैनुअल आदि के उपबन्धों के अनुसार धन दिया जायेगा। गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के भोजन के सम्बन्ध में इस विधेयक में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। विधेयक का इस मामले में कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिए हमने वित्तीय ज्ञापन पेश करना आवश्यक नहीं समझा। हमने इस सम्बन्ध में विधि मंत्रालय से सलाह ली और हमें बताया गया कि वित्तीय ज्ञापन की कोई आवश्यकता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अपनी टिप्पणी में किसी वैकल्पिक योजना का उल्लेख किया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इसके बारे में आगे बताया जाये क्योंकि यह मुख्य प्रश्न उठाया गया है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : अब या अपने उत्तर में ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप ऐसा कल कर सकते हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : जी, हाँ। मैं कल इसका उल्लेख करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि "कुछ आवश्यक सेवाओं तथा समुदाय के सामान्य जीवन को बनाये रखने के लिए व्यवस्था करने के विधेयक पर विचार किया जाये :"

श्री श्रीचन्द गोयल : मैं अपना प्रस्ताव संख्या एक प्रस्तुत करता हूँ।

श्री बेचेन सेन : मैं अपना प्रस्ताव संख्या 2 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री जार्ज फरनेन्डीज : मैं अपना प्रस्ताव संख्या तीन प्रस्तुत करता हूँ।

श्री स० कुण्डू : मैं अपना प्रस्ताव संख्या 7 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री नम्बियार : मैं अपना प्रस्ताव संख्या 8 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री श्रीचन्द गोयल : मैं अपना प्रस्ताव संख्या 9 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री विश्वनाथ पाडेय्य : मैं अपना प्रस्ताव संख्या 14 प्रस्तुत करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सभी प्रस्ताव तथा संकल्प सभा के सामने हैं।

श्री दत्तात्रय कुन्टे : क्या इस विधेयक के अन्तर्गत, यदि यह अधिनियम बन जाता है, सरकार को दिया गया प्रत्यायोजित विधान का अधिकार सामान्य परिस्थितियों में है अथवा नहीं। इसके बारे में आपको भी संदेह है। मंत्री महोदय ने यह स्पष्ट नहीं किया कि खण्ड 2 (1) (क) के उप-खण्ड (नौ) का दूसरा भाग सामान्य परिस्थितियां कैसे बन जाता है ?

सरकार एक आर्डर जारी कर सकती है। मंत्री महोदय ने कहा है कि इसे सभा-पटल पर रखा जायेगा और वह वहाँ पर 40 दिनों के लिए रहेगा। लेकिन खण्ड में यह नहीं कहा गया है कि जब तक कि इसे अस्वीकार नहीं किया जाता यह लागू नहीं होगा जिसका अर्थ यह है कि इस आर्डर के अधीन कार्यवाही की जायेगी। एक बचाव खण्ड है कि उस आर्डर के अधीन की गई कोई चीज सुरक्षित है। यह बहुत खतरनाक स्थिति है जिसकी मंत्री महोदय को जानकारी नहीं है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि वित्तीय ज्ञापन तथा शक्तियों के प्रत्यायोजन सम्बन्धी दो मुख्य औचित्य प्रश्नों को पहले निपटाया जाना चाहिए। यह कहना कि विधेयक के कारण, जब यह अधिनियम बन जाता है, कोई खर्च नहीं होगा, वास्तव में सरकार के वित्तीय कार्य की अनभिज्ञता है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात समझ गया हूँ। कल हर व्यक्ति को भाषण का पाठ मिल जायेगा। मन्त्री महोदय वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में भी बताने के लिए तैयार हो गये हैं : यदि आवश्यक हुआ तो मैं वित्तीय ज्ञापन तथा शक्तियों के प्रत्यायोजन के बारे में भी मन्त्री महोदय से ब्योरा देने के लिए कहूंगा।

श्री विद्याचरण शुक्ल : इन दो प्रश्नों के बारे में मैं कह चुका हूँ। वे रिकार्ड पर हैं। उनको देखने के बाद यदि आप समझें कि आगे स्पष्टीकरण की जरूरत है तो आप मुझे निर्देश दें और मुझे आगे स्पष्टीकरण देने में खुशी होगी।

Shri Deven Sen (Asansol) : Preamble contains "Maintenance of the normal life of the community." The Bill provides that we can go on strike by giving notice under Industrial Dispute Act. Now this has been made abnormal. Hence Preamble and the Bill are contradictory and therefore this Bill is incorrect.

श्री श्रीनिवास मिश्र : जब विभिन्न खण्ड आते हैं तो उन्हें उठाने से पहले हमें औचित्य प्रश्न उठाने की अनुज्ञा दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको औचित्य प्रश्न उठाने का अधिकार है।

सिविल रक्षा नियमों में रूपभेद के बारे में प्रस्ताव—जारी

MOTION RE: MODIFICATION OF CIVIL DEFENCE RULES Contd.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम 20 नवम्बर, 1968 को श्री श्रीनिवास मिश्र द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव पर आगे विचार करते हैं अर्थात् :

यह सभा संकल्प करती है कि सिविल रक्षा अधिनियम, 1968 की धारा 20 के अनुसरण में, सिविल रक्षा नियम, 1968 में जो दिनांक 10 जुलाई, 1968 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1277 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, और 26 जुलाई, 1968 को सभा-पटल पर रखे गये थे, निम्नलिखित रूपभेद किया जाये, अर्थात् :—

नियम 13 में 'केन्द्रीय सरकार' के पश्चात 'अथवा राज्य सरकार' रखा जाये।

यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा इस संकल्प से सहमत हो।"

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : जब मैं उक्त प्रस्ताव को पेश कर रहा था तो आपने सरकार से पूछा था कि जिस नियम में रूपभेद करने का प्रस्ताव है वह संविधि के बाहर है या नहीं। मेरे विचार में यह भेदमूलक है। मैं यह साबित करना चाहता हूँ कि उक्त नियम उस अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आता जिसके अधीन सरकार को नियम बनाने का अधिकार दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं स्वयं इस मामले में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता था और इसीलिए मैंने उस दिन श्री रामास्वामी से कहा था कि वे सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने के लिए तैयार हो कर आयें। मन्त्री महोदय स्थिति को स्पष्ट कर सकते हैं।

विधि मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : प्रतिरक्षा सम्बन्धी अधिकार का, जो संविधान के अनुसार केन्द्रीय सरकार में निहित है, प्रयोग करते हुए सिविल प्रतिरक्षा अधिनियम पारित किया गया था और उसके अधीन बनाये गये नियम भी कानून का भाग बन जायेंगे। सातवीं अनुसूची की सूची 1 में उल्लिखित विषयों के अधीन जब केन्द्रीय सरकार को अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करना होता है तो वह शून्य में ऐसा नहीं कर सकती। उसे अपने अधिकार का प्रयोग भारतीय राज्य क्षेत्र के, जो संघीय राज्य क्षेत्र के अलावा विभिन्न राज्यों में बंटा हुआ है, अन्दर ही करना होता है। इसलिए संघीय सरकार को राज्यों में भी अधिकार का प्रयोग करना होता है। संघीय सरकार के अधिकार के प्रयोग के बारे में कोई भी राज्य आपत्ति नहीं उठा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका सादृश्यता का उल्लेख गलत है। डाक-घर समवर्ती सूची में नहीं है। धारा 4 में कुछ ऐसी बातें हैं जो समवर्ती सूची के अन्तर्गत आती हैं।

श्री गोविन्द मेनन : यह ठीक है कि धारा 4 का सम्बन्ध राज्य सरकार को प्रतिरक्षा दल बनाने का अधिकार देने से है। इसका अर्थ यह नहीं है कि यह समवर्ती सूची का विषय है। इसका सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार द्वारा शक्ति के प्रत्यायोजन से है और इस सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 258 में उपबन्ध किया गया है। यह सम्पूर्ण विधेयक प्रतिरक्षा सम्बन्धी अधिकार के बारे में हैं जो केन्द्रीय सरकार में निहित है। नियम भी इसी तरह से होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : उक्त अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को मिल कर कार्य करना होता है। धारा 4 के अधीन केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें स्वतंत्ररूप से किसी भी क्षेत्र के लिये सिविल प्रतिरक्षा कर्मचारियों की एक संस्था कायम कर सकते हैं इस सम्बन्ध में समवर्ती शक्तियों का उपबन्ध है। केवल नियम 12 और 13 में राज्य का उल्लेख नहीं किया गया है। प्रस्तुत मामले में केन्द्रीय सरकार ने कुछ अविश्वास प्रकट किया है। उक्त अधिनियम के अधीन परस्पर सहयोग का पूर्व अनुमान लगाया गया है। आपने भी इस बात को मान लिया है कि इन नियमों के सम्बन्ध म राज्यो से सहयाग प्राप्त किया जाना चाहिये। यह बात मेरी समझ मे नहीं आई कि नियम 12 और 13 बनाते समय राज्य को क्यों नहीं सम्बद्ध किया गया? धारा 4 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। राज्य सरकारों को यह समवर्ती शक्ति दी गई है। राज्य सरकार अधिकारियों को नियुक्त कर सकती हैं।

श्री गोविन्द मेनन : समवर्ती शक्ति किसी कानून द्वारा नहीं उत्पन्न की जा सकती। यह नहीं कहा जा सकता कि चूंकि विधेयक की भाषा इस तरह की है इसलिये समवर्ती शक्ति उत्पन्न की गई है। संविधान में संशोधन करने और समवर्ती सूची में इस सम्बन्ध में उल्लेख करने के बाद ही समवर्ती शक्ति उत्पन्न की जा सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने यह स्वीकार किया है कि खन्ड 4 के अधीन राज्यों को कुछ अधिकारी नियुक्त करने की छूट है। साथ ही आप यह भी कहते हैं कि आप कानून का शब्दशः पालन करेंगे। जहां तक कानून-व्याख्या का सम्बन्ध है मेरा विचार है कि उसमें निहित भावना को भी समुचित महत्व दिया जाना चाहिये।

श्री गोविन्द मेनन : अनुच्छेद 258 के अधीन केन्द्र को प्राप्त हुई कुछ संवैधानिक शक्तियां राज्यों को दी गई हैं। नियम 12 और 13 का सम्बन्ध बड़े महत्त्वपूर्ण मामलों अर्थात् उन बन्दरगाहों और खानों से है जिन्हें राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में रखना पूर्णतया अनुचित होगा। इससे उलझनें पैदा हो सकती है। यदि राज्य सरकार कोई निर्देश जारी करती है और केन्द्रीय सरकार उससे भिन्न कोई निदेश जारी करती है तो इससे संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। इसलिए सरकार के विचार से नियम 12 और 13 में संशोधन करना उचित नहीं होगा और इस मामले में निर्णय सभा पर छोड़ा जा सकता है।

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : मन्त्री महोदय ने एक ऐसा सिद्धान्त पेश किया है जिसकी हर जगह उपेक्षा की गई है। उन्होंने कहा है कि यह कानून इस सभा के प्रतिरक्षा सम्बन्धी अधिकार क्षेत्र के अधीन है। यह शून्य में नहीं है। प्रतिरक्षा सम्बन्धी इस अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कानून के अनुसार ही करना होगा। यह कानून प्रतिरक्षा अधिनियम है। प्रतिरक्षा संबंधी शक्ति के अधीन सिविल प्रतिरक्षा अधिनियम पारित किया गया और सरकार को उसके अन्तर्गत ही नियम बनाने होते हैं।

अधिनियम की धारा 3 के अधीन सरकार को नियम बनाने का अधिकार है। धारा 3 उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार सिविल प्रतिरक्षा की समुचित व्यवस्था करने के लिये अधिसूचना द्वारा सभी या कुछ विशेष मामलों के बारे में नियम बना सकती है। 'में' (सकती है) शब्द आदेशात्मक है और इसका अर्थ 'मस्ट' (अवश्य) है।

[**श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए**
SHRI VASUDEVAN NAIR *in the Chair*]

नियम बनाने का अधिकार सरकार को इसलिये नहीं दिया गया है कि वह उससे फायदा उठाये बल्कि इसलिये दिया गया है कि उससे जनता को लाभ हो। जहां तक औचित्य के प्रश्न का संबंध है सरकार ने यह बात मान ली है कि यह उचित नहीं है। इस स्वीकारोक्ति पर ही मन्त्री महोदय को हमारा संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिये था। लेकिन विधि मन्त्री ने यह तर्क दिया है कि यह समवर्ती शक्ति नहीं है। समवर्ती शक्ति कानून द्वारा नहीं उत्पन्न की जा सकती। यह शक्ति सरकार को नहीं अपितु सभा को प्राप्त है।

आधे घण्टे की चर्चा
HALF AN HOUR DISCUSSION

श्रीलंका के महासर्वेक्षक द्वारा प्रकाशित काच्चतीवू द्वीप के नक्शे

Maps on Kachchativu Island published by the Surveyor General of Ceylon

Shri Kameshvar Singh (Khagaria) : On February 28, 1968, the 'Morning Sun' reported that the Ceylon Government had assumed full ownership of Kachchativu Island. It is regrettable that our Goverment have not taken any steps to settle the matter in regard to the Island. From the report of District Collector, Jafra for 1965-66 it is evident that the Island belongs to India and not to Ceylon. The Prime Minister of Ceylon presented certain extracts from the District Collector's report to the House of representatives. Inspite of all that our Government have not taken a clear stand in this regard. It is regretted that our Prime Minister stated in Rajya Sabha that the dispute in regard to Kachchativu has been there for 30 years. The Prime Minister has thus misled the whole country. After the Zamindari abolition law was passed by the Madras Legislature, the Raja of Ramnad in his Zamindari return handed over Kachchativu Island to Madras Government.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

In December 1947, the late Shanmuge Rajeswara Sethupathi, the Raja of Ramanathapuram, owner of the Kachchativu leased to V. Ponnusamy Pillai and Janab K. S. Mohammed Kirza Maricar the chank collection rights on the Island of Kachchativu belonging to the Raja of Ramanathapuram. In spite of the documentary evidence in favour of India our Government neglected this matter and the result is that Ceylon has shown the Island as belonging to her in its maps.

The Surveyor General of Ceylon had published a map in 1963 and the Island was shown as part of Ceylon in that map. But our High Commissioner did not apprise our Government of the position in this regard.

From a 'sanad' belonging to Queen Victoria's period it is clear that the Island belongs to India. 'sanad' is in National Archives of Ceylon. It is a matter of regret that our High Commissioner in Ceylon could not see the 'sanad' mentioned above.

The Government has been assuring the House that the matter relating to Kachchativu would be discussed with the Ceylon Prime Minister. But it appears from the communique that the issue has been shelved. The Minister should tell the House whether our Government would ask the Ceylon Government to produce the 'sanad' belonging to Queen Victoria's era at the time of discussion to be held in this regard. The Minister should also assure the House that the documents sent by the Raja of Ramnad in support of India's ownership of the Island would be placed on the Table of the House.

कुछ सदस्यों के बारे में अध्यक्ष के आदेशों का विखंडन
RESCISSION OF CHAIR'S ORDERS WITH RESPECT TO CERTAIN MEMBERS

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki) : Sarvashri George Fernandes and Lakappa were raising a point of order and had you heard them fully, that would not have happened. I would request you to give them a chance to speak and withdraw the aforesaid order.

उपाध्यक्ष महोदय : आप जार्ज फरनेन्डीज के विषय में दलील न दें। मैं उन्हें कई वर्षों से जानता हूँ कि वह सभा की कार्यवाही में बड़ी रुचि लेते हैं। निस्सन्देह मैं उस आदेश को वापस ले लूँगा लेकिन सभा-कार्य शांतिपूर्वक चलाये जाने के लिये सुनिश्चितता की जानी चाहिये।

Shri Rabi Ray (Puri): We all will Co-operate with you.

उपाध्यक्ष महोदय : इसलिए मामला यहाँ समाप्त होता है।

[**श्री रा० डी० भण्डारे पीठासीन हुए।**
SHRI R. D. BHANDARE *in the Chair*]

आधे घण्टे की चर्चा-जारी

HALF AN HOUR DISCUSSION—Contd.

श्रीलंका के महासर्वेक्षक द्वारा प्रकाशित कच्चातीवू द्वीप के नक्शे

Maps on Kachchativu Island published by the Surveyer General of Ceylon

श्री कन्डप्पन (मैटूर) : सर्व प्रथम मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार झूठ बोल रही है और वह अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँची है। स्वर्गीय डा० राम मनोहर लोहिया ने अनेक वर्ष पहले सभा में यह मामला पेश किया था और जो उत्तर उन्हें दिया गया था, वही उत्तर आज हमें दिया जा रहा है।

मन्त्री महोदय को बताना चाहिये कि श्रीलंका के प्रधान मन्त्री, जो यहाँ आये थे, और हमारे प्रधान मन्त्री के बीच क्या बातचीत हुई? हमारी यह धारणा है कि वह तथ्यों को छिपा रही है। सरकार इतनी क्यों डरती और हिचकिचाती है? सरकार इस बारे में एक स्पष्ट वक्तव्य दे कि अकाट्य तथ्यों के आधार पर और उपलब्ध लोक-प्रमाणों के आधार पर समझौता करने में ऐसी कौन-सी बाधा उत्पन्न हुई?

श्री श्रद्धाकर सूपकार (सम्बलपुर) : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या भारत और श्रीलंका के प्रधान मन्त्रियों के बीच इस प्रश्न पर बातचीत समाप्त हो गई है या भविष्य में जारी रहेगी। यदि बातचीत समाप्त हो गई है, तो उसका परिणाम क्या है?

Shri George Fernandes (Bombay-South): Mr. Speaker, when the map of India is published on the postage-stamps, the Islands such as Andaman, Nicobar, Maldivi, Laccadivi and Kachchativu are not shown therein. It is a serious matter. I would like that full part of India should be published.

The Minister of Parliamentary Affairs and Communications (Dr. Ram Subhag Singh): Certainly, I would make such provision.

Shri George Fernandes : I am very happy that the honourable Minister would take steps in this regard. The Prime Minister of Ceylon during his recent visit to our country had stated in regard to Kachchativu that "दो महीने में समझौता हो जाने की आशा है।" Have any talks been initiated in this connection and if so, at what level? Is the Government clear in their mind in regard to the fact that Kachchativu is an Indian Island. Upto what time that Island was in Indian occupution and when did Ceylon occupy it? A categorical answer should be given in regard to these questions.

Shri Beni Shanker Sharma (Banka): Mr. Speaker, May I know from the Honourable Minister whether the Government has taken any lesson from the past mistake and whether any steps have been taken to find out our islands in the Indian ocean and the Arabian sea and also to show them in our maps ? Whether any agreement been concluded with Ceylon in order to determine the extent of territorial waters between the two countries.

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : मैं सभा को आश्वासन देता हूँ और यह कहना सही नहीं है कि सरकार ने कच्चातीवू द्वीप को अधिक महत्व नहीं दिया है और इस सम्बन्ध में लापरवाही बरती है। भारत सरकार ने इसको पूरा महत्त्व दिया है। यदि ऐसी बात नहीं होती, तो भारत और श्री लंका के बीच सारा विवाद नहीं उठाया जाता।

हम इस सारी समस्या पर जिस प्रकार सोचते हैं, वह यह है कि हम इस द्वीप को, चाहे यह कितना ही छोटा क्यों न हो बहुत अधिक महत्त्व देते हैं। लेकिन यह भी सच है कि हम श्रीलंका के साथ अपनी मित्रता को भी बड़ा महत्त्व देते हैं। इस सर्वोपरि विचार को हमें सदा ध्यान में रखना होगा।

इस द्वीप की सार्वभौमिकता का प्रश्न श्रीलंका और भारत के बीच काफी लंबे समय से विवाद का विषय रहा है। मेरे विचार में इसे 1910 में उठाया गया था। लेकित 1910 और 1968 के बीच यह विवाद दोनों देशों के समाचार-पत्रों और संसद में कई बार उठा। लेकिन किसी पक्ष ने उसे यथाशीघ्र हल करने में कोई रुचि नहीं दिखाई, क्योंकि ये दोनों देश सोचते हैं कि मामले की जल्दबाजी में निपटारा करना भारत और श्रीलंका की मित्रता के हित में नहीं होगा। जो दृष्टकोण अपनाया गया वह यह है कि भविष्य में मनार की खाड़ी और पाक जलडमरु मध्य की समस्याओं के साथ इस मामले पर श्रीलंका की सरकार के साथ बातचीत शुरू की जाये और उस पर मैत्रीपूर्ण तथा सहयोग की भावना से शांति के साथ चर्चा और बातचीत की जाये।

मनार की खाड़ी और पाक-जलडमरू मध्य के साथ जो अन्य समस्यायें सम्बन्धित हैं, वे हैं—मछली पकड़ने का अधिकार, प्रादेशिक समुद्री सीमायें और मीडियन लाइन का रेखांकन। दोनों पक्षों की ओर से मतभेद दूर करने की भावना से यह स्पष्ट मालूम होता है कि भारत और श्रीलंका में कितनी गहरी मैत्री है ?

यह कहना सही नहीं है कि श्रीलंका के अधिकारियों ने इस द्वीप पर अवैध रूप से या जबरदस्ती से कब्जा कर रखा है, क्योंकि जैसा कि माननीय सदस्यों को भलीभांति मालूम है, इस द्वीप में कोई मानव नहीं रहता है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): We do not want to hear such things. There are thousands of miles of Indian territory where there is no human habitation but that does not mean that those areas are not part of our territory. This kind of talk must stop forever.

संसद-कार्य-मन्त्री तथा संचार मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : यह मामला सभा के समक्ष अनेक बार आया है। यह सच है कि वहाँ एक धार्मिक तीर्थ स्थान है, जहाँ काफी संख्या में लोग जाते हैं और अपनी पूजा आदि करते हैं।

श्री रणजीत सिंह (खलीलाबाद) : मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करता हूँ कि मुझे आज की स्थिति से अवगत कराया जाय।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : मैं वास्तविक स्थिति बता रहा हूं। मैं कह रहा था कि वहां कोई मानव नहीं रह रहा है।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम): जब कभी हमने वहां जाना चाहा और हम मछली पकड़ने गये या किसी अन्य कारणों से गये, तब क्या किसी ने कोई रोक लगाई ? क्या किसी ने इसे प्रयोग करने के लिये हमें रोका ?

श्री किरुतिनन : अभी भी, जब कभी हमारे मछली पकड़ने वाले वहां जाते हैं उनको भय-भीत किया जाता है हिरासत में लिया जाता है तथा जेलों में डाल दिया जाता है।

श्री रणधीर सिंह : जब किसी ने इसमें प्रवेश करने से नहीं रोका, तब अधिकार हमारा है।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : द्वीप पर एक रोमन कैथोलिक गिरजाघर है, जो मेरी समझ में 1917 के आसपास बनाया गया था। त्यौहार पर तथा मछली पकड़ने के अवसर पर हमारे मछुये वहां जाते हैं और द्वीप का प्रयोग करते हैं। दोनों देशों के धार्मिक यात्री द्वीप पर जाते हैं और इसके लिये किसी पर कोई रोक नहीं लगाई जाती है।

श्री रणधीर सिंह : तब आप यह नहीं कह सकते हैं कि यह द्वीप हमारे कब्जे में है।

Shri Shashi Bhushan Bajpai (Khargone): Mr. Speaker, May I know from the Hon. Minister whether Indians can go there or not?

Shri Surendrapal Singh: Yes, they go.

श्री रणधीर सिंह : हम मछली पकड़ने और धार्मिक कार्य हेतु वहां जाते हैं।

श्री कन्डप्पन (मेट्टूर) : यह बात नहीं है। तमिल मछुओं की गिरफ्तारी की जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं। यदि आप पूरी चर्चा चाहते हैं, तो कुछ दूसरा तरीका निकालिये। यह हस्तक्षेप करने का समय नहीं है.....(**व्यवधान**)।

Shri Ram Sewak Yadav : The questions should be replied direct.

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : मैं वास्तविक स्थिति बता रहा हूं। हाल ही में श्रीलंका का एक सरकारी शिष्ट मण्डल भारत आया था। उनके और हमारे शिष्ट मण्डलों में बातचीत हुई। बातचीत के समय यह मामला उठाया गया था और सामान्य हितों से सम्बन्धित सभी समस्याओं पर चर्चा हुई। अपनी अपनी समस्याओं को पेश करते हुए दोनों शिष्ट मन्डल इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस मामले पर दोनों देशों के प्रधान मंत्रियों का ध्यान दिलाया जाये। दोनों प्रधान मंत्रियों ने इस मामले पर चर्चा की और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह बहुत महत्त्वपूर्ण मामला है जिसमें और आगे छानबीन करने की आवश्यकता है 'इसलिये वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दोनों पक्षों को इस मामले पर बातचीत जारी रखनी चाहिये और एक मैत्रीपूर्ण हल ढूंढ़ निकालना चाहिये। इस मामले की वर्तमान स्थिति यही है।

श्रीलंका के साथ हमारे सम्बन्ध बहुत मैत्रीपूर्ण हैं। और जब कि इस समय बात जारी है, तब तक हमारे लिये यह उचित नहीं होगा कि मामले पर विस्तार रूप से या उसके गुण-दोषों पर विचार किया जाय। मैं माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि वे इस मामले को भारत सरकार

पर छोड़ दें और वे देखेंगे कि एक ऐसा हल निकाला जायेगा, जो हमारे राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध नहीं होगा और जो दोनों देशों को स्वीकार्य होगा।

Shri Kameshwar Singh : It is injustice to country.

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कल प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 12 दिसम्बर, 1968/ 21 अग्रहायण, 1890 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, 12th December, 1968 / Agrahayana 21, 1890 (Saka).

Printed by Job Printers, Allahabad.